इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2026—फाल्गुन 22, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2026

क्र. I-835681-2026-4593196-GAD-एक.—माननीय न्यायाधिपति, श्री देवनारायण मिश्र, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-967 (दो-1-11-2024), दिनांक 5 फरवरी 2026 के अनुक्रम में, दिनांक 16 से 20 फरवरी 2026 तक, पाँच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2026 के एवं पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. GAD-6-0027-2025-GAD-1-एक-GAD.—माननीय न्यायाधिपति, श्री प्रणय वर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-971 (दो-1-11-2022), दिनांक 5 फरवरी 2026 के अनुक्रम में, दिनांक 12 से 14 जनवरी 2026 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. GAD-6-0027-2025-GAD-1-एक-GAD.—माननीय न्यायाधिपति, श्री प्रणय वर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-969 (दो-1-11-2022), दिनांक 5 फरवरी 2026

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.

के अनुक्रम में, दिनांक 5 से 7 जनवरी 2026 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रैकवार, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2026

संशोधित आदेश

क्र. ई. एफ 1-1-1-0396-2025-बी-2-दो.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जनवरी 2026 को निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर श्री आदर्श कटियार, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 28 जनवरी 2026 तक, कुल सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

क्र. ई. एफ 1-1-1- 0391-2025-बी-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री प्रशांत खरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम रेंज की पत्नी के घुटनों का ऑपरेशन कराये जाने हेतु दिनांक 20 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक, कुल बीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री प्रशांत खरे, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम रेंज का चालू कार्य श्री साईं कृष्ण एस थोटा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला नर्मदापुरम द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत खरे, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम रेंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रशांत खरे, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रशांत खरे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत खरे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2026

क्र. ई. एफ 1-1-17- 0009-2025-बी-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 27 फरवरी 2026 तक, कुल पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 22 व 28 फरवरी, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. ई. 1-1-1-0104-2025-B-2-दो-(HOM).—राज्य शासन द्वारा श्री षियाज के. एम., भापुसे, सेनानी हॉकफोर्स, कनकी बालाघाट को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 18 से 30 दिसम्बर 2025 तक, कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश में गृह जिला एर्नाकुलम (केरल) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के स्वीकृति प्रदान करता है:—

1.	श्री षियाज के. एम.,	—	स्वयं
2.	श्रीमती शाहरजादा टी	—	पत्नी
3.	श्री इरफान खलील	—	पुत्र
4.	श्री रयन फैज	—	पुत्र

(2) श्री षियाज के. एम., भापुसे, की अवकाश अवधि में सेनानी हॉकफोर्स, कनकी बालाघाट का चालू कार्य श्री सचिन कुमार चौबे, उप सेनानी हॉकफोर्स, कनकी बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री षियाज के. एम. भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, हॉकफोर्स, कनकी बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री षियाज के. एम., भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री षियाज के. एम. भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री षियाज के. एम., भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई. 1-1-1-0223-2025-B-दो-(HOM).—राज्य शासन द्वारा सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल को खण्डवर्ष 2026-29 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 13 एवं 16-17 मार्च, 2026 तक, कुल तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 14-15 मार्च, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर जगन्नाथ पुरी, कोणार्क (भुवनेश्वर) हीराकुण्ड बांध, चिलिका झील (ओडिसा) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. ई. एफ 1-1-1- 0227-2025-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग एवं आर. टी. आई. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 से 20 फरवरी 2026 तक, कुल पाँच दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश एवं 15 तथा 21-22 फरवरी, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग एवं आर. टी. आई. पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स / एस. टी. एफ., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साम्पादित किया जावेगा.

(3) श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(4) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से दस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. 1-1-1- 0383-2025-B-2-दो -(HOM).—राज्य शासन द्वारा श्रीमती प्रियंका शुक्ला, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को संतान पालन करने हेतु दिनांक 13 फरवरी से 13 अप्रैल 2026 तक, कुल साठ दिवस का संतान पालन अवकाश (CCL) की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती प्रियंका शुक्ला, भापुसे, की अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्रीमती स्वाती मुराब, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रियंका शुक्ला, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका शुक्ला, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. ई. एफ-1-1-1-0421-2025-बी-2-दो.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 फरवरी 2026 द्वारा श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रा.अ.अ.ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के विस्तार वर्ष-2025 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2026-29 में केरीफावर्ड करते हुए) दिनांक 4 से 9 फरवरी 2026 तक, कुल छह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर पर रांची, झारखण्ड की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों को स्वीकृति प्रदान की गई थी :—

1. श्री जयदीप प्रसाद — स्वयं
2. श्रीमती भारती प्रसाद — पत्नी

(2) उक्त अवकाश यात्रा सुविधा के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

प्रथम तल, विन्ध्यांचल भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2026

फा. क्र. 873-इक्कीस-ब(दो)-2018.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र. 46 सन् 2023) की धारा 18 की उपधारा (8) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 7 के (1) एवं नियम 8(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती वंदना परते, अति. जिला अभियोजन अधिकारी, भोपाल को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण एवं प्राधिकृत अधिकारी, भोपाल के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से अभियोजन संचालन हेतु कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा अन्य कोई आदेश होने तक के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2026

फा. क्र. 215-2-1080083-इक्कीस-ब(दो)-2026.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, श्री प्रदीप राठौर को महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में पूर्व से स्वीकृत अतिरिक्त सचिव के रिक्त पद पर आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष अथवा अन्य व्यवस्था होने तक जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति प्रदान कर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में पदस्थ करता है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन-(114)-विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना (3428)-महाधिवक्ता में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 215-3-1080083-इक्कीस-ब(दो)-2026.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री लखनलाल गर्ग को अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली में पूर्व से स्वीकृत अतिरिक्त सचिव के रिक्त पद पर आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष अथवा अन्य व्यवस्था होने तक जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 215-1-1080083-इक्कीस-ब(दो)-2026.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री अजय कुमार सिंह को महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में पूर्व से स्वीकृत सचिव के रिक्त पद पर आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष अथवा अन्य व्यवस्था होने तक जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन-(114)-विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना महाधिवक्ता में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2026

क्र. 940-2026-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की अनुशंसा से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरुप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सौंपता है :—

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	कु. पुनीता चौहान, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर (म. प्र.).	व्यवहार न्यायालय, वरिष्ठ खण्ड, पवई, जिला पन्ना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर.
2.	श्री सुशील गहलोत, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी (म. प्र.).	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बिजावर, जिला छतरपुर में रिक्त पद पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार पाठक, सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2026

क्र. 1685-आर-2919498-2025-तेरह .—यत:, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-36-2021-ए-ग्यारह, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 द्वारा एथेनॉल तथा जैव ईंधन उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु योजना स्वीकृत की है, जिसके अधीन दिनांक 31 मार्च, 2024 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्राप्त करने वाली समस्त एथेनॉल उत्पादन इकाईयां प्रोत्साहन हेतु पात्र होगी;

2. और, यत:, समस्त पात्र एथेनॉल उत्पादन इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;

3. और, यत:, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 20 मार्च, 2025 के द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स श्री बालाजी बायो सोल्यूशन फ्यूल्स एलएलपी, जिला जबलपुर एथेनॉल उत्पादन हेतु 33 केव्ही विद्युत संयोजन पर 250 केव्हीए की सीमा तक के विद्युत भार पर दिनांक 30 सितम्बर, 2023 से दिनांक 29 सितम्बर, 2028 तक की अवधि के लिऐ विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;

4. और, यत:, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 20 मार्च, 2025 के द्वारा भी सूचित किया है कि मेसर्स श्री बालाजी बायो सोल्यूशन फ्यूल्स एलएलपी, जिला जबलपुर की एथेनॉल उत्पादन हेतु नई इकाई, दिनांक 30 सितम्बर, 2023 से 29 सितम्बर, 2028 (5 वर्ष) तक की अवधि के लिए सह-उत्पादन प्लांट से उत्पादित विद्युत पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;

5. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मेसर्स श्री बालाजी बायो सोल्यूशन फ्यूल्स एलएलपी, जिला जबलपुर की नवीन एथेनॉल उत्पादन इकाई को उसके 33 के. व्ही. विद्युत संयोजन पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या आपूर्ति की गई विद्युत पर तथा उसके सह-उत्पादन प्लांट से उत्पादित विद्युत पर दिनांक 30 सितम्बर, 2023 से प्रारंभ होने वाली 5 वर्ष तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है:

परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या आपूर्ति की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क के भुगतान ऐसे ऐसी छूट केवल 33 के.व्ही. उच्चदाब विद्युत संयोजन पर 250 केव्हीए की सीमा तक के विद्युत भार पर ही उपलब्ध होगी.

6. यह अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा दिनांक 29 सितम्बर, 2028 तक प्रवृत्त रहेगी.

No. 1685-R-2919498-2025-XIII.—WHEREAS, the Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh *vide* its order No. F-16-36-2021-A-XI, dated 17th September, 2021 has approved as Scheme for Promotion of Ethanol and Biofuel Production, under which all Ethanol Production units achieving commercial production before 31st March, 2024 shall be eligible for incentive;

2. AND, WHEREAS, 100% Exemption from payment of electricity duty for a period of five years from the date of commencement of the commercial production has been provided to all the eligible Ethanol Production units.

3. AND, WHEREAS, the Madhya Pradesh Industrial Develpoment Corporation Limited *vide* its letter dated 20th March, 2025 has intimated that M/s. Shri Balaji Bio Solution Fuels LLP, District Jabalpur is eligible to avail the benefit of exemption from electricity duty for the period 30th September, 2023 to 29th September, 2028 for Ethanol Production on electrical load limited to 250 KVA and 33kV electricity connection;

4. AND, WHEREAS, the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited, *vide* its letter dated 20th March, 2025 has also intimated that the new unit for Ethanol Production of M/s. Shri Balaji Bio Solution Fuels LLP, District Jabalpur is eligible to avail the benefit of exemption from electricity duty on the electricity generated from co-gen plant for the period from 30th September, 2023 to 29th September, 2028 (5 Years);

5. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts new Ethanol Production Unit of M/s. Shri Balaji Bio Solution Fuels LLP, District Jabalpur from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by distribution licensee to its 33kV electricity connection and on the electricity generated form its co-gen plant for a period of 5 years starting from 30th September, 2023:

Provided that such exemption from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by the distribution licensee shall be available only to the extent of 250 KVA electricity load on 33kV high tension electricity connection.

6. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 30th September, 2023 and shall remain in force till 29th September, 2028.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. गौड़, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2026

क्र. I-848899-2026 .—मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्रमांक 26 सन् 1961) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1163-2279534-2024-ए-सोलह, दिनांक 8 अक्टूबर, 2024, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024 में प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री आशीष पालीवाल, प्रभारी उप-श्रम आयुक्त को उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

No. I-848897-2026.—In exercise of the powrs conferred by clause (a) of Section 3 of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961) and in supersession of this department's Notifiction No. 1163-2279534-2024-A-XVI, dated 8th October, 2024, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 11th October, 2024, the State Government, hereby, appoints Shri Ashish Paliwal, In-charge Deputy Labour Commissioner, as the Certifying Officer for the State of Madhya Pradesh, from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, under the provisions of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, अतिरिक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2025

क्र.-तीन-ए-वित्त-स्था.-2025-626.—मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 48-मु.स.-2022-धर्मस्व, दिनांक 29 सितम्बर, 2022 में प्रसारित निर्देशों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, विवेक श्रोत्रिय, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश ''पंजीयक लोक न्यास'' की शक्तियाँ राजस्व अनुभाग, टीकमगढ़ की राजस्व सीमा के अंतर्गत उपयोग करने हेतु श्रीमती संस्कृति मुदित लिटौरिया, अनुविभागीय अधिकारी / अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग टीकमगढ़ को प्रत्यायोजित करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

विवेक श्रोत्रिय, कलेक्टर एवं पंजीयक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 19 फरवरी 2026

[आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति]

क्र.724–भू–अर्जन–2026–रा.प्र.क्र. 0002–अ–82–2025–26.–मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ–12–2–2014–सात–2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अनुसार आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति जारी की गयी है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत् कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर के द्वारा केवलारी विकासखण्ड, उपतहसील उगली में ग्राम रतनपुर से कातोली मार्ग में हिर्री नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य किये जाने हेतु निम्नांकित अनुसूची अनुसार खातेदारों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 9 अनुसार खातेदारों द्वारा प्रारुप "ख" में सहमति प्रस्तुत की गयी है, खातेदारों की सहमति अनुसार कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है.

अतः, निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर (अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा :–

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.न.	खातेदार का नाम	ख.नं.	क्रय करने हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में.)	सिंचित/ असिंचित भूमि का विवरण	अन्य परिसंपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सिवनी	केवलारी रा.नि.म. उगली	कातोली प.ह.नं. 67	सुरजवती भुवनवती हेमवती डीलनसिंह देवेन्द्रसिंह पि. सुमरेसिह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	47	0.18	सिंचित	–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 फरवरी 2026

पत्र क्र.–3002–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	टिकुरी	2.272	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा मनकहरी मछिया फरहद सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2020–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	तिउनी	1.378	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	आलमगंज से परौहन टोला से नहर किनारे होते हुए मुक्तीधाम तिउनी तक सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2023–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मौहरिया–1	0.103	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2036–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	माड़ा	0.765	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2039–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कुम्हरा जुड़वानी	1.092	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2042–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सलैया	0.873	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2045–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	देवगांव कल	2.625	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2048–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	चौरा	1.768	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2051–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	भमरा	2.236	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2054–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बरा	1.009	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2057–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	अतरी	0.218	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2060–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	अमहा	0.131	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2063–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सेमरी	0.978	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2066–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	ओबरा	1.580	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2069–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पिपरा	2.025	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2072–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	रैपुरवा	1.530	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2075–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मनवाही	2.034	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा मनकहरी मछिया फरहद सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2078–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मुडियारी	2.236	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा मनकहरी मछिया फरहद सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2081–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सथिनी	0.637	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा मनकहरी मछिया फरहद सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2084–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	फरहद	1.480	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा मनकहरी मछिया फरहद सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2087–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	हिनौता 1	0.898	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा मनकहरी मछिया फरहद सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2090–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मढ़ा	1.535	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा मनकहरी मछिया फरहद सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2093–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मझिआर	0.320	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा मनकहरी मछिया फरहद सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2096–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बगदरा	1.229	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा मनकहरी मछिया फरहद सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.–2099–भू–अर्जन–2026.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	मनकहरी	5.485	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा मनकहरी मछिया फरहद सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

निवाड़ी, दिनांक 24 फरवरी 2026

प्र.क्र.–0003–अ–82–2025–26.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निवाड़ी	निवाड़ी	निवाड़ीभाटा	33.268	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, निवाड़ी.	केन–बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी निवाड़ी, जिला निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र.2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र.–0004–अ–82–2025–26.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निवाड़ी	निवाड़ी	टीला	7.904	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, निवाड़ी.	केन–बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी निवाड़ी, जिला निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र.2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र.–0005–अ–82–2025–26.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निवाड़ी	निवाड़ी	निवाड़ी खास	5.258	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, निवाड़ी.	केन–बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी निवाड़ी, जिला निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र.2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र.–0006–अ–82–2025–26.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निवाड़ी	निवाड़ी	देवेन्द्रपुरा	35.884	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, निवाड़ी.	केन–बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी निवाड़ी, जिला निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र.2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र.–0007–अ–82–2025–26.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निवाड़ी	निवाड़ी	मुड़ारा	2.029	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, निवाड़ी.	केन–बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी निवाड़ी, जिला निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र.2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र.–0008–अ–82–2025–26.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निवाड़ी	निवाड़ी	असाटी खास	25.614	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, निवाड़ी.	केन–बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी निवाड़ी, जिला निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र.2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र.–0009–अ–82–2025–26.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निवाड़ी	निवाड़ी	विनवारा	6.246	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, निवाड़ी.	केन–बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी निवाड़ी, जिला निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र.2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र.–0010–अ–82–2025–26.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निवाड़ी	निवाड़ी	थौना	38.249	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, निवाड़ी.	केन–बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी निवाड़ी, जिला निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र.2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र.–00011–अ–82–2025–26.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निवाड़ी	निवाड़ी	बम्होरी शीतल	32.862	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, निवाड़ी.	केन–बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी निवाड़ी, जिला निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र.2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र.–0012–अ–82–2025–26.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निवाड़ी	निवाड़ी	घूघंसी खास	0.237	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, निवाड़ी.	केन–बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी निवाड़ी, जिला निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र.2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जमुना भिड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 11 फरवरी 2026

[देखें धारा 7(6) एवं 8(3) देखें]

क्र.–0006–अ–82–2025–26–भू–अर्जन–26–1362.–कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर के प्रस्ताव अनुसार खुरई–रजवास मार्ग एवं बीना–कटनी सेक्शन के 998–0–1 में समपार क्रमांक 8 के एवज में आर.ओ. बी. का निर्माण कार्य (पहुंच मार्ग सहित) हेतु समुचित सरकार मौजा खुरई पटवारी हल्का नंबर 25, तहसील खुरई, जिला सागर की भूमि कुल रकवा 1.133 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन कराये जाने हेतु स्वतंत्र बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था जिसके द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन उपरांत प्रस्तुत सिफारिशें (रिपोर्ट) अधिनियम की धारा 7(6) के तहत् इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

अधिनियम की धारा 8(3) के तहत् समुचित सरकार का यह विनिश्चय भी प्रकाशित किया जाता है कि प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं विशेष समूह द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के परीक्षण उपरांत यह स्पष्ट है कि अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, पारिस्थितिकी में न्यूनतम छेड़–छाड़ और प्रभावित व्यष्टियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित् होता है.

संदीप जी.आर., कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

सागर, दिनांक 23 फरवरी 2026

प्ररूप–क

(नियम 4 देखिए)

क्र.–0012–अ–82–2025–26–भू–अर्जन–2026–1781.–राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन कराना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रमांक–1, सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	खटोला जलाशय निर्माण कार्य
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1– अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, केसली 2– राजस्व निरीक्षक, शहजपुर 3– सरपंच, ग्राम पंचायत, खटोला, वि.ख. केसली. 4– सचिव, ग्राम पंचायत, खटोला, वि.ख. केसली.
(4)	भूमि का विवरण :–	
	(क) जिला	सागर
	(ख) तहसील	केसली
	(ग) ग्राम/नगर	बगदरी खुर्द
	(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	28.560 हे.
	(ड) अर्जित होने वाला क्षेत्र	28.560 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	खटोला जलाशय
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	90.000 हे.
(7)	क्या ग्राम सभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर.

प्ररूप–क

(नियम 4 देखिए)

क्र.–0013–अ–82–2025–26–भू–अर्जन–2026–1782.–राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रमांक–1, सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	खटोला जलाशय निर्माण कार्य
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, केसली 2– राजस्व निरीक्षक, शहजपुर 3– सरपंच, ग्राम पंचायत, खटोला, वि.ख. केसली. 4– सचिव, ग्राम पंचायत, खटोला, वि.ख. केसली.
(4)	भूमि का विवरण :–	
	(क) जिला	सागर
	(ख) तहसील	केसली
	(ग) ग्राम/नगर	खटोला
	(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	38.570 हे.
	(ड) अर्जित होने वाला क्षेत्र	38.570 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	खटोला जलाशय
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	90.000 हे.
(7)	क्या ग्राम सभाओं और या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर.

संदीप जी.आर., कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 19 फरवरी 2026

प्र.क्र.–0005–अ–82 वर्ष 2023–24.– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अमानगंज–गुनौर मार्ग के कि.मी. 5/10 से तुन्ना मेंहदवा मार्ग वाया मढिया टौराह पुरवा मार्ग का निर्माण कार्य हेतु ग्राम पटेलपुरा, तहसील अमानगंज, अनुभाग गुनौर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 26 जुलाई 2024 से एक वर्ष की अवधि के भीतर विभाग के प्रतिवेदनानुसार स्टाफ की कमी एवं उक्त मार्ग निर्माण हेतु तैयार की गई आई.डी. में आवंटन न होने के कारण अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः सार्वजनिक हित/ शासन हित को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 25(2) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, जिनकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	पटेलपुरा	निजी भूमि 0.2252 हे. एवं शास. भूमि 0.0000 हे. इस प्रकार कुल 0.2252 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग, पन्ना.	अमानगंज–गुनौर मार्ग के कि.मी. 5/10 से तुन्ना मेंहदवा मार्ग वाया मढिया टौराह पुरवा मार्ग का निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र.–0006–अ–82 वर्ष 2023–24.– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत महुआखेड़ा से सलेहा पवई मोहन्द्रा मार्ग वाया छपरवारा व्यौहारी इटवां लमकुश मार्ग (लंबाई 10.40 कि.मी.) मार्ग निर्माण कार्य हेतु ग्राम व्यौहारी, तहसील व अनुभाग गुनौर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 26 जुलाई 2024 से एक वर्ष की अवधि के भीतर विभाग के प्रतिवेदनानुसार स्टाफ की कमी एवं उक्त मार्ग निर्माण हेतु तैयार की गई आई.डी. में आवंटन न होने के कारण अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः सार्वजनिक हित/शासन हित को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 25(2) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, जिनकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	व्यौहारी	निजी भूमि 0.040 हे. एवं शास. भूमि 0.000 हे. इस प्रकार कुल 0.040 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग, पन्ना.	महुआखेड़ा से सलेहा पवई मोहन्द्रा मार्ग वाया छपरवारा व्यौहारी इटवां लमकुश मार्ग (लंबाई 10.40 कि.मी.) मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 27 फरवरी 2026

प्र.क्र.–0014–अ–82 वर्ष 2024–25.– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत पन्ना–पहाड़ीखेरा मार्ग लम्बाई 38.65 कि.मी. के निर्माण हेतु भूमि अर्जन हेतु ग्राम इटवांखास तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 27 सितम्बर 2024 एक वर्ष की अवधि के भीतर कृषकों की आराजी खसरा राजस्व स्तर पर विभाजित किये जाने के कारण खसरों की संलग्न सूची में अंकित नामों से मिलान न होने के कारण अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 19(7) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, जिनकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन करने हेतु व्यपगत दिनांक से (01) एक वर्ष की अवधि बढ़ाई जाती है :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	इटवांखास	निजी भूमि 3.9171 हे. एवं शास. भूमि 0.0000 हे. इस प्रकार कुल 3.9171 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग पन्ना.	पन्ना–पहाड़ीखेरा मार्ग लम्बाई 38.65 कि.मी. के निर्माण हेतु भूमि अर्जन हेतु ग्राम इटवांखास तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र.–0021–अ–82 वर्ष 2024–25.– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत हरनामपुर–भखुरी मार्ग लम्बाई 4.70 कि.मी. में आने वाली भूमि मार्ग निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन हेतु ग्राम भखुरी तहसील व अनुभाग अजयगढ़, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 14 फरवरी 2025 से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रभावित कृषकों की सूची अनुसार अनेक प्रभावित कृषकों की आराजी खसरा राजस्व स्तर पर विभाजित किये जाने के कारण खसरों की संलग्न सूची में अंकित नामों से मिलान न होने के कारण अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 19(7) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, जिनकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनियम की धारा–19 का प्रकाशन करने हेतु व्यपगत दिनांक से (01) एक वर्ष की अवधि बढ़ाई जाती है :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	भखुरी	निजी भूमि 1.400 हे. एवं शास. भूमि 0.000 हे. इस प्रकार कुल 1.400 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग, पन्ना.	हरनामपुर–भखुरी मार्ग लम्बाई 4.70 कि.मी. में आने वाली भूमि मार्ग निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन हेतु ग्राम भखुरी तहसील व अनुभाग अजयगढ़, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 2 मार्च 2026

प्र.क्र.–38–अ–82–वर्ष 2025–26.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	रानीपुर	निजी भूमि रकबा 22.631 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 22.631 भूमि.	उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.	ललितपुर–सतना, रीवा–सिंगरौली, महोबा–खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु, (अतिरिक्त भूमि प्रस्ताव).

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेल्वे खजुराहो, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.–39–अ–82–वर्ष 2025–26.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	सरकोहा	निजी भूमि रकबा 0.716 हे. एवं शास. भूमि पर स्थित 03 मकान इस प्रकार कुल रकबा 0.716 हे. भूमि.	उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.	ललितपुर–सतना, रीवा–सिंगरौली, महोबा–खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण कार्य हेतु, (अतिरिक्त भूमि प्रस्ताव)

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 10 मार्च 2026

प्र.क्र.–40–अ–82– वर्ष 2025–2026.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	कूड़न	निजी भूमि पर स्थित प्रभावित मकानों की संख्या–03 तथा रकबा 111.26 व.मी. एवं शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की संख्या–02 रकबा 71.68 वर्गमीटर भूमि इस प्रकार कुल मकानों की संख्या 05 क्षेत्रफल 182.95 व.मी. भूमि.	कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग, क्रं. 1 पवई, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश.	केन–बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु (पूरक प्रस्ताव) भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रं.–1 पवई, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.–41–अ–82– वर्ष 2025–26.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	मरहा	निजी भूमि पर स्थित प्रभावित मकानों की संख्या 01 क्षेत्रफल 42.75 वर्गमीटर एवं शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की संख्या 08 क्षेत्रफल 637.125 व मी. भूमि इस प्रकार कुल मकानों की संख्या 09, क्षेत्रफल 679.875 व.मी. भूमि.	कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग, क्रं. 1 पवई, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश.	केन–बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु (पूरक प्रस्ताव) भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रं.–1 पवई, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 23 जनवरी 2026

क्र.–197–भू–अर्जन 2026.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	नौरोजाबाद	सेमरिहा	1.90	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	दुलहरी तालाब योजना एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

क्र.–198–भू–अर्जन 2026.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	नौरोजाबाद	कनेरी	1.670	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	दुलहरी तालाब योजना एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

क्र.–199–भू–अर्जन 2026.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	नौरोजाबाद	दुलहरी	2.310	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	दुलहरी तालाब योजना एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

क्र.–200–भू–अर्जन 2026.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	नौरोदाबाद	ठुठाकुदरी	1.470	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	दुलहरी तालाब योजना एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

क्र.–201–भू–अर्जन 2026.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	नौरोजाबाद	सिंहपुर	5.050	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	दुलहरी तालाब योजना एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – दुलहरी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 6 फरवरी 2026

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (धारा 11)

क्र.–792–भू–अर्जन 2026.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. बमरहा तालाब के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :–

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	हनुमना	नरसिंहपुर		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मऊगंज, मध्यप्रदेश.	निर्माणाधीन बमरहा बांध योजना के बांध डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम नरसिंहपुर की छूटी हुई निजी भूमि.
		निजी भूमि	4.463		
		शासकीय भूमि	–		
		योग :–	4.463		

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 जनवरी 2026

पं.क्र. 1052–प्र.वा.–भू–अर्जन–2026

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा – 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
जिला - रीवा
तहसील - हुजूर
ग्राम - ढेकहा
क्षेत्रफल - 0.005 हे.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
1	श्रीमती अनीसअली पुत्री इकराम हुसैन पत्नी उस्मानी पता मैदानी रीवा मध्यप्रदेश	175/10	0.001
2	राजेन्द्र शर्मा पिता राममिलन शर्मा पता ढेकहा हुजूर नगर रीवा मध्यप्रदेश	175/12	0.001
3	बेवा शकुंतला पति राजसिंह, हर्षवर्धन, हर्षिका पिता राजसिंह पता कृषि महाविद्यालय परिसर रीवा	175/20	0.001
4	विदेहराज गुप्ता पिता हरिश्चंद्र गुप्ता पता ढेकहा हुजूर नगर रीवा मध्यप्रदेश	175/7	0.001
5	सतीश कुमार पिता हरिश्चंद्र जाति गुप्ता पता ढेकहा हुजूर नगर रीवा मध्यप्रदेश	175/8	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है – "**रीवा शहर के ढेकहा तिराहे पर जंक्शन इम्प्रूवमेंट एवं सड़क निर्माण**" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा (भू-अर्जन शाखा) में देखा जा सकता है।

प.क्र. 2028–भू–अर्जन–2026 रीवा, दिनांक 20 फरवरी 2026

ग्राम कछिगवां तहसील जवा जिला रीवा में चौखण्डी से बसरेही मार्ग में लाम्बा नाला पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य निजी भूमि रकवा 0.0461हे. का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 15 नवंबर 2024 को प्रकाशन किया गया था।

भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार (कलेक्टर) द्वारा 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए किये जाने के अधिकार प्राप्त हैं, अतः धारा 19 (7) के तहत 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए ग्राम कछिगवां तहसील जवा की निजी भूमि का धारा-19 के प्रकाशन हेतु निम्नानुसार अनुसूची संलग्न है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) नगर/ग्राम- कछिगवां

(घ) क्षेत्रफल- 0.0461हे.

क्र.	भू-स्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)
1	उमेश कुमार पिता इन्द्रजीत, देवेन्द्र कुमार पिता मुंशीलाल, छेदीलाल पिता मुंशीलाल, धीरेन्द्र कुमार पिता मुंशीलाल, श्रवण कुमार पिता मुंशीलाल, झलर प्रसाद पिता इन्द्रजीत, राजेन्द्र प्रसाद पिता इन्द्रजीत, मनोज कुमार पिता रामदुलारे, हृदेश कुमार पिता रामदुलारे, दुर्गेश कुमार पिता रामदुलारे प्रमोद कुमार पिता रामदुलारे, रामशिरोमणि पिता रामसमालिया, राजेन्द्र प्रसाद पिता रामसमालिया, रामानंद पिता रामसमालिया, संतदास पिता रामसमालिया, वीरेन्द्र प्रसाद पिता रामसमालिया, दयानिधि पिता रामसमालिया ब्रा.	58	0.0349
2	उमेश कुमार पिता इन्द्रजीत, देवेन्द्र कुमार पिता मुंशीलाल, छेदीलाल पिता मुंशीलाल, धीरेन्द्र कुमार पिता मुंशीलाल, श्रवण कुमार पिता मुंशीलाल, झलर प्रसाद पिता इन्द्रजीत, राजेन्द्र प्रसाद पिता इन्द्रजीत, मनोज कुमार पिता रामदुलारे, हृदेश कुमार पिता रामदुलारे, दुर्गेश कुमार पिता रामदुलारे, प्रमोद कुमार पिता रामदुलारे, रामशिरोमणि पिता रामसमालिया, राजेन्द्र प्रसाद पिता रामसमालिया, रामानंद पिता रामसमालिया, संतदास पिता रामसमालिया, वीरेन्द्र प्रसाद पिता रामसमालिया, दयानिधि पिता रामसमालिया ब्रा.	60	0.0112
	कुल योग 02 किता (हे.में)		0.0461हे.

1- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रीवा जिले के चौखण्डी से बसरेही मार्ग में लाम्बा नाला पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य हेतु।

2- भूमि का नक्सा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 48–भू–अर्जन–2026–रा.प्र.क्र.08–अ–82–2025–26

नीमच, दिनांक 18 फरवरी 2026

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 01 में कार्यपालन यंत्री, लोक निमार्ण विभाग, संभाग नीमच के द्वारा बालागंज बायपास लंबाई 280 मी. के लिए निजी भूमि अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम बालागंज के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/भूमिस्वामी एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे कमांक 180/1, 181, 184, 182/1, 182/2, 185, 171, 169 कुल रकबा 3.060 हेक्टर में से अधिग्रहित रकबा 0.2589 हेक्टर की भूमि बालागंज बायपास मार्ग के निमार्ण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम **बालागंज** से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4,5 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात की प्रारंभिक प्रकिया नवीन भू–अर्जन के प्रकरणों में करने संबंधी कार्य पर भू–अर्जन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि "सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट–जहॉ 40 के अधीन आत्यंतिकता उपबंधो का अवलंब लेते हुए भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है जहां समुचित सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकेगी" उक्त योजना जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः ऐसी दशा में धारा 40 के प्रावधानुसार अर्जेन्सी का दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 9 के प्रावंधानों के अनुसार सामाजिक सामाघात निर्धारित अध्ययन से छूट दी **गई है।**

भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नही करेंगा। सरकार द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा– 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि भू–अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेगे।

निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
बालागंज बॉयपास मार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम बालागंज	रकबा 0.2589 हेक्टर एवं निर्मित परिसंपत्ति

अनुसूची (2)

बालागंज बायपास के संबंध में बालागंज बायपास मार्ग के निमार्ण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम बालागंज से प्रभावित भूमि का विवरण :– तहसील मनासा व जिला नीमच

क्रं. स.	सवेक्षण संख्यांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्व व्यक्ति का नाम एवं पता	धारा–12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	परिसम्पत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	180/1	0.6	0.0638	रोडीलाल,पिता भावसिंह जाति बंजारा पता बालागंज मनासा नीमच	कार्यपालन यत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच जिला नीमच	निरंक
2	181	0.54	0.055	सजना बाई बेवा लाख जाति बंजारा पता बालागंज मनासा नीमच		निरंक
3	184	0.2	0.0407	सदा पिता अमरा जाति बंजारा पता बालागंज मनासा नीमच		निरंक
4	182/1	0.04	0.011	केशुराम,जाति बंजारा पता बालागंज मनासा नीमच		निरंक
5	182/2	0.05	0.011	जमनीबाई बेवा गोरागंगा रामहरी सिंह भूरालाल बीरबल धापू बाई हंगामी बाई गीता बाई सीता बाई		निरंक
6	185	0.79	0.039	घासिबाई पिता हाजरी जाति बंजारा पता बालागंज मनासा नीमच		निरंक
7	171	0.67	0.023	रूपा उर्फ़ सिददिया पिता रामा जाति बंजारा पता बालागंज मनासा नीमच		निरंक
8	169	0.17	0.0154	मध्यप्रदेश शासन		निरंक

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड– मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 50–भू–अर्जन–2026–रा.प्र.क्र.09–अ–82–2025–26

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 01 में कार्यपालन यंत्री, लोक निमार्ण विभाग, नीमच के द्वारा जामुनिया बायपास लंबाई 330 मी. के लिए निजी भूमि अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम जामुनिया के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/भूमिस्वामी एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे कमांक 281, 282, 283, 284, 288, 292, कुल रकबा 6.708 हेक्टर में से अधिग्रहित रकबा 0.3018 हेक्टर की भूमि जामुनिया बायपास मार्ग के निमार्ण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम जामुनिया से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4,5 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात की प्रारंभिक प्रकिया नवीन भू–अर्जन के प्रकरणों में करने संबंधी कार्य पर भू–अर्जन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि "सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट–जहॉ 40 के अधीन आत्यंतिकता उपबंधो का अवलंब लेते हुए भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है जहां समुचित सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकेगी" उक्त योजना जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः ऐसी दशा में धारा 40 के प्रावधानुसार अर्जेन्सी का दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 9 के प्रावंधानों के अनुसार सामाजिक सामाघात निर्धारित अध्ययन से छूट दी गई है।

भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विंलगम सृजित नही करेंगा। सरकार द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा– 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि भू–अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेगे।

निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
जामुनिया बॉयपास मार्ग के निमार्ण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम जामुनिया	रकबा 0.3018 हेक्टर एवं निर्मित परिसंपत्ति

अनुसूची (2)

जामुनिया बायपास के संबंध में जामुनिया बायपास मार्ग के निमार्ण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत ग्राम जामुनिया से प्रभावित भूमि का विवरण :– तहसील मनासा व जिला नीमच

क्रं. स.	सवेक्षण संख्यांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्व व्यक्ति का नाम एवं पता	धारा–12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	परिसम्पत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	281	0.168	0.0143	भूपेन्द्रसिंह पिता बनेसिंह मेहरबानसिंह पिता बने सिंह दिलीप सिंह पिता भगत सिंह ,बहादुरसिंह पिता बेरिसालसिंह ,हरिदाससिंह पिता देवीशरण,	कार्यपालन यत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच जिला नीमच	निरंक
2	282	0.37	0.008	दिलीप सिंह पिता भगतसिंह झाला, श्रवणसिंह पिता बहादुरसिंह , हरिदाससिंह पिता देवीशरणसिंह		निरंक
3	283	0.218	0.0286	हरिदाससिंह पिता देवीशरणसिंह		निरंक
4	284	0.247	0.0803	हरिदाससिंह पिता देवीशरणसिंह		निरंक
5	288	0.845	0.0968	देवीशरणसिंह पिता जसवंतसिंह		निरंक
6	292	4.860	0.0738	लक्ष्मी कुंवर बेवा लक्ष्मी नारायणसिंह रोहितसिंह राहुलसिंह पिता लाक्ष्मिनारायण, महेंद्रसिंह गजेन्द्र सिंह भोपाल सिंह विक्रम सिंह घनश्याम सिंह भगतकुंवर पिता नरेन्द्रसिंह बरज कुंवर बेवा नरेन्द्र सिंह ,वीरेन्द्र सिंह ,भारत सिंह लक्षमणसिंह पिता रूपसिंह ,राकेश सिंह राजेश सिंह स्वीटी बेवा विश्वेश्वर सिंह ,देवी शरण सिंह शिव कुंवर भगवित कुंवर महेंद्र सिंह प्रताप सिंह सूर्यभान सिंह एकवतसिंह युद्धवीर सिंह नरेन्द्र कुंवर सुरेन्द्र कुंवर पिता जसवत सिंह ,भगवतशरण सिंह तेजपालसिंह भूपेंद्र सिंह पिता प्रभुनाथ सिंह ,गोविन्द कुंवर बेवा प्रभूनाथ सिंह ,मोहनसिंह जीतेन्द्र सिंह लक्ष्मण सिंह भगवान सिंह पिता शिव सिंह		निरंक

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड– मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमांशु चन्द्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 344–भू–अर्जन–2026 सीधी, दिनांक 20 फरवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूंची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– गोपद बनास

(ग) ग्राम :– जमोडीखुर्द

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :– जमोडीखुर्द

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– रकबा 0.0080 हे0

क्र0	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	286/1	0.0080	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी–सिंगरौली नई रेलवे लाईन हेतु अतिरिक्त रकबा हेतु
कुल योग –		**0.0080**		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 346–भू–अर्जन–2026

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – **सीधी**

(ख) तहसील – **चुरहट**

(ग) ग्राम – **हर्दिहा कोठर**

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर – **0008 हर्दिहा कोठर**

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल – **रकवा 0.7690 हे0**

स.क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	भूमिस्वामी का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	78	0.1600	0.0330	नन्दलाल पुत्र अंगद पटेल 1/2, रामाप्रसाद पुत्र अंगद पटेल 1/2	रीवा सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य
2	90	0.1000	0.0410	रामअभिलाष पुत्र मंगल पटेल	
3	91	0.2900	0.0520	रामसखा पुत्र रामचन्द्र पटेल	
4	92/1/1	0.0100	0.0045	इन्द्रवती पटेल पत्नी विद्या प्रसाद पटेल 1/4, मनीष पटेल पुत्र विद्या प्रसाद पटेल 1/4, राममणि पटेल पुत्र विद्या प्रसाद पटेल 1/4, आशा पटेल पुत्री विद्या प्रसाद पटेल 1/4	
5	92/2	0.0100	0.0045	रामाधार पुत्र सुदर्शन पटेल	
6	92/3	0.0200	0.0090	कमलेश कुमार पटेल पुत्र शिवनंदन पटेल	
7	93	0.1200	0.0050	गेंदलाल पुत्र लालमणि 1/3, गोमती पत्नी रामलखन 1/9, सरोज पुत्री रामलखन 1/9, रीता पुत्री रामलखन 1/9, मुन्नी पुत्री लालमणि 1/3	
8	114	0.1500	0.0130	रामाधार पुत्र सुदर्शन पटेल	
9	115	0.2300	0.0040	रामाधार पुत्र सुदर्शन पटेल	
10	132	0.1000	0.0060	लालबिहारी पुत्र बुद्धसेन पटेल 1/3, नेत्रपाल पुत्र बुद्धसेन पटेल 1/3, राजेन्द्र पुत्र बुद्धसेन पटेल 1/3	

स.क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	भूमिस्वामी का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
11	133/4	0.0800	0.0600	बालकरण पुत्र दुलारे साहू 1/5, उर्मिला साहू पुत्री शिवकरण साहू 1/35, धीरेन्द्र साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, मनबहोर साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, शिवदत्त साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, शिवबहोर साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, राजबहोर साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, फगुनी साहू बेवा शिवकरण साहू 1/35, रामकरण पुत्र दुलारे साहू 1/5, दधिबल पुत्र दुलारे साहू 1/5, सुरेश साहू पुत्र भीमसेन साहू 1/30, रैमुनिया साहू बेवा भीमसेन साहू 1/30, मनोज साहू पुत्र भीमसेन साहू 1/30, रविशंकर साहू पुत्र भीमसेन साहू 1/30, कुसुम साहू पुत्री भीमसेन साहू 1/30, रवीन्द्र साहू पुत्र भीमसेन साहू 1/30	रीवा सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य
12	146/1	0.0200	0.0200	रामाधार पुत्र सुदर्शन पटेल	
13	146/2/1/1	0.0960	0.0250	ठाकुरदीन पुत्र छन्गू पटेल	
14	146/2/2/1	0.0400	0.0100	इन्द्रवती पटेल पत्नी विद्या प्रसाद पटेल 1/4, मनीष पटेल पुत्र विद्या प्रसाद पटेल 1/4, राममणि पटेल पुत्र विद्या प्रसाद पटेल 1/4, आशा पटेल पुत्री विद्या प्रसाद पटेल 1/4	
15	146/2/3	0.1000	0.0050	राजबहोर साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/6, शिवबहोर साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/6, मनबहोर साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/6, शिवदत्त साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/6, धीरेन्द्र साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/6, उर्मिला साहू पुत्री शिवकरण साहू 1/6	
16	179/1/1	0.0320	0.0030	रामकरण पुत्र दुलारे साहू 1/5, उर्मिला साहू पुत्री शिवकरण साहू 1/35, मनबहोर साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, धीरेन्द्र साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, शिवदत्त साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, शिवबहोर साहू शिवकरण साहू 1/35, राजबहोर साहू पुत्र शितकरण साहू 1/35, फगुनी साहू बेवा शिवकरण साहू 1/35, दधिबल पुत्र दुलारे साहू 1/5, सुरेश साहू पुत्र भीमसेन साहू 1/30, रैमुनिया साहू बेवा भीमसेन साहू 1/30, मनोज साहू पुत्र भीमसेन साहू 1/30, रविशंकर साहू पुत्र भीमसेन साहू 1/30, कुसुम साहू पुत्री भीमसेन साहू 1/30, रवीन्द्र साहू पुत्र भीमसेन साहू 1/30, बालकरण पुत्र दुलारे साहू 1/5	
17	180/1	0.0080	0.0080	रामकिशोर पुत्र बैजनाथ पटेल	
18	181/1	0.0180	0.0180	योगेन्द्र बहादुर पुत्र यज्ञशरण पटेल 1/3, जयशंकर पुत्र यज्ञशरण पटेल 1/3, शिवाकान्त पुत्र यज्ञशरण पटेल 1/3	

स.क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	भूमिस्वामी का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
19	182	0.0300	0.0060	फूलकुमारी पत्नी रन्जोर पटेल 1/4, बुद्धसेन पुत्र रन्जोर पटेल 1/4, केशव पुत्र रन्जोर पटेल 1/4, पारस पुत्र रन्जोर पटेल 1/4	रीवा सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य
20	183/1	0.0400	0.0170	भैयालाल पुत्र हरदर्शन पटेल	
21	183/2	0.0400	0.0230	शिवदास पुत्र रामावतार पटेल 1/4, रामखेलावन पुत्र रामावतार पटेल 1/4, रामसजीन पुत्र रामावतार पटेल 1/4, केशव पुत्र रामावतार पटेल 1/4	
22	206	0.0200	0.0170	शिव कुमार पुत्र महादेव पटेल	
23	207	0.1000	0.0020	राजपाल पटेल पुत्र राधेलाल पटेल 1/10, बाल्मीक पटेल पुत्र मोतीलाल पटेल 1/4, शिवराज पटेल पुत्र मोतीलाल पटेल 1/4, सुमित्रा पटेल बेवा राधेलाल पटेल 1/10, भाईलाल पटेल पुत्र राधेलाल पटेल 1/10, सुभाष चन्द्र पटेल पुत्र राधेलाल पटेल 1/10, हरिहर पटेल पुत्र राधेलाल पटेल 1/10	
24	210/1	0.0200	0.0040	राजपाल पटेल पुत्र राधेलाल पटेल 1/10, बाल्मीक पटेल पुत्र मोतीलाल पटेल 1/4, शिवराज पटेल पुत्र मोतीलाल पटेल 1/4, सुमित्रा पटेल बेवा राधेलाल पटेल 1/10, भाईलाल पटेल पुत्र राधेलाल पटेल 1/10, सुभाष चन्द्र पटेल पुत्र राधेलाल पटेल 1/10, हरिहर पटेल पुत्र राधेलाल पटेल 1/10	
25	211	0.0200	0.0180	संतमुनि पुत्र बिन्धेश्वरी पटेल	
26	212	0.2500	0.0140	रामबहादुर सिंह पुत्र श्यामलाल सिंह	
27	340/1	0.0100	0.0070	विजय कुमार सिंह पटेल पुत्र रामकुमार पटेल 6655/10000, रजनीश कुमार केवट पुत्र रामनाथ केवट 3345/10000	
28	340/2	0.0200	0.0130	लीलावती पुत्री नन्दलाल पटेल 1/3, विजय बहादुर पटेल पुत्र नन्दलाल पटेल 1/3, कृष्णा देवी पुत्री नन्दलाल पटेल 1/3	
29	341	0.0300	0.0210	फूलकुमारी पत्नी रन्जोर पटेल 1/4, बुद्धसेन पुत्र रन्जोर पटेल 1/4, केशव पुत्र रन्जोर पटेल 1/4, पारस पुत्र रन्जोर पटेल 1/4	
30	342/1	0.0200	0.0140	त्रिवेणी पुत्र भगवानदीन पटेल	
31	342/2	0.0200	0.0140	तीरथ पुत्र भगवानदीन पटेल	
32	343/1	0.0434	0.0150	रामाधार पुत्र सुदर्शन पटेल	
33	343/2	0.0166	0.0070	रामाधार पुत्र सुदर्शन पटेल	
34	344/1	0.1100	0.0240	रामाधार पुत्र सुदर्शन पटेल	
35	344/2	0.0400	0.0180	भैयालाल पुत्र हरदर्शन पटेल	

स.क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	भूमिस्वामी का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
36	363	0.0200	0.0130	सुरेश साहू पुत्र भीमसेन साहू 1/30, रैमुनिया साहू बेवा भीमसेन साहू 1/30, मनोज साहू पुत्र भीमसेन साहू 1/30, रविशंकर साहू पुत्र भीमसेन साहू 1/30, कुसुम साहू पुत्री भीमसेन साहू 1/30, रवीन्द्र साहू पुत्र भीमसेन साहू 1/30, फगुनी साहू बेवा शिवकरण साहू 1/35, राजबहोर साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, शिवबहोर साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, शिवदत्त साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, मनबहोर साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, धीरेन्द्र साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, उर्मिला साहू पुत्र शिवकरण साहू 1/35, रामकरण पुत्र दुलारे साहू 1/5, दधिबल पुत्र दलारे साहू 1/5 बालकरण पुत्र दुलारे साहू 1/5	रीवा सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य
37	364	0.0300	0.0130	शिवदास पुत्र रामावतार पटेल 1/4, रामखेलावन पुत्र रामावतार पटेल 1/4, रामसजीन पुत्र रामावतार पटेल 1/4, केशव पुत्र रामावतार पटेल 1/4	
38	366	0.0700	0.0320	शिवदास पुत्र रामावतार पटेल 1/4, रामखेलावन पुत्र रामावतार पटेल 1/4, रामसजीन पुत्र रामावतार पटेल 1/4, केशव पुत्र रामावतार पटेल 1/4	
39	367	0.0300	0.0300	शिवनारायण पुत्र रामफल पटेल	
40	368/1	0.0150	0.0010	सत्यनारायण पुत्र रामफल पटेल	
41	368/3	0.0150	0.0010	किरण पत्नी रामसुजान पटेल 1/3, प्रतीक पुत्र रामसुजान पटेल 1/3, प्रतीक्षा नाबालिग पुत्री रामसुजान पटेल संरक्षक किरण पटेल 1/3	
42	369	0.0800	0.0420	भगवानदीन पुत्र रामनारायण पटेल	
43	415	0.0900	0.0260	ठाकुरदीन पुत्र छन्गू पटेल	
44	416	0.0800	0.0260	कमलेश कुमार पटेल पिता शिवनंदन पटेल	
45	440	0.0600	0.0120	कमलेश कुमार पटेल पिता शिवनंदन पटेल	
46	441/1	0.0150	0.0050	रामकिशोर पुत्र बैजनाथ पटेल	
47	441/2	0.0150	0.0050	बंशपति पुत्र बैजनाथ पटेल	
48	455/1	0.0252	0.0080	राजमणि पुत्र पियारे पटेल	
कुल रकवा हे0		2.9492	0.7690		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 51–52–भू–अर्जन–2025

शाजापुर, दिनांक 19 फरवरी 2026

प्रकरण कमांक/ 0001/अ–82/2024–25 वर्ष 2024–25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि मे एक आपत्ति का निराकरण धारा 15 के अतंर्गत किया गया तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 7 मे वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन (शुजालपुर से समपार कं. 79 स्थित लेल्वे फाटक पर आर.ओ.बी. निर्माण हेतु भूमि का अर्जन) के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण मे किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एंव पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नही है । धारा 12 की कार्यवाही के उपरांत सम्पत्ति का नुकसान नही होने से धारा 13 के अंतर्गत कार्यवाही की जाना आवश्यक नही है । अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 के अतंर्गत 81 भूमिस्वामियों की प्रस्तावित अर्जक भूमि रकबा 1112.11 वर्गमीटर की घोषणा का प्रकाशन पत्र कमांक/भू–अर्जन/2025/336–337शाजापुर दिनांक 06.11.2025 से किया गया है , प्रकरण में रकबा कम होने से उक्त धारा–19 को निरस्त करते हुए अधिनियम, 2013 अंतर्गत संशोधित धारा–19 का निम्न अनुसूची के कालम नं. 7 मे वर्णित भूमि लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :–

भूमि का विवरणः–

(क) जिलाः– शाजापुर

(ख) तहसील :– शुजालपुर

(ग) ग्रामः– कस्बा शुजालपुर, कमल्या, शुजालपुर आबादी की भूमि

(घ) क्षेत्रफल निजी भूमिः– रकबा 420.78 (वर्गमीटर)

धारा 19 हेतु संशोधित अनुसूची

:– अनुसूची :–

कं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का खसरा कं.	भूमि का कुल रकबा हे. में	पुनः सर्वे सूची अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण वर्गमीटर में		
				आवासीय	व्यवसायिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
सोसायटी सहकारी बैंक से रेल्वे फाटक की ओर कस्बा शुजालपुर						
1	सुनिल कुमार देथल पिता नकजीराम	1951	4.640	0.00	3.66	3.66
2	नेहा पति स्व. नरेन्द्र चितले	1951	4.640	7.32	0.00	7.32
3	पदमकुमार पिता बसन्तीलाल	1951/ 12/1/2	4.640	0.00	9.12	9.12
4	डा. निर्मल जैन पिता बसन्तीलाल	1951/ 12/1/1	4.640	0.00	0.76	0.76
5	विक्रमसिंह सागरसिंह भरतसिंह भोजराज पुत्रगण रामनारायण लखनसिंह पिता कुवंरलाल	1951/9 शा.न. 1951/10,11	4.640	0.00	19.07	19.07
6	डा. दीपचन्द्र सुराना पिता रतनलाल सुराना	1951/3/1	4.640	0.00	1.20	1.20
7	राजकुमार अर्जुनसिंह भीमसिंह महेन्द्रसिंह पिता बापुलाल	1951	4.640	0.00	8.10	8.10
8	अनिता पति मनमोहन यादव तलेन	1951	4.640	0.00	2.77	2.77
9	संदीपकुमार पिता बाबुलाल नेमा	1951	4.640	0.00	4.42	4.42
10	सौरभ,सपन नेमा पिता निंरजन नेमा	1951	4.640	0.00	4.25	4.25
11	हेमलता पति कैलाश सोनानिया	1951	4.640	0.00	5.20	5.20
12	संगीता नेमा पति गौरीशंकर नेमा	1951/2/9582/1/2	4.640	0.00	7.38	7.38
13	हरिसिंह पिता चुन्नीलाल परमार मेहरखेडी	1951/2/9582/1 1	4.640	0.00	7.44	7.44
14	प्रहलादसिंह पिता बलदेव सिंह परमार	1951/2/9	4.640	0.00	7.36	7.36

15	माखनसिंह पिता लाडसिहं परमार पटलावदा	1951	4.640	0.00	4.64	4.64
16	मुन्नीदेवी पति आनन्दीलाल नेमा	1951/23/28 शान. 1951/26,1952/3	4.640	0.00	5.44	5.44
17	जसंवत सिंह,विकमसिंह पिता कन्हैयालाल मऊघाट	1951	4.640	0.00	5.49	5.49
18	हरिचरण पिता तखतसिंह	1951/23/24 शान. 1951/ 23,1952/3	4.640	0.00	4.96	4.96
19	लीलादेवी पति शादीलाल राठौर	1951	4.640	0.00	6.83	6.83
20	हरीश कुमार पिता जैनपाल जैन	1951	4.640	0.00	6.83	6.83
21	जेठु सिंह प्रेमसिंह पिता बापुसिंह	1951 शा.नं.1952	4.640,1.244	0.00	9.98	9.98
22	प्रकाशचन्द्र पिता शान्तीलाल अग्रवाल	1951/33 शान1952/5	4.640,1.244	0.00	8.09	8.09
23	रमेशचंद्र पिता भगवतराव देशमुख	1951 शा.नं.1952	4.640,1.244	0.00	25.24	25.24
24	दिलीप पाटीदार पिता बद्रीप्रसाद पाटीदार	1951/29/5	4.640	0.00	8.67	8.67
25	सरिता पति रामनारायण	1951	4.640	0.00	10.29	10.29
26	सन्तोष पति भागीरथ	1951/29/3 शान,1952/6	4.640, 1.244	0.00	16.10	16.10
कमल्या की भूमि						
27	जितेन्द्र रायकवार पिता मुन्नालाल रायकवार	208	0.125	3.36	0.00	3.36
28	सिद्धनाथसिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपुत	208/4	0.125	3.72	0.00	3.72
29	सुगनदेवी पति बाबुलाल मालवीय	208	0.125	5.20	0.00	5.20
30	पारस पिता किशनलाल	208	0.125	4.36	0.00	4.36
31	शंकरलाल पिता नन्नेलाल	208	0.125	8.08	0.00	8.08
32	पारस पिता किशनलाल	208	0.125	13.20	0.00	13.20
	शुजालपुर आबादी नम्बर					
33	जगदीश यादव पिता परमलाल	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	14.84	0.00	14.84
34	मोहनलाल पिता जुगलकिशोर जाट	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	0.00	3.33	3.33
35	मांगीलाल मदनलाल मोहनलाल पिता धनसिंह विश्वकर्मा	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	12.80	0.00	12.80
	सेंट्रल बैंक से पुलिस चौकी/रेल्वे फाटक की ओर कस्बा			0.00	0.00	0.00
36	नितीक पिता गोपाल नेमा	1964/1/50/2	1.195	0.00	3.72	3.72
37	शिवशंकर, ब्रजमोहन पिता जगन्नाथ नेमा	1960	4.640	0.00	4.34	4.34
38	बंसतीलाल गोपालदास पिता जगन्नाथ नेमा	1960	4.640	0.00	4.34	4.34
39	राजेश पिता राधेश्याम वर्मा	1960/2/5/1	0.009	0.00	8.28	8.28
40	योगेश शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा	1960/2/5/2	4.640	0.00	3.41	3.41
41	राजकुमार, त्रिलोक पिता स्व.छोटेलाल नेमा	1960	4.640	0.00	5.27	5.27
42	गिरधारी, मोहनसिंह पिता रमेशचंद्र परमार	1960/2/8	4.640	0.00	8.39	8.39
43	देवेन्द्र जैन पिता मेघराज	1960/2/4	4.640	0.00	8.39	8.39
44	द्वारका अग्रवाल पिता बालमुकुन्द	1963/5	1.432	17.60	0.00	17.60

45	नवनीतसिंह, अर्पिता, अजमानी पिता जसवीरसिंह, बलवीरसिंह कौर बैवा जसवीरसिंह, सुरिन्दर सिंह पिता	1963/4	1.432	0.00	27.84	27.84
46	ऋषि अग्रवाल पिता ओमप्रकाश	1964/3/1/2/1	4.640	0.00	2.59	2.59
47	सतीश जैन पिता ओमप्रकाश जैन	1964/3/1/2/2	4.640	0.00	2.59	2.59
48	विनोद अग्रवाल पिता हरविलाश	1964/2,1964/3	4.640	0.00	31.35	31.35
49	दादावाडी समिति	1964/5	4.640	0.00	22.70	22.70
50	गोविन्द प्रसाद पिता भैयालाल	1965	3.135	0.00	0.26	0.26
51	रमेश चन्द्र पिता भैयालाल	1965	3.135	0.00	0.26	0.26
		योगः–		**90.48**	**330.30**	**420.78**

नोट–भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/भू–अर्जन अधिकारीशुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 10–अ–82–25–26–भू–अर्जन–26–1932

सागर, दिनांक 26 फरवरी 2026

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमॉक–1 सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार तुलसीपार जलाशय निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम तुलसीपार पट.ह.नं.–36 तहसील केसली जिला सागर की भूमि कुल रकवा 35.620 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप–ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप–ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्नः– प्ररूप–ख एवं ग

संदीप जी आर, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

प्ररुप – ख
(नियम 05 देखिये)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

<table>
<tr><td>1</td><td>परियोजना का नाम</td><td>तुलसीपार जलाशय</td></tr>
<tr><td>2</td><td>लोक प्रयोजन</td><td>तुलसीपार जलाशय निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढेगा जिससे क्षेत्र वासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा</td></tr>
<tr><td>3</td><td>स्थल</td><td>ग्राम तुलसीपार प.ह.न. 76 तहसील केसली</td></tr>
<tr><td>4</td><td>परियोजना का क्षेत्र</td><td>निजि भूमि 35.620 हे. अशासकीय भूमि</td></tr>
<tr><td>5</td><td>विकल्प जिन पर विचार किया गया</td><td>अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तुलसीपार जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है</td></tr>
<tr><td>6</td><td>परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियत्रंण सहित</td><td>कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक –1 सागर जिला सागर</td></tr>
<tr><td>7</td><td>परियोजना निर्माण के चरण</td><td>तुलसीपार जलाशय निर्माण योजना प्रथम चरण</td></tr>
<tr><td>8</td><td>परियोजना के प्रभावो को दर्शाने वाला क्षेत्र के नक्शे</td><td>संलग्न है</td></tr>
<tr><td>9</td><td>परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि</td><td>तुलसीपार बसा प.ह.न. 76 तहसील केसली निजि भूमि 35.620 हे. अशासकीय भूमि</td></tr>
<tr><td>10</td><td>भूमि का मूल्य</td><td>ग्राम तुलसीपार की वर्ष 2025–26 की गाईड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजि भूमि 35.620 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 480000–00 मात्र एंव असिंचत 240000–00 रूपये मात्र है।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>प्रभावित परिवारो की संख्या (अधिनियम की धारा 03 के खण्ड ग के अनुसार)</td><td>02</td></tr>
<tr><td>12</td><td>परिसंपत्तिया</td><td>लोक परिसंपति – कोई लोक परिसंपति प्रभावित नही हो रही है</td></tr>
<tr><td>13</td><td>विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई</td><td>विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई
परिवारो की संख्या
<table>
<tr><th>अ.जा.</th><th>अ.ज.जा.</th><th>अन्य</th><th>योग</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
जिनके मकान अर्जित हुए परिवारो की संख्या
<table>
<tr><th>अ.जा.</th><th>अ.ज.जा.</th><th>अन्य</th><th>योग</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>14</td><td>सामाजिक समाघात
(क) समाघातो का विवरण</td><td>निरंक</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) समाघातो की संकेतक सूची</td><td>निरंक</td></tr>
<tr><td>15</td><td>विकल्प जिनपर विचार किया गया
(क) यदि हो– तो वर्तमान प्रस्ताव की अधिमान्यता क्यो दी गई</td><td>अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तुलसीपार जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णत उपयुक्त है परियोजना निमर्ण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढेगा जिससे क्षेत्र वासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) यदि नही तो क्यो</td><td>निरंक</td></tr>
<tr><td>16</td><td>निष्कर्ष</td><td>लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्र वासियो की आय बढेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है।</td></tr>
</table>

प्ररुप – ग

(नियम 05 देखिये)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातो के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय–

1	प्रभावित परिवारो की जीविका	प्रभावित नहीं है
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं है
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवाहन	प्रभावित नहीं है
4	जल मल निकासी एंव स्वछता	प्रभावित नहीं है
5	पेज जल स्त्रोत	प्रभावित नहीं है
6	पशुओ के लिए जल स्त्रोत	प्रभावित नहीं है
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं है
8	जन सुविधाए (पोस्ट आफिस, उचित मूल्य दुकान, विधुत अपूर्ति, स्वास्थ सुविधाए, स्कूल आगनवाडी, बाल उघान, समसान एंव कब्रस्तान)	प्रभावित नहीं है
9	वे उपाए जिनके बारे मे आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में सामिल करेगा	बिन्दु क्र.01 से लगायत 08 प्रभावित न होने से किसी अन्य उपाए की आवश्यकता नही है।
10	अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में आपेक्षिक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया और जनसुनवाईयो के निष्कर्षों के प्रतिउत्तर में उनका जिम्मा लेगे	बिन्दु क्र.01 से लगायत 08 प्रभावित न होने से किसी उपाए की आवश्यकता नही है। अतः यह बिन्दु भी निरकं है।

क्र. 11–अ–82–25–26–भू–अर्जन–2026–1935

सागर, दिनांक 26 फरवरी 2026

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमॉक–1 सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार तुलसीपार जलाशय निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम वसा पट.ह.नं.–36 तहसील केसली जिला सागर की भूमि कुल रकवा 29.100 हे. भूमि का समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप–ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप–ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्नः– प्ररूप–ख एवं ग

संदीप जी आर, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

प्ररुप – ख

(नियम 05 देखिये)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	तुलसीपार जलाशय
2	लोक प्रयोजन	तुलसीपार जलाशय निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बढेगा जिससे क्षेत्र वासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
3	स्थल	ग्राम बसा प.ह.न. 76 तहसील केसली
4	परियोजना का क्षेत्र	निजि भूमि 29.100 हे. अशासकीय भूमि
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तुलसीपार जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियत्रंण सहित	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक –1 सागर जिला सागर
7	परियोजना निर्माण के चरण	तुलसीपार जलाशय निर्माण योजना प्रथम चरण
8	परियोजना के प्रभावो को दर्शाने वाला क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है
9	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	ग्राम बसा प.ह.न. 76 तहसील केसली निजि भूमि 29.100 हे. अशासकीय भूमि
10	भूमि का मूल्य	ग्राम बसा की वर्ष 2025–26 की गाईड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजि भूमि 35.620 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 650000–00 मात्र एंव असिंचत 325000–00 रूपये मात्र है।
11	प्रभावित परिवारो की संख्या (अधिनियम की धारा 03 के खण्ड ग के अनुसार)	0
12	परिसंपत्तिया	लोक परिसंपति – कोई लोक परिसंपति प्रभावित नही हो रही है
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारो की संख्या अ. जा. | अ.ज. जा. | अन्य | योग 0 | 0 | 0 | 0 जिनके मकान अर्जित हुए परिवारो की संख्या अ.जा. | अ.ज. जा. | अन्य | योग 0 | 0 | 0 | 0
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातो का विवरण	निरंक
	(ख) समाघातो की संकेतक सूची	निरंक
15	विकल्प जिनपर विचार किया गया (क) यदि हो– तो वर्तमान प्रस्ताव की अधिमान्यता क्यो दी गई	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तुलसीपार जलाशय निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निमर्ण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासियो का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा
	(ख) यदि नही तो क्यो	निरंक
16	निष्कर्ष	लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बडेगा जिससे क्षेत्र वासियो की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है।

प्ररुप – ग

(नियम 05 देखिये)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातो के समाघान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय–

1	प्रभावित परिवारो की जीविका	प्रभावित नहीं है
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं है
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवाहन	प्रभावित नहीं है
4	जल मल निकासी एंव स्वछता	प्रभावित नहीं है
5	पेज जल स्त्रोत	प्रभावित नहीं है
6	पशुओ के लिए जल स्त्रोत	प्रभावित नहीं है
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं है
8	जन सुविधाए (पोस्ट आफिस, उचित मूल्य दुकान, विधुत अपूर्ति, स्वास्थ सुविधाए, स्कूल आगनवाडी, बाल उघान, समसान एंव कब्रस्तान)	प्रभावित नहीं है
9	वे उपाए जिनके बारे मे आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में सामिल करेगा	बिन्दु क्र.01 से लगायत 08 प्रभावित न होने से किसी अन्य उपाए की आवश्यकता नही है।
10	अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में आपेक्षिक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया और जनसुनवाईयो के निष्कषों के प्रतिउत्तर में उनका जिम्मा लेगे	बिन्दु क्र.01 से लगायत 08 प्रभावित न होने से किसी उपाए की आवश्यकता नही है। अतः यह बिन्दु भी निरकं है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 27 फरवरी 2026

प्रकरण कमांक 0029/अ–82 वर्ष 2024–25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला – पन्ना
(ख) तहसील – अमानगंज
(ग) ग्राम – महेबा
(घ) क्षेत्रफल – 66.558 हेक्टेयर.

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	5800/1	0.200	निजी भूमि
2	4736/1	0.281	निजी भूमि
3	4740/1	0.035	निजी भूमि
4	4741/2/1	0.141	निजी भूमि
5	4736/2	0.140	निजी भूमि
6	4737/1	0.215	निजी भूमि
7	4739/2/2	0.138	निजी भूमि
8	4772/2/2/1	0.136	निजी भूमि
9	5075/1	0.070	निजी भूमि
10	5076/1	0.060	निजी भूमि
11	4789	0.097	निजी भूमि
12	4790	1.473	निजी भूमि
13	4794/2	0.255	निजी भूमि
14	4795/2	0.045	निजी भूमि
15	4796/1/1	0.251	निजी भूमि
16	4800/1/2	0.085	निजी भूमि
17	4808/1/1/2	0.115	निजी भूमि
18	4715/2/1	0.055	निजी भूमि
19	4722/3	0.109	निजी भूमि
20	4723/2	0.389	निजी भूमि
21	4724/1/1	0.250	निजी भूमि

22	4724/1/3	0.530	निजी भूमि
23	4737/2	0.107	निजी भूमि
24	5075/2	0.076	निजी भूमि
25	4772/1/1/2/1	0.020	निजी भूमि
26	5096	0.089	निजी भूमि
27	4792/2	0.696	निजी भूमि
28	4793/2	0.040	निजी भूमि
29	4722/2	0.055	निजी भूमि
30	4724/1/2	0.520	निजी भूमि
31	4737/3	0.107	निजी भूमि
32	4739/2/1	0.138	निजी भूमि
33	4772/1/1/1/1	0.125	निजी भूमि
34	5076/2	0.167	निजी भूमि
35	4792/1	0.696	निजी भूमि
36	4793/1	0.073	निजी भूमि
37	4796/1/2	0.251	निजी भूमि
38	4715/2/2	0.442	निजी भूमि
39	4716	0.097	निजी भूमि
40	4722/1	0.055	निजी भूमि
41	4738	0.502	निजी भूमि
42	4786	1.360	निजी भूमि
43	4784/1	0.517	निजी भूमि
44	4802	0.688	निजी भूमि
45	4714	0.350	निजी भूमि
46	4739/1	0.275	निजी भूमि
47	5097/1	0.085	निजी भूमि
48	4773/1	0.142	निजी भूमि
49	4785	0.024	निजी भूमि
50	4787	0.097	निजी भूमि
51	4726	0.219	निजी भूमि
52	4717	0.200	निजी भूमि
53	4715/1/1	0.098	निजी भूमि
54	4724/2/1/1	0.046	निजी भूमि
55	4725/1	0.083	निजी भूमि
56	4706/1	0.080	निजी भूमि
57	4706/2	0.080	निजी भूमि
58	4707/1	0.070	निजी भूमि
59	4686/1	0.900	निजी भूमि
60	4689/1	0.190	निजी भूमि
61	4690	0.105	निजी भूमि
62	4707/2	0.070	निजी भूमि
63	4686/2	0.900	निजी भूमि

64	4689/2	0.150	निजी भूमि
65	4695	0.057	निजी भूमि
66	4803/1/1	0.096	निजी भूमि
67	4688/1	0.004	निजी भूमि
68	4687/1	0.384	निजी भूमि
69	4804/1	0.158	निजी भूमि
70	4708/1/3	0.540	निजी भूमि
71	4671/1/2	0.040	निजी भूमि
72	4688/2	0.206	निजी भूमि
73	4687/3/2	0.800	निजी भूमि
74	4691	0.186	निजी भूमि
75	4692	0.129	निजी भूमि
76	4693	0.615	निजी भूमि
77	4694/2	0.600	निजी भूमि
78	4694/1	0.581	निजी भूमि
79	5052/1/1	0.500	निजी भूमि
80	5133/3	0.100	निजी भूमि
81	5052/1/2/1	0.500	निजी भूमि
82	5135/1/1	0.090	निजी भूमि
83	5136/1/3	0.220	निजी भूमि
84	5136/2/9	0.110	निजी भूमि
85	5139/2	0.199	निजी भूमि
86	5502/1/5	0.145	निजी भूमि
87	5502/2/1	0.052	निजी भूमि
88	5502/2/3	0.120	निजी भूमि
89	5060/1	0.101	निजी भूमि
90	5061	0.260	निजी भूमि
91	5052/2/1	0.388	निजी भूमि
92	5052/2/2	0.500	निजी भूमि
93	5134/3	0.100	निजी भूमि
94	5135/1/4	0.150	निजी भूमि
95	5135/1/6	0.200	निजी भूमि
96	5135/2/2	0.100	निजी भूमि
97	5136/2/3	0.350	निजी भूमि
98	5502/1/2	0.160	निजी भूमि
99	5053	0.126	निजी भूमि
100	5052/2/3	0.500	निजी भूमि
101	5502/1/4	0.195	निजी भूमि
102	5503	0.267	निजी भूमि
103	5504	0.170	निजी भूमि
104	5062/1	0.040	निजी भूमि
105	5133/2	0.050	निजी भूमि

106	5135/1/3	0.090	निजी भूमि
107	5136/1/2	0.220	निजी भूमि
108	5136/1/4	0.220	निजी भूमि
109	5136/2/7	0.580	निजी भूमि
110	5137	0.299	निजी भूमि
111	5060/2	0.102	निजी भूमि
112	5062/2	0.040	निजी भूमि
113	5133/5	0.050	निजी भूमि
114	5134/2	0.100	निजी भूमि
115	5135/1/9	0.230	निजी भूमि
116	5502/2/2	0.335	निजी भूमि
117	5059	0.211	निजी भूमि
118	5063	0.030	निजी भूमि
119	5064/1	0.217	निजी भूमि
120	5064/2	0.217	निजी भूमि
121	5064/3	0.195	निजी भूमि
122	5106	0.154	निजी भूमि
123	5107	0.081	निजी भूमि
124	5114/3/1	0.256	निजी भूमि
125	5089	0.559	निजी भूमि
126	5064/4	0.195	निजी भूमि
127	5090	0.040	निजी भूमि
128	5094/2	0.085	निजी भूमि
129	5064/5	0.195	निजी भूमि
130	5094/1	0.085	निजी भूमि
131	5099	0.129	निजी भूमि
132	5064/6	0.195	निजी भूमि
133	5074/2	0.233	निजी भूमि
134	5077	0.251	निजी भूमि
135	5098	0.097	निजी भूमि
136	5084	0.324	निजी भूमि
137	5093	0.340	निजी भूमि
138	5085	0.081	निजी भूमि
139	5514/1/1	0.628	निजी भूमि
140	5514/2/1	0.628	निजी भूमि
141	5082	0.162	निजी भूमि
142	5086	0.065	निजी भूमि
143	5087	0.065	निजी भूमि
144	5088	0.097	निजी भूमि
145	5108	0.089	निजी भूमि
146	5114/2/1	0.197	निजी भूमि
147	5080	0.089	निजी भूमि

148	5081	0.089	निजी भूमि
149	5083	0.073	निजी भूमि
150	5078	0.089	निजी भूमि
151	5079	0.089	निजी भूमि
152	5067	0.100	निजी भूमि
153	5091	0.178	निजी भूमि
154	5092	0.178	निजी भूमि
155	5520/2	0.600	निजी भूमि
156	5065	0.130	निजी भूमि
157	5095	0.267	निजी भूमि
158	4788	1.197	निजी भूमि
159	4794/1	0.255	निजी भूमि
160	4795/1	0.044	निजी भूमि
161	4796/2	1.053	निजी भूमि
162	4797	0.388	निजी भूमि
163	5097/2	0.085	निजी भूमि
164	4773/2	0.141	निजी भूमि
165	4723/1	0.388	निजी भूमि
166	4724/2/1/2	0.257	निजी भूमि
167	4798/1	0.227	निजी भूमि
168	4715/1/2	0.400	निजी भूमि
169	4799/1	0.056	निजी भूमि
170	4800/1/1	0.983	निजी भूमि
171	4801/1	0.085	निजी भूमि
172	4799/3	0.028	निजी भूमि
173	4800/3	0.700	निजी भूमि
174	4798/2	0.114	निजी भूमि
175	4798/3	0.113	निजी भूमि
176	4799/2	0.029	निजी भूमि
177	4800/2/1	0.300	निजी भूमि
178	4800/2/2	0.400	निजी भूमि
179	4801/2	0.043	निजी भूमि
180	4801/3	0.042	निजी भूमि
181	4803/1/2	0.110	निजी भूमि
182	4708/1/2	0.050	निजी भूमि
183	4804/2	0.158	निजी भूमि
184	4803/2	0.102	निजी भूमि
185	4806	0.057	निजी भूमि
186	4807/1	0.030	निजी भूमि
187	4807/4	0.050	निजी भूमि
188	4807/2	0.050	निजी भूमि
189	4807/3	0.050	निजी भूमि

190	4808/1/1/1	0.020	निजी भूमि
191	4808/1/1/2	0.085	निजी भूमि
192	4809	0.360	निजी भूमि
193	4808/1/2/1	0.058	निजी भूमि
194	4808/1/2/2	0.129	निजी भूमि
195	4808/1/3	0.311	निजी भूमि
196	4808/1/2/3	0.083	निजी भूमि
197	4772/1/1/3/1	0.060	निजी भूमि
198	4808/2	0.572	निजी भूमि
199	4808/3	0.189	निजी भूमि
200	4808/4	0.116	निजी भूमि
201	4849	0.300	निजी भूमि
202	5104	0.073	निजी भूमि
203	5105	0.057	निजी भूमि
204	5109	0.113	निजी भूमि
205	5113/1	0.091	निजी भूमि
206	5114/1/1	0.387	निजी भूमि
207	5133/1	0.050	निजी भूमि
208	5136/2/6	0.445	निजी भूमि
209	5138	0.291	निजी भूमि
210	5133/4	0.050	निजी भूमि
211	5134/1	0.070	निजी भूमि
212	5135/1/8	0.300	निजी भूमि
213	5136/2/8	0.200	निजी भूमि
214	5139/1	0.198	निजी भूमि
215	5134/4	0.100	निजी भूमि
216	5502/2/8	0.520	निजी भूमि
217	5134/5	0.082	निजी भूमि
218	5135/1/10	0.150	निजी भूमि
219	5136/2/1	0.080	निजी भूमि
220	5135/1/2	0.090	निजी भूमि
221	5502/1/3	0.340	निजी भूमि
222	5502/2/5	0.120	निजी भूमि
223	5058	0.200	निजी भूमि
224	5135/1/5	0.320	निजी भूमि
225	5502/1/1	0.160	निजी भूमि
226	5502/2/6	0.213	निजी भूमि
227	5057/1	0.400	निजी भूमि
228	5135/2/1	0.460	निजी भूमि
229	5136/2/2	0.420	निजी भूमि
230	5136/2/5	0.445	निजी भूमि
231	5136/1/1	0.370	निजी भूमि

232	5502/2/4	0.120	निजी भूमि
233	5136/2/4	0.370	निजी भूमि
234	5057/2	0.500	निजी भूमि
235	5499	0.227	निजी भूमि
236	5500	0.073	निजी भूमि
237	5501	0.097	निजी भूमि
238	5505	0.049	निजी भूमि
239	5506	0.267	निजी भूमि
240	5507	0.081	निजी भूमि
241	5508	1.000	निजी भूमि
242	5509	0.462	निजी भूमि
243	5510	3.650	निजी भूमि
244	5511	0.275	निजी भूमि
245	5512/1	0.733	निजी भूमि
246	5519/1/1	0.300	निजी भूमि
247	5519/2	0.300	निजी भूमि
248	5520/1/1	0.600	निजी भूमि
249	5520/1/2	0.600	निजी भूमि
250	4727	0.040	निजी भूमि
251	4728	1.078	निजी भूमि
252	4713	0.677	निजी भूमि
253	4741/1/1	0.174	निजी भूमि
254	4687/2/1	0.500	निजी भूमि
255	4743/1	0.387	निजी भूमि
256	4671/1/1	0.040	निजी भूमि
257	4671/2	0.040	निजी भूमि
258	6068/4780	0.308	निजी भूमि
259	4782	0.154	निजी भूमि
	कुल किता–259	66.558 हे0	

{2} सेमरी तालाब योजना अंतर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र (छूटे हुये रकबे) का निर्माण कार्य हेतु धारा–19 का प्रकाशन ग्राम महेबा तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर जिला पन्ना।

{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना जिला पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 26 फरवरी 2026

कमांक 0020/अ–82/2025–26 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची–1 के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा–11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची–1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

–: अनुसूची – 1 :–

भूमि

जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग मीटर	धारा–12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर/अरनिया सुल्तानपुरा	भूमि – 5.661 हें.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू–अर्जन

–: अनुसूची – 2 :–

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा हे. में	अर्जित रकबा हे. में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	हेमसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/1/1/1	0.241	0.241	
2	बिशनसंहि पुत्र कमलसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/1/12	0.242	0.242	
3	भगवानसिंह पुत्र कमलसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/1/1/3	0.242	0.242	
		163	0.619	0.080	
4	रामनाथसिंह पिता भँवरजी जाति राजपूत पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/1/2	0.237	0.237	
5	विजयबाई पत्नी सैतान सिंह जाति राजपूत पता अरनियासुल् श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश. भूमि स्वामी	27/1/3/1	0.245	0.245	
6	गजराजसिंह पुत्र विकरमसिंह राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/1/3/2	0.123	0.123	
		39/3/2	0.020	0.020	
7	सजनसिंह पुत्र विकमसिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/1/3/3	0.123	0.123	
8	दीपसिंह, जगदीशसिंह पुत्र जोतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/1/3/4	0.379	0.379	
9	चतरसिंह पुत्र अनूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश. भूमि स्वामी	27/2	0.289	0.289	

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा हे. में	अर्जित रकबा हे. में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
10	विष्णुनाथसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/3/1	0.245	0.245	
11	अंतरसिह, चतरसिंह पिता अनूपसिंह, कैलाश कुंवर पुत्री अनूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/1	0.020	0.020	
12	कृष्णाबाई बेवा हनुमतसिंह जाति राजपूत पता अरनियासुल् श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3, कृष्णपालसिंह पुत्र हनुमतसिंह जाति राजपूत पता अरनियासुल् श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3, गुड्डीबाई पुत्री हनुमतसिंह जाति राजपूत पता अरनियासुल् श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3	39/3/1	0.020	0.020	
13	रेखा कुंवर पत्नी महेन्द्र पाल सिंह तोमर जाति राजपूत पता अरनियासुल् श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/1/1 35/1/2 35/1/3	0.020 0.016 0.020	0.020 0.016 0.020	
14	गजराजसिंह पुत्र सौदान सिह जाति राजपूत पता अरनिया सुल् श्यामपुर मध्य प्रदेश सीहोर मध्य प्रदेश. भूमि स्वामी	35/3/1- 36	0.076	0.076	
15	ताराबाई पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश. भूमि स्वामी	118/1	0.081	0.081	
16	हेमराज पुत्र चौखेलाल जाति कलार पता निवासी ग्राम पडयाला सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	118/2	0.746	0.120	
17	छोटीबाई पत्नी अर्जनसिंह जाति जाट पता सीहोर मध्य प्रदेश. भूमि स्वामी	118/3	0.405	0.080	
18	मदनलाल पुत्र गनपत जाति चमार पता नि0 ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	138/1 211	0.223 1.153	0.223 0.050	
19	शांताबाई पत्नी विक्रमसिंह जाति घोसी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	138/2 138/4	0.182 0.186	0.182 0.186	
20	रामेन्द्रसिंह पुत्र उर्जनसिंह जाति जाठ पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	212/6 212/9 212/7 212/12 212/10	0.222 0.337 0.222 0.218 0.333	0.065 0.010 0.222 0.060 0.333	
21	विक्रमसिह पुत्र मूलचंद जाति घोसी पता सीहोर मध्य प्रदेश. भूमि स्वामी	212/16	0.692	0.100	
22	जितेंन्द्रकुमार पुत्र नर्वदसिंह जाति घोसी पता निवासी ग्राम पडियाला श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	212/17	0.692	0.045	
23	मुकेशसिंह पिता मुलचंद जाति घोंसी पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	212/15	0.692	0.200	
24	नारायणसिंह, विक्रमसिंह, मुकेश पुत्र मूलचंद, कमलाबाई मगनबाई सौरमबाई धापूबाई राजलबाई सैतान बाई पुत्री मूलचंद जाति घोसी पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	212/1	0.405	0.390	
25	देवकरण पिता मदनलाल जाति चमार पता नि0 ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	212/4 212/2	0.101 0.096	0.101 0.086	
26	केवलराम पुत्र खुशीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	212/3	0.096	0.010	
27	नाथू राम पिता हजारीलाल जाति चमार पता अरनियासुल् श्यामपुर मध्य प्रदेश सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	210/1/1	0.750	0.025	
28	अरुण पिता नारायण सिंह जाति घोसी पता अरनियासुल् श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	106/1	0.498	0.200	
29	जीवनसिंह पुत्र विक्रमसिह जाति घोसी पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	106/2	0.498	0.050	
30	बालमुकंद पुत्र भागीरथ जाति चमार पता नि0 ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	212/11	0.214	0.204	
	योग:–	41	12.219	5.661	

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा–15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बालागुरु के., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 27 फरवरी 2026

क्र. 0001–अ–82–2025–26––भू–अर्जन–देड़पानी

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	भैंसदेही	देड़पानी	5.382	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैतूल	पाठाखेड़ा लघु जलाशय (नहर रहित) निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	लखमू बे. बिसराम, राजकुमार, विनोद पिता बिसराम	2 , 3 में से	3.327	3.327
2	मुंगीलाल व. मोतीलाल जाति कोरकू	3 में से	0.486	0.392
3	तुलसी बेवा बाबू, मोती, केंडे, हाबू, भाकू, बाबूलाल, रातू व. बाबू , मोला, नापी पुत्री बाबू जाति कोरकू	13/13	2.428	0.700
4	सिटाय व. हाबू जाति कोरकू	17	0.963	0.963
	योग:-	4	7.204	5.382

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पाठाखेड़ा लघु जलाशय (नहर रहित) परियोजना के अंतर्गत बॉध निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की गई है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 0006–अ–82–2024–25–भू–अर्जन–करजगॉव बैतूल, दिनांक 6 मार्च 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि एवं उक्त भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	करजगॉव	0.160	घोघरी समूह जल प्रदाय योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आर.सी.सी. MBR-3 निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	मधु उर्फ मोहनलाल पुत्र तिलकचंद जाति किराड़ पता मुलताई, बैतूल	387/2	1.0110	0.160
	योग:-	1	1.0110	0.160

(2) चूँकि शीतलझिरी मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 0013–अ–82–2024–25–भू–अर्जन–सोनखेड़ी

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि एवं उक्त भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	सोनखेड़ी	0.160	घोघरी समूह जल प्रदाय योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आर.सी.सी. MBR-3 निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	नत्थू पिता ठुन्या, वच्छला, चंद्रकला, वंदना पिता ठुन्या, भूरी, भागी पिता पुन्ज्या जाति कुन्बी पता बैतूल (म.प्र.)	180/1	3.6770	0.160
	योग:-	1	3.6770	0.160

(2) चूँकि घोघरी समूह जल प्रदाय योजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 931–भू–अर्जन–2026

सिवनी, दिनांक 6 मार्च 2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :–

अनुसूची

1 – परियोजना का नाम – शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना बांध क्रमांक 4

2 – भूमि का विवरण :–

(क) जिला – सिवनी

(ख) तहसील – लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम – सागर प.ह.न.– 58

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 20.39 हेक्टेयर

स.क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल हे0 में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	स्लिंथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	180/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	दयाराम,सलकू,देवकीबाई पिता गहनसी जाति गोंड पता लखनादौन जिला सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 207 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	खसरा 181 की भूमि	खसरा 183 की भूमि	–	–	–	–
2	185	भूमिस्वामी	कृषि	0.37	अम्मो बेवा चतुरसिह, रूपलाल, डेलनसिह, कमला, कुसम पिता चतुरसिह, चतरो पिता धीरा, जाति लुहार पता सागर लखनादौन जिला सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 184 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	खसरा 184 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	–	–	–	–
3	187	भूमिस्वामी	कृषि	0.96	उदेलाल पिता भदई जाति गोंड पता विचुआ सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 188 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	–	–	–	–

4	199/1	भूमिस्वामी	कृषि	1.08	जीराबाई पत्नी जेटू, पंछीलाल,मंचलाल पिता जेटू, जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 201 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	खसरा 200 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	–	–	–	–
5	199/2	भूमिस्वामी	कृषि	1.08	सुमत पिता अमरसिंग जाति गाँड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	खसरा 201 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	खसरा 200 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	–	–	–	–
6	199/3	भूमिस्वामी	कृषि	1.07	कुमत पिता अमरसिग जाति गोड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी·	खसरा 201 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	खसरा 200 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	–	–	–	–
7	200	भूमिस्वामी	कृषि	1.16	अहिल्या पति सुरेश, प्रीतिबाई पति महेश कुमार, जाति परधान पता बिचुआ सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 201 की भूमि	खसरा 186 की भूमि	खसरा 391 की भूमि	खसरा 199/2 की भूमि	–	–	–	–
8	201	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	अमरलाल पिता भभूतसिह, दमोतीबाई पत्नि ढुल्ली, कौशल्याबाई पिता ढुल्ली जाति गोंड पता सिमरिया सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 202 की भूमि	खसरा 200 की भूमि	खसरा 391 की भूमि	खसरा 188 की भूमि	–	–	–	–
9	202	भूमिस्वामी	कृषि	4.20	सौरभ कुमार,गौरव कुमार परते पिता मुनीम कुमार परते, पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 287 की भूमि	खसरा 391 की भूमि	खसरा 389 की भूमि	खसरा 390 की भूमि	–	–	–	–
10	381	भूमिस्वामी	कृषि	1.10		खसरा 384 की भूमि	खसरा 396 की भूमि	खसरा 396 की भूमि	खसरा 382 की भूमि	–	–	कच्चा कुआ 1	व्यास–15 मी गहराई–8 मी
11	204/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	पुसियाबाई पत्नी सऊवा, रामफल, रामकुमारी, श्यामकुमारी, श्यामकली, भूरियाबाई पिता सऊवा, जाति गोंड, पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 204/2 की भूमि	खसरा 202 की भूमि	खसरा 203/3 की भूमि	खसरा 386 की भूमि	–	–	–	–
12	204/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	चमरूलाल,रूपलाल पिता हरप्रसाद जाति गोड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 203/1 की भूमि	खसरा 204/1 की भूमि	खसरा 206/2 की भूमि	खसरा 385/3 की भूमि	–	–	–	–
13	205/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	कौशल्याबाई पत्नी नन्हा, गुल्झराम, तोफान, गुलझोबाई पिता नन्हा जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 384 की भूमि	खसरा 204/2 की भूमि	खसरा 206/2 की भूमि	खसरा 205/2 की भूमि	–	–	–	–
14	385/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.51		खसरा 384 की भूमि	खसरा 387 की भूमि	खसरा 383 की भूमि	खसरा 204 की भूमि	–	–	–	–

15	383	भूमिस्वामी	कृषि	2.36	मानसिह पिता सुम्मा, जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 384 की भूमि	खसरा 396 की भूमि	खसरा 382 की भूमि	खसरा 385 की भूमि	–	–	–	–
16	385/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.52	दादूराम पिता तेइसा, जाति गोंड पता सागर सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 384 की भूमि	खसरा 387 की भूमि	खसरा 383 की भूमि	खसरा 204 की भूमि	नीम	1	–	–
17	385/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.51	जयपाल, सहपाल, कृपाल,जियोबाई पिता रामसिंह, सिवियाबाई पत्नी गोपाल, घंसराम, सनियाबाई, सनवती, झीनीबाई ,भानवती पिता गोपाल, जाति गोंड पता बिचुआ, सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 384 की भूमि	खसरा 387 की भूमि	खसरा 383 की भूमि	खसरा 204 की भूमि	–	–	–	–
18	385/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.51	किशोरीलाल पिता बीरसा, पांचोबाई, गुडडोबाई ,सहुआ पिता लगुनसिंह जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 384 की भूमि	खसरा 387 की भूमि	खसरा 383 की भूमि	खसरा 204 की भूमि	–	–	–	–
19	386	भूमिस्वामी	कृषि	0.40	मिट्टू पिता सुखलाल जाति गोंड पता विचुवा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 204 की भूमि	खसरा 202 की भूमि	खसरा 202 की भूमि	खसरा 202 की भूमि	–	–	–	–
20	390/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	सुखलाल पिता मँगलू, जाति गोंड पता सागर लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 202 की भूमि	खसरा 391 की भूमि	खसरा 202 की भूमि	खसरा 201 की भूमि	–	–	–	–
21	390/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	देवसिह पिता मंगलू, जाति गोंड पता सागर लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 202 की भूमि	खसरा 391 की भूमि	खसरा 202 की भूमि	खसरा 201 की भूमि	–	–	–	–
22	392/1	भूमिस्वामी	कृषि	1.50		खसरा 389 की भूमि	खसरा 392/2 की भूमि	खसरा 394 की भूमि	खसरा 202 की भूमि	–	–	–	–
23	392/2	भूमिस्वामी	कृषि	2.00	रख्खू पिता मँगलू जाति गौड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 392/1 की भूमि	खसरा 395 की भूमि	खसरा 395 की भूमि	खसरा 395 की भूमि	चार	2	–	–
कुल योग				20.39						वृक्ष	3	क.कुआं 1	

1.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग कमांक 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:– शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र स्पिल एवं प्रपोच चैनल निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

क्र. 932–भू–अर्जन–2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :–

अनुसूची

1 – परियोजना का नाम – शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना बांध क्रमांक 4

2 – भूमि का विवरण :–

(क) जिला – सिवनी

(ख) तहसील – लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम – पलारी प.ह.न.– 55

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 11.85 हेक्टेयर

स.क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल हे0 में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति किस्म	संख्या	प्रकार	चिंह्न एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2/1	भूमिस्वामी	कृषि	4.05	सरवद पिता करिया, ननकू, पूनाराम,अदलसिंह,बिर्राबाई पिता झाडूलाल जाति मेहरा पता पलारी लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 4 की भूमि	खसरा 3 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	बेर	1	कच्चा कुंआ –1	व्यास 4मी गहराई 4मी
2	2/2	भूमिस्वामी	कृषि	2.98	छेदीलाल, झिन्नो पिता करिया जाति मेहरा पता पलारी लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 10 की भूमि	खसरा 2/1 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	–	–	–	–
3	4	भूमिस्वामी	कृषि	1.38	रामवतीबाई पिता लालमन जाति मेहरा पता पलारी लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 2/1 की भूमि	खसरा 9/2/1 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	खसरा 2/1 की भूमि	महानीम नीम	1 2	–	–
4	7	भूमिस्वामी	कृषि	0.40		खसरा 6 की भूमि	खसरा 7 की भूमि	खसरा 9/2/1 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	–	–	–	–
5	8	भूमिस्वामी	कृषि	0.41	रामाबाई पति सुरेश जाति अहीर पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 9/2/5 की भूमि	खसरा 313 की भूमि	खसरा 313 की भूमि	खसरा 9/2/5 की भूमि	–	–	–	–
6	9/2/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.84		खसरा 6 की भूमि	खसरा 313 की भूमि	खसरा 8 की भूमि	खसरा 9/2/1 की भूमि	–	–	–	–

7	9/2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	सुनीताबाई पति महेश जाति अहीर पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 7 की भूमि	खसरा 313 की भूमि	खसरा 9/2/5 की भूमि	खसरा 9/2/2 की भूमि	–	–	–	–
8	9/2/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	गोमतीबाई पति जामनसिंह जाति अहीर पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 5 की भूमि	खसरा 313 की भूमि	खसरा 9/2/1 की भूमि	खसरा 9/2/3 की भूमि	–	–	–	–
9	9/2/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	जालम पिता अतरलाल जाति अहीर पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 4 की भूमि	खसरा 313 की भूमि	खसरा 9/2/2 की भूमि	खसरा 9/2/4 की भूमि	–	–	–	–
10	9/2/4	भूमिस्वामी	कृषि	1.25	दीनाबाई पति रमेश जाति अहीर पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 4 की भूमि	खसरा 313 की भूमि	खसरा 9/2/3 की भूमि	खसरा 9/1 की भूमि	–	–	–	–
11	9/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.25	श्यामकुमारी, घँसराम, फूलमत पिता बिहारी, जाति मेहरा, पता पलारी लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 4 की भूमि	खसरा 10 की भूमि	खसरा 9/2/4 की भूमि	खसरा 10 की भूमि	–	–	–	–
12	10	भूमिस्वामी	कृषि	0.05		खसरा 2/2 की भूमि	खसरा 13 की भूमि	खसरा 9/1 की भूमि	खसरा 11 की भूमि	–	–	–	–
13	12	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	रूकमा, हुकमा, सुकमा, सुकरती पिता हेमु, अमनी पिता झीना, कारे, झरिया, पारा, पारे, पिता हुकुम, सोनीलाल इनवाती पिता झारेलाल, मनतिया बाई, सोनवती पुत्री झारेलाल, झीनो बाई इनवाती बेवा झारेलाल, बबीता बेवा कैलाश, गनेशी, अनेशी, कन्हैया, प्रहलाद, बलराम, बतेशी अनेशराम पिता अमान, मीराबाई बेवा अमान, यशवंत पिता कैलाश जाति गौड पता पलारी लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 1,11 की भूमि	खसरा 13 की भूमि	खसरा 10 की भूमि	खसरा 19 की भूमि	–	–	कच्चा कुआ 1	व्यास 5मी गहराई 3मी
14	20/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	रूकमनी बरकड़े पति अमरलाल जाति गोंड पता सिवनी मध्य प्रदेश भमिस्वामी	खसरा 19 की भूमि	खसरा 21 की भूमि	खसरा 19 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	–	–	कच्चा कुआ 1	व्यास 5मी गहराई 3मी
कुल योग				11.85						वृक्ष	4	कच्चा कुआ 3	

1.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग कमांक 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:– शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र स्पिल एवं प्रपोच चैनल निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

क्र. 933–भू–अर्जन–2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :–

अनुसूची

1 – परियोजना का नाम – **शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना बांध क्रमांक 4**

2 – भूमि का विवरण :–

(क) जिला – सिवनी

(ख) तहसील – लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम – मचवाड़ा **प.ह.न.– 63**

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 12.97 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षे.फल हे0 में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति किस्म	संख्या	प्रकार	क्षेत्रिय एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	आशाबाई पिता बखतसिंह जाति लोधी पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 10 की भूमि	खसरा 3 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	–	–	–	–
2	2/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	बतेशी पिता चोखेलाल जाति गौड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 10 की भूमि	खसरा 3 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	–	–	कच्चा मकान 1	लं.3मी× चौ.5मी
3	4/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.30	मनोहर पिता डालचंद जाति लमाना पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 8 की भूमि	खसरा 37 की भूमि	खसरा 3 की भूमि	–	–	–	–
4	4/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	दिमाकू पिता डालचंद जाति लमाना पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 8 की भूमि	खसरा 37 की भूमि	खसरा 3 की भूमि	–	–	–	–
5	11/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.28	रमेश पिता अतरलाल जाति अहीर पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 2 की भूमि	खसरा 13 की भूमि	खसरा 10 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	–	–	–	–
6	36	भूमिस्वामी	कृषि	0.38	हुमनसिह,खेमसिह पिता डब्बलिया जाति गोड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 40 की भूमि	खसरा 25 की भूमि	खसरा 40 की भूमि	खसरा 39 की भूमि	–	–	–	–

7	38/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	प्रयागदीन,बृजलाल,प्रेमलाल पुत्र सियाराम जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 41 की भूमि	खसरा 25 की भूमि	खसरा 39 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	–	–	–	–
8	38/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	ब्रजलाल पिता सियाराम जाति गौड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 41 की भूमि	खसरा 25 की भूमि	खसरा 39 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	–	–	–	–
9	65/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	अनिया बेबा धनाराम जाति गोड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 65/1/2/1 की भूमि	खसरा 62 की भूमि	खसरा 65/2 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	–	–	–	–
10	65/1/2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	हिम्मा पिता धनाराम जाति गोड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 65/1/2/2 की भूमि	खसरा 65/1/1 की भूमि	खसरा 65/2 की भूमि	खसरा 70 की भूमि	–	–	–	–
11	65/1/2/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	मुकुंदी पिता धनाराम जाति गोड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 65/1/3 की भूमि	खसरा 65/1/2/1 की भूमि	खसरा 65/2 की भूमि	खसरा 70 की भूमि	–	–	–	–
12	65/1/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.25		खसरा 70 की भूमि	खसरा 65/1/2/2 की भूमि	खसरा 65/2 की भूमि	खसरा 70 की भूमि	–	–	–	–
13	65/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.65	सब्बू उइके पिता होरीलाल, बुधिया बाई बेवा होरीलाल, सम्मू लाल उइके पिता होरीलाल, मालती,सामो पुत्री होरीलाल, दीपचंद पिता हजारी, ममता,प्रीती,रबीता पुत्री हजारी जाति गोड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 70 की भूमि	खसरा 62 की भूमि	खसरा 66 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	–	–	–	–
14	66	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	परमा,देवसिंग,प्रेमवती,ओमवती बंजारा,सुनीता पिता तखतसिंह, कत्तोबाई बेवा तखतसिंह जाति लमाना पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 68 की भूमि	खसरा 64 की भूमि	खसरा 67 की भूमि	खसरा 65 की भूमि	–	–	–	–
15	67	भूमिस्वामी	कृषि	0.34	त्वरित पिता सतीश जाति ब्राहम्ण पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 68 की भूमि	खसरा 64 की भूमि	खसरा 73 की भूमि	खसरा 66 की भूमि	–	–	–	–
16	69	भूमिस्वामी	कृषि	0.81		खसरा 70 की भूमि	खसरा 66 की भूमि	खसरा 73 की भूमि	खसरा 65 की भूमि	–	–	–	–
17	72/1	भूमिस्वामी	कृषि	1.55	अम्मूलाल पिता पुन्नू जाति गोड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 70 की भूमि	खसरा 75 की भूमि	खसरा 76 की भूमि	खसरा 74 की भूमि	–	–	–	–

18	72/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.48	सनवती,सविता,प्रीती,कमलवती पिता खुब्बा जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 70 की भूमि	खसरा 75 की भूमि	खसरा 76 की भूमि	खसरा 74 की भूमि	जामुन महानीम नीम	2 1 1	–	–
19	72/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.25		खसरा 70 की भूमि	खसरा 75 की भूमि	खसरा 76 की भूमि	खसरा 74 की भूमि	–	–	–	–
20	73/1	भूमिस्वामी	कृषि	1.20	रामचरण पिता सुमई जाति गौड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 70 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 74 की भूमि	खसरा 67 की भूमि	–	–	–	–
21	73/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.62	प्रेमलाल पिता हीरालाल जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 70 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 74 की भूमि	खसरा 67 की भूमि	–	–	–	–
22	73/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.28	रमला पिता हीरालाल जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 70 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 74 की भूमि	खसरा 67 की भूमि	–	–	–	–
23	73/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	हरिराम पिता बैसाखू, जाति गौंड, पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 70 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 74 की भूमि	खसरा 67 की भूमि	–	–	–	–
24	76/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	अम्मूलाल पिता पून्नू जाति गोड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 72 की भूमि	खसरा 77 की भूमि	खसरा 76/3 की भूमि	खसरा 76/1 की भूमि	–	–	–	–
25	76/3	भूमिस्वामी	कृषि	1.42	गिरानी पिता पून्नू जाति गोंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 72 की भूमि	खसरा 76/4 की भूमि	खसरा 70 की भूमि	खसरा 76/2 की भूमि	–	–	–	–
26	76/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	सुहानियाबाई पत्नि सुमरलाल, राकेश,रज्जोबाई पिता सुमरलाल जाति गोंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 76/3 की भूमि	खसरा 82 की भूमि	खसरा 83 की भूमि	खसरा 76/3 की भूमि	–	–	–	–
27	82/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	चंदरसिंह,केशराम,केशर,बैजंती,इस्ता, इसुदिया पिता रामसिंह जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 76/4 की भूमि	खसरा 87 की भूमि	खसरा 85 की भूमि	खसरा 80 की भूमि	–	–	–	–
28	82/2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	सुभाष पिता साहबलाल, ज्वारसिंह पिता साहबलाल जाति गोंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 76/4 की भूमि	खसरा 87 की भूमि	खसरा 85 की भूमि	खसरा 80 की भूमि	–	–	–	–
29	85/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	नन्हीबाई पटैल पति राजकुमार जाति लोधी पता लखनादौन लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 82 की भूमि	खसरा 82 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 82 की भूमि	–	–	–	–
30	85/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.70	रामचरन,सुखलाल पिता सुमई जाति गोंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 82 की भूमि	खसरा 82 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 82 की भूमि	–	–	–	–
31	112/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	कलाबाई पति बसंतराम जाति गौड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 111 की भूमि	खसरा 126 की भूमि	खसरा 112/5 की भूमि	खसरा 110 की भूमि	–	–	–	–
32	112/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	तिजियाबाई पति इमरत जाति गोंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 70 की भूमि	खसरा 112/1 की भूमि	खसरा 112/4 की भूमि	खसरा 112/3 की भूमि	–	–	–	–
33	151	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	नरेन्द्र कुमार डेहरिया पिता नित्ताप्रसाद डेहरिया, महेंद्र डेहरिया पिता नेतराम डेहरिया जाति मेहरा पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 70 की भूमि	खसरा 157 की भूमि	खसरा 152 की भूमि	खसरा 149 की भूमि	–	–	–	–
34	152/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	टेकलाल,लेखराम पिता गंगाराम जाति लोधी पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 70 की भूमि	खसरा 152/6 की भूमि	खसरा 152/2 की भूमि	खसरा 151 की भूमि	–	–	–	–
कुल योग				12.97						वृक्ष	4	क.मकान 1	

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग कमांक 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:– शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र स्पिल एवं प्रपोच चैनल निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

क्र. 934–भू–अर्जन–2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :–

अनुसूची

1 – परियोजना का नाम – शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना बांध क्रमांक 3

2 – भूमि का विवरण :–

(क) जिला – सिवनी

(ख) तहसील – लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम – खूबी रै. प.ह.न.– 45

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 0.290 हेक्टेयर

स.क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल हे0 मेंड	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति किस्म	संख्या	प्रकार	स्लिंथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.090	फुल्लू पिता ईमरत जाति गोड पता लखनादौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 34 की भूमि	खसरा 3/1/2 की भूमि	खसरा 34, 10/1/2 की भूमि	खसरा 3/1/2, 1 की भूमि	–	–	–	–
2	3/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.020	सुदामाबाई पिता ईमरत जाति गोड पता लखनादौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 3/1/1 की भूमि	खसरा 3/1/3 की भूमि	खसरा 10/1/2 की भूमि	खसरा 1, 2 की भूमि	–	–	–	–
3	42/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.070	सरस्वती बेवा देवीलाल, कृष्णा, परसवती, प्रभा, मेमोबाई, रामबाई, रूक्मणी, वैजन्ती, सत्ताबाई पिता देवीलाल जाति गौंड पता खूबी रै. लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 42/1/1 की भूमि	खसरा 42/1/1 की भूमि	खसरा 34, 1 की भूमि	–	–	–	–
4	42/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.010	सोमती बेवा धनाराम, संतोष, संतराम, सतिया पिता धनाराम जाति गौंड पता खूबी रै. लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 41/5 की भूमि	खसरा 42/2 की भूमि	खसरा 34 की भूमि	–	–	–	–
5	42/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.010	हीरालाल पिता देवकरन जाति गौड पता खूबी रै. लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 44, 1 की भूमि	खसरा 42/6 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	खसरा 42/6 की भूमि	–	–	–	–
6	46/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.090	अठदू पिता फूलसिह जाति गोड पता खूबी लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 46/6 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	खसरा 46/2 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	–	–	–	–
कुल योग				0.290									

1.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग कमांक 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:– शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र स्पिल एवं प्रपोच चैनल निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

क्र. 935–भू–अर्जन–2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :–

अनुसूची

1 – परियोजना का नाम – शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना बांध क्रमांक 4

2 – भूमि का विवरण :–

(क) जिला – सिवनी

(ख) तहसील – लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम – करपडोल **प.ह.न.– 57**

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 0.05 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन लिए जाने वाले क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	449	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	अघ्घनसा पिता बराती जाति गौंड पता करपडोल लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 445 की भूमि	खसरा 451 की भूमि	खसरा 450 की भूमि	खसरा 446/1 की भूमि	अर्जुन	5	–	–
कुल योग				**0.05**						**वृक्ष**	**5**		

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग कमांक 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:– शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र स्पिल एवं प्रपोच चैनल निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

क्र. 936–भू–अर्जन–2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :–

अनुसूची

1 – परियोजना का नाम – शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना बांध क्रमांक 4

2 – भूमि का विवरण :–

(क) जिला – सिवनी

(ख) तहसील – लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम – पिंडरई प.ह.न.– 57

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 5.53 हेक्टेयर

स.क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल हे0 में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति किस्म	संख्या	प्रकार	क्षेत्रफल एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	279	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	दिमाक पिता करिया जाति मेहरा पता पिंडरई लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 278 की भूमि	खसरा 230 की भूमि	खसरा 278 की भूमि	खसरा 230 की भूमि	–	–	कच्चा कुआ 1	व्यास–6मी गहराई–3मी
2	276/4/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	निकिता उप्रेलिया पति नारायण कुमार जाति मेहरा पता पिंडरई लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 276/3/1 की भूमि	खसरा 278 की भूमि	खसरा 276/1 की भूमि	खसरा 276/4/2 की भूमि	–	–	–	–
3	276/4/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	अर्चना उप्रेलिया पति अजीत कुमार जाति मेहरा पता पिंडरई लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 276/3/1 की भूमि	खसरा 278 की भूमि	खसरा 276/4/1 की भूमि	खसरा 278 की भूमि	–	–	–	–
4	276/1	भूमिस्वामी	कृषि	1.66	समलू,धनसिंग,टीकाराम,रामदास पिता डब्बल, सुदामा,सनोबाई पुत्री डब्बल, श्यामकुँवर बेवा कोदु, रेवती पुत्री नन्हऊ, जाति मेहरा पता पिंडरई, लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 274 की भूमि	खसरा 269 की भूमि	खसरा 277 की भूमि	खसरा 275 की भूमि	–	–	–	–
5	331/1	भूमिस्वामी	कृषि	3.00		खसरा 278 की भूमि	खसरा 320 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	खसरा 329 की भूमि	–	–	कच्चा कुआ 1 कच्चा मकान 4	व्यास–4मी गहराई–3मी लं.8.60×चौ.6.60मी लं.10.20×चौ.11.40मी लं.4.60×चौ.5.60मी लं.10×चौ.17मी
6	331/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.48	मेमलाल पिता केसू, जाति गौड पता पिंडरई लखनादौन जिला सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 278 की भूमि	खसरा 320 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	खसरा 329 की भूमि	बेर बबूल	1 1	–	–
7	331/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.16		खसरा 278 की भूमि	खसरा 320 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	खसरा 329 की भूमि	–	–	–	–
8	330	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	श्वामी पिता अध्धन, जाति गोड़ पता पिंडरई लखनादौन जिला सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 329 की भूमि	खसरा 320 की भूमि	खसरा 329 की भूमि	खसरा 329 की भूमि	–	–	–	–
कुल योग				5.53						वृक्ष	2	क.मकान 4 क.कुआं 2	

1.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग कमांक 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:– शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र स्पिल एवं प्रपोच चैनल निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

क्र. 937–भू–अर्जन–2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :–

अनुसूची

1 – परियोजना का नाम – शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना बांध क्रमांक 4

2 – भूमि का विवरण :–

(क) जिला – सिवनी

(ख) तहसील – लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम – अटारी रै. प.ह.न.– 62

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 13.45 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल हे0 में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति किस्म	संख्या	प्रकार	क्लिंथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.65	पीतम पिता सुम्मी जाति गोड पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 2/1 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	खसरा 6/2 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	–	–	–	
2	36/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08		खसरा 35 की भूमि	खसरा 37/2 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	–	–	–	
3	3/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.56	धनाराम पिता दुकाली जाति गोड पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 2/1 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	खसरा 6/2 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	–	–	–	
4	3/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.10		खसरा 2/1 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	खसरा 6/2 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	–	–	–	
5	36/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.32		खसरा 35 की भूमि	खसरा 37/2 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	–	–	–	

6	3/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	फागूलाल पुत्र शोभाराम, पंजोबाई पुत्री शोभाराम, जाति गोंड पता निवासी अटारी तहसील लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 2/1 की भूमि	खसरा 35, की भूमि	खसरा 6/2 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	–	–	–	
7	36/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.12		खसरा 35 की भूमि	खसरा 37/2 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	महुआ	1	–	
8	4/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.52	इंदर पिता रहमानसिग जाति गोंड, पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 4/3 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	खसरा 6/1 की भूमि	खसरा 4/2 की भूमि	सूबबूल महानीम बेर	19 4 1	कच्चा मकान 2	लं.10मी×चौ.11.20मी लं.5.8मी×चौ.9.22मी
9	37/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.84		खसरा 37/2 की भूमि	खसरा 37/1 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	बेर आम लेडिया नीम	3 1 1 1	कच्चा कुआ 1	व्यास–11मी गहराई–4मी
10	4/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.60	बसंतीबाई पिता चंदर जाति गोंड पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 4/3 की भूमि	खसरा 4/2 की भूमि	खसरा 6/5 की भूमि	खसरा 3/4 की भूमि	बेर बबूल सूबबूल मुनगा महानीम	8 2 6 1 1	कच्चा कुआं 1 कच्चा मकान 2 पक्का मकान 1	व्यास–4मी गहराई–2मी लं.14.4मी×चौ.19.4मी लं.10मी×चौ.9.7मी लं.10मी×चौ.8.5मी
11	37/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.50		खसरा 36 की भूमि	खसरा 37/3 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	आम बेर कटहल	4 3 1	कच्चा कुआ 1	व्यास–8.5मी गहराई–5मी
12	4/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.48	दशरथ,दर्शन पिता गुलाब, गुलाब,इँदर,प्रेमवती,चँद्रा पिता रहमान, दसिया पिता चंदर, बसंतोबाई पिता चदर, जाति गोंड, पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 3/5 की भूमि	खसरा 4/2 की भूमि	खसरा 6/5 की भूमि	खसरा 3/4 की भूमि	छिवला महानीम नीम महुआ आम	4 1 1 1 1	–	
13	5	भूमिस्वामी	कृषि	0.81	दशरथ,दर्शन पिता गुलाब जाति गोड पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 6/1 की भूमि	खसरा 7 की भूमि	खसरा 6/4 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	–	–	–	–
14	37/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.97		खसरा 37/3 की भूमि	खसरा 38 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	सूबबूल महुआ	1 3	–	–
15	38	भूमिस्वामी	कृषि	2.32		खसरा 5 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	खसरा 39 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	कटहल अमरूद बेर आम चार महुआ सागौन	2 2 7 3 1 6 1	कच्चा मकान 2 पक्का मकान 2	लं.18.2मी×चौ.28.8मी लं.14मी×चौ.6.8मी लं.6.5मी×चौ.8.60मी लं.3.8मी×चौ.10.8मी
16	6/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	मंगलवती पिता टेकचंद जाति गोड पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 6/5 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	खसरा 6/1/1 की भूमि	खसरा 6/1/3 की भूमि	–	–	–	–

17	6/1/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	ग्यारसो पिता टेकचंद जाति गोंड पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 6/2 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	खसरा 6/1/2 की भूमि	खसरा 6/1/4 की भूमि	–	–	–	–
18	6/1/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	द्वारका पिता टेकचंद जाति गोंड पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 6/2 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	खसरा 6/1/3 की भूमि	खसरा 4/1 की भूमि	–	–	–	–
19	6/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	बजारी पिता टेकचंद जाति गोड पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 6/2 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	खसरा 6/1/5 की भूमि	खसरा 6/1/2 की भूमि	–	–	पक्का मकान 1 कच्चा मकान 1	लं.6.80मी×चौ.6.80मी लं.6.80मी×चौ.3.5मी
20	6/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.02		खसरा 6/7 की भूमि	खसरा 8/1/1 की भूमि	खसरा 8/1/1 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	–	–	पक्का मकान 1 कच्चा मकान 2	लं.9.7मी×चौ.6.9मी लं.8.90मी×चौ.8.8मी लं.10मी×चौ.10मी
21	7	भूमिस्वामी	कृषि	1.25	ओमकार पिता धुन्धी जाति गोड, पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 5 की भूमि	खसरा 8/2 की भूमि	खसरा 8/1/1 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	–	–	डबरी 1	लं.12मी×चौ.40मी
22	8/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.30	झिन्नाबाई, मुनोबाई, सरदार, सुराजी पिता वीरन जाति गोंड पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 8/1/2 की भूमि	खसरा 8/1/3 की भूमि	खसरा 8/4,8/3 की भूमि	खसरा 6/4 की भूमि	सुनगा	1	–	–
23	8/1/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.25	सरदार पिता वीरन जाति गोंड, पता , लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 8/1/1 की भूमि	खसरा 8/2 की भूमि	खसरा 8/3 की भूमि	खसरा 7 की भूमि	–	–	–	–
24	8/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	कालीचरन पिता मिहीलाल जाति गोड पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 8/3 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	खसरा 33 की भूमि	खसरा 7 की भूमि	–	–	–	–
25	40	भूमिस्वामी	कृषि	0.02		खसरा 1 की भूमि	खसरा 41/1 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	खसरा 39 की भूमि	–	–	–	–
26	36/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.60	चन्दू पिता दुकाली जाति गोड पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 35 की भूमि	खसरा 37/2 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	–	–	–	–
27	39	भूमिस्वामी	कृषि	1.25	गोपाल पिता ओंमकार जाति गोड पता अटारी रै. लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 35 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	खसरा 40 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	आम 1 बेर 3 सगौन 3 जमरासो 1		कच्चा कुआ 1 कच्चा मकान 1	व्यास–9मी गहराई–5मी लं.8.2मी×चौ.8.2मी
कुल योग				13.45						वृक्ष– 100		क.मकान. 10 प.मकान 5 क.कुंआ 4 डबरी 1	

1.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग कमांक 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:– शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र स्पिल एवं प्रपोच चैनल निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

क्र. 938–भू–अर्जन–2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :–

अनुसूची

1 – परियोजना का नाम – शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना बांध क्रमांक 4

2 – भूमि का विवरण :–

(क) जिला – सिवनी

(ख) तहसील – लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम – सिमरिया प.ह.न.– 63

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 112.65 हेक्टेयर

क्र स	सर्वेक्षण कमाक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल हे0 में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		सरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति विवरण	संख्या	प्रकार	लिंक एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	भूमिस्वामी	कृषि	2.46	चैतो पुत्री नकलु देवचंद, लल्लूलाल, हरिचद, ताराबाई, तिजियाबाई पिता मानकलाल हिमियाबाई बेया ताराचंद लक्ष्मीप्रसाद, लक्ष्मण, लच्छो, मानती, कांतीबाई पिता ताराचंद मनकी पुत्री नकलु जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 2 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	खसरा 4 की भूमि	सागौन अर्जुन छिवला बहेरा साजा पाकर लेंडिया कन्जई महानीम आवला नीम	62 2 10 10 3 12 34 1 2 4 1	–	–
2	32/1	भूमिस्वामी	कृषि	2.13		खसरा 32/2 की भूमि	खसरा 33 की भूमि	खसरा 33 की भूमि	खसरा 28 की भूमि	बहेरा आम बेर सागौन छिवला महुआ बबूल	1 2 4 5 6 7 1	–	–
3	34	भूमिस्वामी	कृषि	0.88		खसरा 33 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	खसरा 36 की भूमि	खसरा 33 की भूमि	–	–	कच्चा मकान 1 अर्ध पक्का मकान 1 कच्चा पशु शेड 1	लं.9 मी. चौ.12 मी. लं.10 मी. चौ.16 मी. लं.15 मी. चौ.4 मी.
4	99	भूमिस्वामी	कृषि	0.24		खसरा 44 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	–	–	–	–

5	4	भूमिस्वामी	कृषि	1.52	सम्पतबाई,बतीबाई,श्यामकुवर, रामकुवर,मुन्नी,मानवती पिता मानसिह जाति गौड़ पता लखनादौन लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 2 की भूमि	खसरा 6 की भूमि	खसरा 3 की भूमि	खसरा 2 की भूमि	बहेरा 3	3	–	–
6	137/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.35		खसरा 136 की भूमि	खसरा 138 की भूमि	खसरा 124 की भूमि	खसरा 141 की भूमि	–	–	–	–
7	6	भूमिस्वामी	कृषि	1.60	हरचंद पिता मानकलाल जाति गोड़ पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 4 की भूमि	खसरा 14 की भूमि	खसरा 7 की भूमि	खसरा 6/352 की भूमि	सागौन कन्जाई ऊमर पाकर लेडिया छिगला बहेरा आवला अर्जुन नीम शिशम महानीग	5 1 1 5 35 4 12 2 2 3 1 1	–	–
8	37/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.20		खसरा 40 की भूमि	खसरा 41 की भूमि	खसरा 41 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	–	–	–	–
9	7/1	भूमिस्वामी	कृषि	1.69	सुखराम,सरजू,रोशन,मुन्नी,प्रेमवती, बिरझो पिता मत्ताप्रसाद जाति लोधी पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 5 की भूमि	खसरा 12 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	खसरा 6 की भूमि	–	–	–	–
10	25/2	भूमिस्वामी	कृषि	2.66		खसरा 26 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	खसरा 31 की भूमि	खसरा 23 की भूमि	–	–	–	–
11	7/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.65	हिमियाबाई पति ताराचंद जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 5 की भूमि	खसरा 12 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	खसरा 6 की भूमि	सगौन लेडिया नीम	2 1 1	–	–
12	7/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.65	लक्ष्मी पिता ताराचँद, जाति गौड़ पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 5 की भूमि	खसरा 12 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	खसरा 6 की भूमि	–	–	–	–
13	7/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.65	शीलचंद पिता देवचंद जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 5 की भूमि	खसरा 12 की भूमि	खसरा 5 की भूमि	खसरा 6 की भूमि	–	–	–	–
14	8	भूमिस्वामी	कृषि	1.45	मंगोबाई बेवा मोहन तुलसीराम, शनिराम, श्यामकली पिता मोहन सुरेश, सोहनिया,मुन्नी पिता कोदू जाति गोंड पता लखनादौन लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 5 की भूमि	खसरा 10 की भूमि	खसरा 27 की भूमि	खसरा 7 की भूमि	-	-	-	-
15	9	भूमिस्वामी	कृषि	1.20	बत्ताबाई बेवा माहू ओझीलाल, हज्जीलाल, हजमत, कल्ला ,मँगलो पिता माहू, जाति गोड, एता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 8 की भूमि	खसरा 23 की भूमि	खसरा 27 की भूमि	खसरा 10 की भूमि	बबूल छिवला महुआ सागौन	3 3 2 1	–	–
16	14	भूमिस्वामी	कृषि	6.48		खसरा 6 की भूमि	खसरा 21 की भूमि	खसरा 13 की भूमि	खसरा 6/352 की भूमि	नीम महुआ	1 1	एक्का मकान 1	ल7.5मी×चौ.4मी

17	10	भूमिस्वामी	कृषि	0.70	सोमती,सुमतिया,सुमतलाल पिता सियाराम जाति गोंड पता लखनादौन लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 8 की भूमि	खसरा 23 की भूमि	खसरा 9 की भूमि	खसरा 12 की भूमि	–	–	– –
18	11	भूमिस्वामी	कृषि	0.23	कुम्माप्रसाद पिता धनाराम, सियाबाई बेवा धनसिंह, अम्मुलाल,अम्मोबाई,अम्मोवती पिता धनसिंह, कोमल पिता धनाराम, बसोडी,भंगो पिता सुनाराम जाति गौंड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 7 की भूमि	खसरा 12 की भूमि	खसरा 10 की भूमि	खसरा 12 की भूमि	–	–	– –
19	12	भूमिस्वामी	कृषि	1.80	बसोडी पिता सुनाराम, भंगो पुत्री सुनाराम जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 11 की भूमि	खसरा 14 की भूमि	खसरा 23 की भूमि	खसरा 13 की भूमि	छिवला बेर	2 2	कुआ 1 पक्का 4 कच्चा हैण्डपंप 1
20	13	भूमिस्वामी	कृषि	1.40	रामदास,रामकरन पिता कढोरी बिरझो बेवा कढोरी, कृष्णाबाई पिता खुशाली, करनसिंह, मुन्ना, सकलिया, झुम्का, मुन्नी पिता सुमरन, जगतिया बेवा सुमरन, फग्गो बेवा मक्कु जाति अहीर पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 7 की भूमि	खसरा 14 की भूमि	खसरा 12 की भूमि	खसरा 14 की भूमि	कन्जई	2	– –
21	92	भूमिस्वामी	कृषि	4.16		खसरा 85 की भूमि	खसरा 96 की भूमि	खसरा 53 की भूमि	खसरा 45 की भूमि	–	–	– –
22	15	भूमिस्वामी	कृषि	1.95	छोटीबाई पति हजारीलाल जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 14 की भूमि	खसरा 17 की भूमि	खसरा 16 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	–	–	बोर 1 सौ फुटका गहराई 91 मी डीसिल 27 की
23	16	भूमिस्वामी	कृषि	0.90	झिन्ना पिता सेवा, दादूलाल पिता खेतसिह, गनेशी बेवा भैरोप्रसाद, श्यामवती पिता भैरोप्रसाद, कलू, मुटठीलाल पिता खेतसिह, हेमवती, केसलाल, प्रेमलाल, ओमवती पिता भैरोप्रसाद, संदीप, संजू पिता कुहपसिंह, कल्लाबाई करपे बेवा कुहपसिंह जाति गौंड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 14 की भूमि	खसरा 17 की भूमि	खसरा 21 की भूमि	खसरा 15 की भूमि	ऊमर	2	– –
24	100	भूमिस्वामी	कृषि	2.60		खसरा 101 की भूमि	खसरा 2 की भूमि	खसरा 101 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	सागौन	2	– –
25	17	भूमिस्वामी	कृषि	3.82	झमकी,प्रेमवती,मुन्नी,समनसो, मानवती पिता मुरली जाति गोंड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 15 की भूमि	खसरा 18 की भूमि	खसरा 18 की भूमि	खसरा 16 की भूमि	–	–	– –
26	19	भूमिस्वामी	कृषि	1.65	श्यामा पति मंगलसी जाति गोंड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 17 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	खसरा 1 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	–	–	– –
27	22	भूमिस्वामी	कृषि	1.05		खसरा 23 की भूमि	खसरा 24 की भूमि	खसरा 19 की भूमि	खसरा 24 की भूमि	–	–	– –

28	21	भूमिस्वामी	कृषि	1.35	कपसी पिता नेवा जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 14 की भूमि	खसरा 19 की भूमि	खसरा 22 की भूमि	खसरा 16 की भूमि	–	–	–	–
29	23	भूमिस्वामी	कृषि	4.38	शारदा पिता बखरू जाति गोड़ पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 10 की भूमि	खसरा 22 की भूमि	खसरा 26/4 की भूमि	खसरा 12 की भूमि	महुआ	1	–	–
30	25/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.33	रोशनी नाबालिग,रितिका नाबालिग पिता राजेश संरक्षक माँ सुमन, सुमन पति राजेश जाति लोधी पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 26 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	खसरा 31 की भूमि	खसरा 23 की भूमि	–	–	–	–
31	133/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04		खसरा 129 की भूमि	खसरा 135 की भूमि	खसरा 128 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	–	–	–	–
32	25/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.32	सुम्मन पिता राजकुमार जाति लोधी पता लखनादौन लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 30 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	खसरा 31 की भूमि	खसरा 23 की भूमि	–	–	–	–
33	25/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.65	दूधन पिता बेनीप्रसाद, जाति लोधी पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 29 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	खसरा 31 की भूमि	खसरा 23 की भूमि		–		
34	133/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.25		खसरा 129 की भूमि	खसरा 135 की भूमि	खसरा 128 की भूमि	खसरा 129 की भूमि	–	–	–	–
35	25/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.64	खुमान पिता बेनीप्रसाद जाति लोधी पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 26 की भूमि	खसरा 25/2 की भूमि	खसरा 25/3 की भूमि	खसरा 23 की भूमि	–	–	–	–
36	133/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10		खसरा 129 की भूमि	खसरा 135 की भूमि	खसरा 128 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	–	–	–	–
37	27	भूमिस्वामी	कृषि	2.02	विवेककुमार पिता लल्लू ऊर्फ लालाराम, विनयकुमार नाबालिग पिता लल्लू ऊर्फ लालाराम संरक्षक मानक जाति गौंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 5 की भूमि	खसरा 26 की भूमि	खसरा 28 की भूमि	खसरा 6 की भूमि	सागौन 3 सेमर 1 महानीम 1 लेडिया 1 आम 1			
38	28	भूमिस्वामी	कृषि	3.23	फग्गू पिता कन्छेदीलाल जाति गौंड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 29/1 की भूमि	खसरा 32/13 की भूमि	खसरा 27 की भूमि	सागौन 41 छिवला 3 पाकर 1 लेडिया 3		एकड़ गढ़ा 1 वि. 35 मी. वी.ए. 10 मी.	
39	32/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.08		खसरा 28 की भूमि	खसरा 32/1 की भूमि	खसरा 32/1 की भूमि	खसरा 28 की भूमि	–	–	–	–
40	29/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.80	रामदास पिता कढोरी जाति अहीर पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 25 की भूमि	खसरा 26 की भूमि	खसरा 30 की भूमि	खसरा 28 की भूमि	–	–	–	–

41	29/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.79	रामकरन पिता कढोरी जाति अहीर पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 26 की भूमि	खसरा 26 की भूमि	खसरा 30 की भूमि	खसरा 26 की भूमि	–	–	– –
42	31	भूमिस्वामी	कृषि	2.55	कौशल्या बेवा चन्दरसिंह, शांति, मानती, कांति, उमेदी, सुमेदी, गोमती, रोमती, रूकमणी पिता चन्दरसिंह जाति गोड़ पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 28 की भूमि	खसरा 34 की भूमि	खसरा 32/1 की भूमि	खसरा 30 की भूमि	–	–	– –
43	33/1	भूमिस्वामी	कृषि	2.00	पीतम कुमार पिता मोतीलाल जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 39 की भूमि	खसरा 42 की भूमि	खसरा 32/1 की भूमि	महुआ बेर सागौन	1 2 1	– –
44	33/2	भूमिस्वामी	कृषि	1.65	भागवती बेवा सरवन जयराम पुत्र सरवन ममता पुत्री सरवन जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 39 की भूमि	खसरा 43 की भूमि	खसरा 32/1 की भूमि	खक्सार महुआ महानीम साजा सागौन	1 2 2 1 1	– –
45	33/3	भूमिस्वामी	कृषि	1.20	महेशकुमार पिता मोतीलाल जाति गोड़ पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 39 की भूमि	खसरा 42 की भूमि	खसरा 32/1 की भूमि	लेंडिया	1	– –
46	35/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.54	झिनऊ पिता सददू जाति गौड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 36 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	खसरा 37 की भूमि	खसरा 34 की भूमि	–	–	– –
47	35/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	तेइसा पिता सददू जाति गौड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 36 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	खसरा 37 की भूमि	खसरा 34 की भूमि	–	–	– –
48	36	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	दनकोबाई बेवा कंचन हरनाम, हरिराम, भैंटालाल ,पिता झनकलाल विनिता, अनीता, ब्रजेशबाई,पुत्री झनकलाल विरझिया, जानकी, कल्लू, रूसा,सरोज पुत्री कंचन जाति गोड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 39 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	खसरा 38 की भूमि	खसरा 34 की भूमि	–	–	– –
49	37/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	सुमरती पिता कौडीलाल जाति गोड़ पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 40 की भूमि	खसरा 41 की भूमि	खसरा 41 की भूमि	खसरा 36 की भूमि	–	–	– –
50	37/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	शशिबाई पिता कौडीलाल जाति गोड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 40 की भूमि	खसरा 41 की भूमि	खसरा 41 की भूमि	खसरा 35 की भूमि	–	–	– –
51	43/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.81	नारायण पिता अमरलाल जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 44 की भूमि	खसरा 42 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	खसरा 33 की भूमि	सागौन	5	– –
52	49/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.90		खसरा 49/2 की भूमि	खसरा 40 की भूमि	खसरा 62 की भूमि	खसरा 46 की भूमि	–	–	– –

53	43/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.81	परसराम पिता अतरलाल जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 44 की भूमि	खसरा 42 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	खसरा 33 की भूमि	सागौन जामुन	2 1	–	–
54	49/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.90		खसरा 50 की भूमि	खसरा 48 की भूमि	खसरा 51 की भूमि	खसरा 50 की भूमि	–	–	–	–
55	47	भूमिस्वामी	कृषि	0.70	कल्लूबाई पति फग्गू जाति गोड़ पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 49 की भूमि	खसरा 56 की भूमि	खसरा 62 की भूमि	खसरा 48 की भूमि	–	–	–	–
56	48	भूमिस्वामी	कृषि	1.87		खसरा 49 की भूमि	खसरा 45 की भूमि	खसरा 47 की भूमि	खसरा 50 की भूमि	–	–	–	–
57	51			3.00	रीनायादव पत्नी नंदकिशोर यादव पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 50 की भूमि	खसरा 49/1 की भूमि	खसरा 52 की भूमि	खसरा 49/2 की भूमि	सूबबूल महानीम	2 1	पार्सल नंबर 1 मध्य मार्ग 1	खसरा 13.2सर्वे गरस्पर्ड 13मी सं.12मी सं.6मी
58	54	भूमिस्वामी	कृषि	1.45		खसरा 52 की भूमि	खसरा 53 की भूमि	खसरा 82 की भूमि	खसरा 52 की भूमि	–	–	–	–
59	55/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	संतोबाई पति अनोखा, कैलाश,राजेन्द्र पिता अनोखा जाति अहीर पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 50 की भूमि	खसरा 82 की भूमि	खसरा 51/2 की भूमि	खसरा 51 की भूमि	–	–	–	–
60	57	भूमिस्वामी	कृषि	0.68	रोशन पिता दमडी जाति लोधी पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 82 की भूमि	खसरा 59 की भूमि	खसरा 58 की भूमि	खसरा 82 की भूमि	–	–	–	–
61	58	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	टेकलाल पुत्र गंगाराम जाति लोधी पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 82 की भूमि	खसरा 59 की भूमि	खसरा 74 की भूमि	खसरा 67 की भूमि	–	–	–	–
62	122/3/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20		खसरा 101 की भूमि	खसरा 251 की भूमि	खसरा 119 की भूमि	खसरा 101 की भूमि	–	–	–	–
63	59	भूमिस्वामी	कृषि	2.15	सुम्मोबाई पिता कौडीलाल जाति गोड़ पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 50 की भूमि	खसरा 61 की भूमि	खसरा 72 की भूमि	खसरा 82 की भूमि	–	–	–	–
64	62/1	भूमिस्वामी	कृषि	1.62	परबत सिंह, परसराम पिता अतरलाल, अन्नो, पार्वती पुत्री अतरलाल जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	खसरा 61 की भूमि	खसरा 45 की भूमि	खसरा 66 की भूमि	खसरा 45 की भूमि	–	–	–	–
65	62/2	भूमिस्वामी	कृषि	1.62	नारायण,रामप्रसाद,नरबदीबाई पिता अमरलाल जाति गोड़ पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 61 की भूमि	खसरा 45 की भूमि	खसरा 66 की भूमि	खसरा 45 की भूमि	–	–	–	–

66	65	भूमिस्वामी	कृषि	1.51	रेवती बेवा सुन्दरलाल, प्रेमसखी, रामचँद, रामसखी, श्यामसखी पिता सुन्दरलाल, शिवप्यारी बेवा सुखचँद, सतीष, सरिता पिता सुखचँद जाति गौड़ पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 66 की भूमि	खसरा 92 की भूमि	खसरा 99 की भूमि	खसरा 64 की भूमि	–	–	–	–
67	88	भूमिस्वामी	कृषि	0.06		खसरा 87 की भूमि	खसरा 66 की भूमि	खसरा 77 की भूमि	खसरा 66 की भूमि	–	–	–	–
68	67	भूमिस्वामी	कृषि	1.05	गुबन्दी पिता सुब्दी जाति गोड़ पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 69 की भूमि	खसरा 87 की भूमि	खसरा 69 की भूमि	खसरा 66 की भूमि	–	–	–	–
69	86/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	गँगाराम पुत्र दमडी लोधी जाति लोधी पत सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 86/1 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 87 की भूमि	–	–	–	–
70	122/3/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05		खसरा 101 की भूमि	खसरा 251 की भूमि	खसरा 119 की भूमि	खसरा 100 की भूमि	–	–	–	–
71	87	भूमिस्वामी	कृषि	1.80	सुखराम अँतराम पिता गुलाब, सावित्री पिता श्यामलाल, दशोदा बरकडे, सतेन्द्र कुमार इनवाती, पचम लाल इनवाती पिता शोभाराम सुशीला इनवाती पति शोभाराम जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 67 की भूमि	खसरा 66 की भूमि	खसरा 86 की भूमि	खसरा 66 की भूमि	–	–	–	–
72	89/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.13		खसरा 66 की भूमि	खसरा 91 की भूमि	खसरा 90 की भूमि	खसरा 92 की भूमि	–	–	–	–
73	89/2	भूमिस्वामी	कृषि	1.01	अम्मुलाल पिता धनसिह जाति गोड़ पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 66 की भूमि	खसरा 91 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 92 की भूमि	–	–	–	–
74	90	भूमिस्वामी	कृषि	0.85	उसमान,सेवाराम,आशाराम पिता सामनसिंग, तिजिया बेवा सामनसिंग, जाति गौड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 1 की भूमि	खसरा 94 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 91 की भूमि	–	–	–	–
75	91	भूमिस्वामी	कृषि	1.07	बसोडी पिता सुनाराम जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 119 की भूमि	खसरा 94 की भूमि	खसरा 90 की भूमि	खसरा 92 की भूमि	–	–	–	–
76	93	भूमिस्वामी	कृषि	0.65	विमान पिता सुँध्दी जाति गोड़ पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 91 की भूमि	खसरा 96 की भूमि	खसरा 94 की भूमि	खसरा 92 की भूमि	बैर	1	पं.9.40मी. से 10मी. त 10.3मी - चौड़ी	पं.9.40मी. से 10मी. त 10.3मी - चौड़ी
77	94/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	फूलमती बेवा सरूपसिंह कमली,सियावती पिता सरूपसिंह जाति गोड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 91 की भूमि	खसरा 102 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 95 की भूमि	–	–	–	–

78	94/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.42	कमलसी पिता सरूपसिंह जाति गोड़ पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 91 की भूमि	खसरा 102 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 95 की भूमि	सागौन बेर	4 2	पक्का कुआ 1	आम 6 मी. गहराई 16मी
79	94/1/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.32	देवचरन पिता सरूपसिंह जाति गोड़ पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 91 की भूमि	खसरा 102 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 95 की भूमि	–	–	–	–
80	94/1/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	रामचरन पिता सरूपसिंह जाति गोड़ पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 91 की भूमि	खसरा 102 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 95 की भूमि	–	–	बोर 1	नौ.कुंड गहराई 8मी गैरिंग 6मी
81	94/1/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	केहरी पिता सरूपसिंह जाति गोड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 91 की भूमि	खसरा 102 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 95 की भूमि	म्हानीम जमुन सुनगा सगौन इमली सुबबूल आँवला	1 1 1 1 2 3 1	बोर 1 पक्का कुआ 1 कच्चा गड्ढा 2 पक्का गड्ढा 1	नौ.कुंड गहराई 8मी गैरिंग 6मी आम 10मी. गहराई 8मी ले.6.6मी. चौडी ले.11.7मी चौ.11मी
82	94/2	भूमिस्वामी	कृषि	1.35	रामप्यारी बेवा सेवाराम धरमदास, श्यामलाल, पारवती पिता सेवाराम जाति गोंड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 91 की भूमि	खसरा 102 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 95 की भूमि	–	–	पक्का गड्ढा 1 कच्चा कुआ 1	ले.7.32मी चौ.8.6मी आम 4मी. गहराई 3मी
83	94/3	भूमिस्वामी	कृषि	1.17		खसरा 91 की भूमि	खसरा 102 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 95 की भूमि	बेर सगौन महुआ सुबबूल कहुआ	16 6 1 6 2	कच्चा कुआ 2	आम 5मी. गहराई 3मी आम 5मी. गहराई 3मी
84	94/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.73	घुरेलाल पिता नीकेलाल जयंती नाबालिग पिता नीकेलाल संरक्षक वली भाई घुरेलाल मिरिया बेवा आदुलाल जाति गोंड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 91 की भूमि	खसरा 102 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 95 की भूमि	–	–	पक्का गड्ढा 1 कच्चा गड्ढा 1	ले.6मी चौ.5.2मी ले.6.2मी - चौ.3मी
85	94/5, 94/6	भूमिस्वामी	कृषि	1.28		खसरा 91 की भूमि	खसरा 102 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 95 की भूमि	–	–	–	–
86	94/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	दशरथ पिता गुलाब जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 91 की भूमि	खसरा 102 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 95 की भूमि	–	–	कच्चा कुआ 1	आम 6मी. गहराई 7.5मी
87	95/1	भूमिस्वामी	कृषि	3.57	शिवकुमार,रामप्यारी पिता लखन, रामदीन, रमेश पिता गिरई जाति मेहरा पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 93 की भूमि	खसरा 101 की भूमि	खसरा 94 की भूमि	खसरा 96 की भूमि	सागौन	17	बोर 1	नौ.कुंड गहराई 8मी गैरिंग 6मी
88	95/2	भूमिस्वामी	कृषि	2.00	शिवकुमार पिता लखन जाति मेहरा पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 93 की भूमि	खसरा 101 की भूमि	खसरा 94 की भूमि	खसरा 96 की भूमि	सागौन बबूल लेंडिया नीम	2 1 1 1	–	–
89	97	भूमिस्वामी	कृषि	1.05		खसरा 92 की भूमि	खसरा 97 की भूमि	खसरा 95 की भूमि	खसरा 45 की भूमि	सागौन बेर भिलमा महानीम	2 2 1 1	बोर 1 कच्चा कुआ 1	नौ.कुंड गहराई 8मी गैरिंग 6मी आम 6मी गहराई 3मी

90	96	भूमिस्वामी	कृषि	1.05	अरूणसोनी पिता घनश्याम सोनी जाति सुनार पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 92 की भूमि	खसरा 97 की भूमि	खसरा 95 की भूमि	खसरा 45 की भूमि	–	–	–	–
91	98/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	रूखम पिता झामसिंह जाति गौंड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 95 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	खसरा 100 की भूमि	खसरा 98/2 की भूमि	सागौन महुआ कहुआ अर्जुन	9 2 1 1	–	–
92	98/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.18		खसरा 45 की भूमि	खसरा 98/3 की भूमि	खसरा 97 की भूमि	खसरा 457 की भूमि	–	–	–	–
93	98/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.68	छन्नी पिता झामसिंह जाति गौंड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 97 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	खसरा 98/1 की भूमि	खसरा 83/3 की भूमि	–	–	–	–
94	98/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.69	सुकई पिता झामसिंह जाति गौंड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 90/4 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	खसरा 98/2 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	–	–	–	–
95	98/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.69	ऊमेदी बेवा हुकुम, खुमान,पुनियाबाई पिता हुकुम जाति गौंड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 457 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	खसरा 98/3 की भूमि	खसरा 44 की भूमि	–	–	–	–
96	102	भूमिस्वामी	कृषि	0.25	त्रिलोक चंद, राजेश, प्रभा,मंजू पिता भैरोप्रसाद प्रकाश, सुभाष, अनीता पिता बेनीप्रसाद जाति बनिया पता लखनादौन लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 94/5 की भूमि	खसरा 101 की भूमि	खसरा 103 की भूमि	खसरा 96/2 की भूमि	–	–	–	–
97	105/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	तुलसी पिता कुवरमन जाति गोड़ पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 84 की भूमि	खसरा 106 की भूमि	खसरा 84 की भूमि	खसरा 104 की भूमि	–	–	–	–
98	123/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	रामप्रसाद पिता अमरलाल जाति गोड़ पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 122 की भूमि	खसरा 249 की भूमि	खसरा 251 की भूमि	खसरा 124 की भूमि	–	–	–	–
99	125	भूमिस्वामी	कृषि	0.75	राजकुमार पिता पंचम राजकुमारी,सेवती,सेववती पुत्री पँचम, संतो बेवा पँचम जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 44 की भूमि	खसरा 26 की भूमि	खसरा 101 की भूमि	खसरा 41 की भूमि	अमरूद लेडिया सागौन सूबबूल	1 1 1 1	–	–
100	130/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	सुनीताबाई पति गेन्दलाल जाति मेहरा पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 37 की भूमि	खसरा 129 की भूमि	खसरा 127 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	–	–	–	–
101	130/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	गेन्दलाल पिता जुझारी डेहरिया जाति मेहरा पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 27 की भूमि	खसरा 129 की भूमि	खसरा 127 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	–	–	–	–
102	135/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.28	जामनसिह पिता अतरलाल जाति अहीर पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 133 की भूमि	खसरा 146 की भूमि	खसरा 124 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	–	–	–	–

103	135/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	जालम पिता अतरलाल जाति अहीर पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 133 की भूमि	खसरा 136 की भूमि	खसरा 124 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	–	–	–	–
104	135/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	सुरेश पिता अतरलाल जाति अहीर पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 133 की भूमि	खसरा 136 की भूमि	खसरा 124 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	–	–	–	–
105	135/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	इन्ना पिता अतरलाल जाति अहीर पता सिमरिया लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 133 की भूमि	खसरा 136 की भूमि	खसरा 124 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	–	–	–	–
106	141/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	लीलाधर, बंशीलाल पिता बालकिशन, सुमंत्रा डेहरिया बेवा पुनाराम, राधेश्याम डेहरिया, संदीप डेहरिया पिता पुनाराम, मिटठुलाल, रामकुमार, गीताबाई, सविताबाई पिता कुन्दनलाल भागवतीबाई बेवा कुन्दनलाल, रविशंकर पिता बहोरी, गिरिजाबाई बेवा बहोरी, कैलाश, बेनीप्रसाद, प्रेमलाल, सँतोष, बतीबाई, चंदाबाई पिता टन्टूलाल, अनोखीबाई बेवा टन्टूलाल जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 132 की भूमि	खसरा 142 की भूमि	खसरा 137 की भूमि	खसरा 141/2 की भूमि	–	–	–	–
107	141/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	लीलाधर पिता बालकिशन जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खसरा 132 की भूमि	खसरा 142 की भूमि	खसरा 141/1 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	–	–	–	–
108	167	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	अक्तू पिता जामसा जाति गोड पता सिमरिया लखनादौन जिला सिवनी मध्यप्रदेश	खसरा 164 की भूमि	खसरा 132 की भूमि	खसरा 172 की भूमि	खसरा 166 की भूमि	–	–	–	–
कुल योग				**112.65**						**वृक्ष 437**		कच्चा कुआ –7 पक्का कुआ –2 कच्चा मकान –6 पक्का मकान –6 बोर –5 अर्ध पक्का मकान –2	

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग कमांक 1 चौरई जिला छिंदवाडा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:– शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र स्पिल एवं प्रपोच चैनल निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

क्र. 922–भू–अर्जन–2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की गुनगुच जलाशय परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

1 ग्राम का नाम :– बेगरवानी प.ह.नं. :– 12 रा.नि.मं. :– धनौरा तहसील :– धनौरा जिला :– सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :– 4.63 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हे0 में)	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	28	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	सोनाबाई बेवा सीताराम कुम्हारसिंह मुन्नीबाई अंजनीबाई प्रेमवती संगीता पि. सीताराम गंगोत्री बेवा टीकाराम मानसिंह मानवती पि. टीकाराम मितियाबाई मितरोबाई पि. धनराज जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 28 की भूमि	ख.नं. 28 की भूमि	ख.नं. 35 की भूमि	ख.नं. 33 की भूमि	–	–	–	–
2	33/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	प्रेमाबाई बेवा झामा रायसिंह हरिचंद पि. झामा जाति परधान नि ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 33/1 की भूमि	ख.नं. 33/1 को भूमि	ख.नं. 35 की भूमि	ख.नं. 33/3 की भूमि	महुआ	1	–	–
3	33/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	टेकचंद पि. निजाम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 33/2 की भूमि	ख.नं. 33/2 की भूमि	ख.नं. 33/3 की भूमि	ख.नं. 32/3 की भूमि	म्हुआ सागौन	1 1	–	–
4	33/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	जीरालाल पि. निजाम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 33/3 की भूमि	ख.नं. 33/3 की भूमि	ख.नं. 33/1 की भूमि	ख.नं. 33/2 की भूमि	महुआ	1	–	–

5	37/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	धानवती बेवा छतर राजू छेदामा राजेश सुरेश सुदामा पि. छतर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 37/1 की भूमि	ख.नं. 37/2 की भूमि	ख.नं. 27 की भूमि	ख.नं. 35 की भूमि	—	—	—	—
6	37/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	इमरत पि. मारी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 37/1 की भूमि	ख.नं. 37/2 की भूमि	ख.नं. 27 की भूमि	ख.नं. 35 की भूमि	—	—	—	—
7	39	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	सेवतीबाई बेवा गोपाल सिंगराम संतोष बसंत रामप्रसाद पि. गोपाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 39 की भूमि	ख.नं. 39 की भूमि	ख.नं. 53 की भूमि	ख.नं. 57 की भूमि	—	—	—	—
8	42	भूमिस्वामी	कृषि	0.60	हरिसिंह पिल्लू टेड़ा रेगटा पि. पतिराम जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 32/6 की भूमि	ख.नं. 42 की भूमि	ख.नं. 42 की भूमि	ख.नं. 42 की भूमि	—	—	—	—
9	46	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	मंगलो कंचन भोजे पूरन पुन्नू रैंतीबाई रैमाबाई पि. दूलर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 46 की भूमि	ख.नं. 46 की भूमि	ख.नं. 45 की भूमि	ख.नं. 47 की भूमि	—	—	—	—
10	48	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	ढब्बू पि. सम्मू शिवलाल सिरपतिया निरपतिया बिसनिया सेवबाई चित्रकली पि. गिरानी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 48 की भूमि	ख.नं. 48 की भूमि	ख.नं. 47 की भूमि	ख.नं. 51 की भूमि	—	—	—	—
11	52/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	फागुलाल पुत्र रामसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 52/1 की भूमि	ख.नं. 52/1 की भूमि	ख.नं. 42 की भूमि	ख.नं. 52/2 की भूमि	—	—	—	—
12	52/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.11		ख.नं. 52/1 की भूमि	ख.नं. 52/2 की भूमि	ख.नं. 52/1 की भूमि	ख.नं. 53 की भूमि	—	—	—	—
13	57/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.31	ओमकारप्रसाद पि. कामताप्रसाद जाति कलार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 57/1 की भूमि	ख.नं. 57/2 की भूमि	ख.नं. 39 की भूमि	ख.नं. 58 की भूमि	—	—	—	—
14	58	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	धनराज पि. गिरानी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 58 की भूमि	ख.नं. 58 की भूमि	ख.नं. 57/1 की भूमि	ख.नं. 61/1 की भूमि	—	—	—	—
15	169/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.27	नीलमसिह पुत्र गुलाब जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 166 की भूमि	ख.नं. 189 की भूमि	ख.नं. 169/1 की भूमि	ख.नं. 169/1 की भूमि	—	—	—	—
16	169/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	रामूलाल पुत्र राजाराम जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 160 की भूमि	ख.नं. 189 की भूमि	ख.नं. 169/2 की भूमि	ख.नं. 169/2 की भूमि	—	—	—	—
17	170/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	टेकचंद पि. निजाम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 149/2 की भूमि	ख.नं. 189 की भूमि	ख.नं. 170/2 की भूमि	ख.नं. 170/2 की भूमि	—	—	—	—

18	224	भूमिस्वामी	कृषि	0.29	संतियाबाई बेवा संउवा शैलवती चैनवती कोदूलाल लोंगसिंह गीताबाई लोंगवाती दसोदाबाई पि. संउवा पुरनिया बेवा संउवा टांटोबाई बेवा मदनसिंह दिनेश भगत भारत सत्येन्द्र कौशल्या रोहणी भारती रंची पि. मदनसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 225 की भूमि	ख.नं. 240 की भूमि	ख.नं. 224 की भूमि	ख.नं. 224 की भूमि	–	–	–	–
19	242	भूमिस्वामी	कृषि	0.12		ख.नं. 242 की भूमि	ख.नं. 242 की भूमि	ख.नं. 241 की भूमि	ख.नं. 240 की भूमि	–	–	–	–
20	247	भूमिस्वामी	कृषि	0.34		ख.नं. 241 की भूमि	सरहद	ख.नं. 247 की भूमि	ख.नं. 247 की भूमि	–	–	–	–
21	225/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	कमलसिंह पि. रतिराम जाति कतिया नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 225/2 की भूमि	ख.नं. 224 की भूमि	ख.नं. 225/1 की भूमि	ख.नं. 225/1 की भूमि	–	–	–	–
22	225/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	चितरोबाई पत्नी मंथ्थनसिह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 236 की भूमि	ख.नं. 225/1 की भूमि	ख.नं. 225/2 की भूमि	ख.नं. 225/2 की भूमि	–	–	–	–
23	232/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.44	रणजीतसिह संजूसिह पि. भगवानसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 235 की भूमि	ख.नं. 226 की भूमि	ख.नं. 232/1 की भूमि	ख.नं. 232/1 की भूमि	–	–	–	–
24	234/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	श्यामाबाई पत्नी मेहतर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 235 की भूमि	ख.नं. 232 की भूमि	ख.नं. 234/1 की भूमि	ख.नं. 232 की भूमि	–	–	–	–
25	235/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	धनराजसिंह धीरसिंह शिवकुमार छोटीबाई तुलसाबाई कमलीबाई रमलीबाई सेवतीबाई इतियाबाई समलीबाई पि. गिरानी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 189 की भूमि	ख.नं. 234 की भूमि	ख.नं. 235/1 की भूमि	ख.नं. 235/1 की भूमि	–	–	–	–
26	241/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	कीर्तिबाई पति नीलमसिह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 241/3 की भूमि	ख.नं. 241/3 की भूमि	ख.नं. 247 की भूमि	ख.नं. 242 की भूमि	–	–	–	–
27	61/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	दीपककुमार पि. नौबदराय जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 58 की भूमि	ख.नं. 59/5 की भूमि	ख.नं. 61/1 की भूमि	ख.नं. 61/1 की भूमि	–	–	–	–
योग	27			4.63						वृक्ष	4	–	–

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे।

क्र. 923–भू–अर्जन–2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की गुनगुच जलाशय परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की **धारा 11** की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

1 ग्राम का नाम :– लावेसर्रा प.ह.नं. :– 16 रा.नि.मं. :– धनौरा तहसील :– धनौरा जिला :– सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :– 6.49 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हे0 मे)	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	राजेन्द्र कुमार झारिया पुत्र टीकाराम झारिया जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 5 की भूमि	राजेन्द्र कुमार की भूमि	शेख आजाद की भूमि	राजेन्द्र कुमार की भूमि	–	–	–	–
2	3/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07		महेन्द्र की भूमि	संतोष बगैरह की भूमि	महेन्द्र की भूमि	राजेन्द्र की भूमि	–	–	–	–
3	7/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	शेख आजाद पुत्र शेख वहीद जाति बेहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 6 की भूमि	शेख आजाद की भूमि	भूपेन्द्र की भूमि	राजेन्द्र कुमार की भूमि	पलाश	3	–	–
4	7/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	भूपेन्द्र सिंह पटेल पुत्र अन्नीलाल पटेल जाति लोधी नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 7/1/1 की भूमि	भूपेन्द्र की भूमि	भूपेन्द्र की भूमि	शेख आजाद की भूमि	–	–	–	–
5	7/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.13		भूपेन्द्र की भूमि	भूपेन्द्र की भूमि	बिरसोबाई बगैरह की भूमि	भूपेन्द्र की भूमि	–	–	–	–
6	10/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	शंकरलाल शिवकुमार खेलचंद खेलसिंह पि. तामीलाल जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	शंकरलाल बगैरह की भूमि	सोनाबाई बगैरह की भूमि	शंकरलाल बगैरह की भूमि	बिरसोबाई बगैरह की भूमि	पलाश	1	–	–

7	17/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	सुनील कुमार पुत्र कोमललाल जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुनील कुमार की भूमि	सुनील कुमार की भूमि	ख.नं. 17/2 की भूमि	सोनाबाई बगैरह की भूमि	पलाश बहेरा	4 2	—	—
8	18	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	सोनाबाई बेवा परसू लक्ष्मीबाई रविशंकर दुर्गाबाई पि. परसू जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शंकरलाल बगैरह की भूमि	सोनाबाई बगैरह की भूमि	सुनील कुमार की भूमि	बिरसोबाई बगैरह की भूमि	पलाश	3	—	—
9	25	भूमिस्वामी	कृषि	0.02		कला बगैरह की भूमि	सोनाबाई बगैरह की भूमि	परमा की भूमि	ख.नं. 27 की भूमि	—	—	—	—
10	40	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	उदनियाबाई बेवा हजारी झामसिंह सोनसिंह रोहनलाल रामकली सुनीता अनीता पि. हजारी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुनील कुमार की भूमि	खेती की भूमि	उदनिया बाई बगैरह की भूमि	उदनिया बाई बगैरह की भूमि	पलाश	2	—	—
11	44	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	रामसिंग पुत्र बुस्तन मुलिया बेवा बुस्तन जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रामसिंह बगैरह की भूमि	रामसिंह बगैरह की भूमि	उदनिया बाई बगैरह की भूमि	बालचंद बगैरह की भूमि	पलाश नीम बहेरा	5 1 2	—	—
12	45	भूमिस्वामी	कृषि	0.45	बालचंद सोहबत सम्पत सोनवती पि. सूखा झीना बेवा सूखा जाति गौंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	बालचंद बगैरह की भूमि	बालचंद बगैरह की भूमि	रामसिंह बगैरह की भूमि	खेती की भूमि	—	—	—	—
13	46/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	उदयामनसा रामप्रसाद शिवप्रसाद कलावती मुन्नीबाई पि. अंगद बिजिया बेवा अंगद जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	उदयाम नसा बगैरह की भूमि	उदयाम नसा बगैरह की भूमि	रामसिंह बगैरह की भूमि	रामसिंह बगैरह की भूमि	पलाश सागोन	3 2	—	—
14	47	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	रेवती पुत्री बलमसिंग जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	खेती की भूमि	खेती की भूमि	बालचंद बगैरह की भूमि	खेती की भूमि	पलाश पीपल	5 1	—	—
15	138	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	उदेसी रमेश पि. बुध्दूलाल जाति गौंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 139 की भूमि	उदेशी बगैरह की भूमि	सरहद	परदेशी की भूमि	पलाश	1	—	—
16	140	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	सिम्मीलाल पुत्र गनीराम घूरन दादूराम हल्लू कस्तुरियाबाई पि. पंचमलाल जाति गोड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	गंगाराम की भूमि	परदेशी की भूमि	परदेशी की भूमि	कन्हैया बगैरह की भूमि	पलाश	1	—	—
17	141	भूमिस्वामी	कृषि	0.51	कन्हैया रक्खोबाई पि. धनराज तिजिया बेवा धनराज अधमलाल पुत्र मोहन रंगो बेवा मोहन जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कन्हैया बगैरह की भूमि	कन्हैया बगैरह की भूमि	सिम्मीलाल बगैरह की भूमि	म.प्र. शासन	पलाश	2	—	—
18	145	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	परदेशी पुत्र धरमसिह जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कन्हैया बगैरह की भूमि	परदेशी की भूमि	सिम्मीलाल बगैरह की भूमि	कन्हैया बगैरह की भूमि	पलाश	1	—	—

19	135	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	गनाराम सित्तू पि. मंगलू पंचम तेजीलाल सिम्मी तिज्जोबाई रजियाबाई दुजियाबाई पि. गन्नी रासोबाई बेवा गन्नी जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गंगाराम की भूमि	सिम्मीलाल बगैरह की भूमि	परदेशी की भूमि	कन्हैया बगैरह की भूमि	पलाश	1	—	—
20	1	भूमिस्वामी	कृषि	1.45	कला बेवा अन्नूलाल चित्रा इनवाती महेंद्र रतनलाल पि. अन्नूलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कला बगैरह की भूमि	सोनाबाई बगैरह की भूमि	परमा की भूमि	ख.नं. 25 की भूमि	पलाश बबूल	3 2	—	—
21	2	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	परमा पुत्र हट्टेसिंग जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	परमा की भूमि	सोनाबाई बगैरह की भूमि	ख.नं. 1 की भूमि	कला बगैरह की भूमि	—	—	—	—
22	3/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.90	लक्ष्मी बेवा पुकराज उर्फ युवराज राजेश ज्योति पि. पुकराज उर्फ युवराज जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 1 की भूमि	संतोष बगैरह की भूमि	लक्ष्मी बेबा पुकराज की भूमि	लक्ष्मी बेबा पुकराज की भूमि	छीन्द सीता फल	1 2	—	—
23	3/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.43	महेन्द्र झारिया पुत्र टीकाराम झारिया जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी झारिया	ख.नं. 3/1/2 की भूमि	संतोष बगैरह की भूमि	भूपेन्द्र की भूमि	राजेन्द्र की भूमि	—	—	—	—
24	24	भूमिस्वामी	कृषि	0.43	संतोष कुमार अनिल कुमार सावित्री बाई उर्मिला बाई पि. रमेश जाति महरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 2 की भूमि	ख.नं. 23 की भूमि	संतोष बगैरह की भूमि	संतोष बगैरह की भूमि	—	—	—	—
योग	24			6.49						वृक्ष	48	—	—

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति '' भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे।

क्र. 924–भू–अर्जन–2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की गुनगुच जलाशय परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

1 ग्राम का नाम :– गनेरी प.ह.नं. :– 15 रा.नि.मं. :– धनौरा तहसील :– धनौरा जिला :– सिवनी

5. अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :– 61.20 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हे0 में)	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	स्निग्ध एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	22/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.13	द्रव्यलाल पदमसिंह मुन्नीबाई मालतीबाई गजवती कजनवती पि. परमानंद रूक्काबाई बेवा दीपसिंह रामकुमार रखिया सेवबाई सिया पि. दीपसिंह सोनाबाई बेवा परसूलाल रविशंकर दुर्गाबाई लक्ष्मीबाई पि. परसूलाल भागाबाई बेवा दरसूलाल अरबलाल उषाबाई पि. दरसूलाल अनिता बेवा अशोक शिवराजसिंह पि. अशोक दीपेन्द्र सुषमा दुर्गेश्वरी अर्चना पि. सुरेन्द्र हरीचंद बसंत दिपियाबाई बसंतो पि. गेंदलाल जाति गोंड भूमिस्वामी	लक्ष्मन की भूमि	रामकुमार की भूमि	कैलाश की भूमि	संतू की भूमि	-	-	-	-

2	22/2	कृषि	भूमिस्वामी	1.40	कैलाश पुत्र पंचमलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	लक्ष्मन की भूमि	फूलसिंह की भूमि	भागाबाई की भूमि	फूलसिंह की भूमि	-	-	-	-
3	21/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.20	लक्ष्मन पि. तीरथ जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	किशोरी की भूमि	अदनसिंह की भूमि	फूलसिंह की भूमि	-	-	-	-
4	31	कृषि	भूमिस्वामी	0.17	प्रभा बेवा फकीरा उमा निरंजन सावीत्री कविता माया पि. फकीरा जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	भागाबाई की भूमि	प्रभा की भूमि	रीझन की भूमि	भागाबाई की भूमि	-	-	-	-
5	57	कृषि	भूमिस्वामी	1.89		झामसिंह की भूमि	प्रेमवती की भूमि	सरहद	रास्ता	-	-	-	-
6	32	कृषि	भूमिस्वामी	0.44	सन्तूलाल पुत्र तीरथ जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	प्रभा की भूमि	प्रेमलाल की भूमि	फूलसिंह की भूमि	-	-	-	-
7	33/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.60	रीझन पुत्र कुवरमन जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	प्रेमलाल की भूमि	गुलाब सिह की भूमि	नाला	महुआ सागौन	35	क. कुआ तालाब	11
8	33/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.65	प्रेमलाल पुत्र कुवंरलाल जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रीझन की भूमि	रामकुमार की भूमि	बाहरसिंह की भूमि	नाला	महुआ सागौन	15	क. कुआ	1
9	33/4	कृषि	भूमिस्वामी	0.05		प्रेमलाल की भूमि	प्रेमलाल की भूमि	बाहरसिंह की भूमि	नाला	-	-	-	-
10	33/3	कृषि	भूमिस्वामी	1.10	रामकुमार सुनील पि. सोनसिंह पांचो बाई बेवा सोनसिंह जाति मेहरा नि. ग्रा. भूमिस्वामी	रामकुमार की भूमि	रीझन की भूमि	महेश की भूमि	संतुलाल की भूमि	-	-	-	-
11	37	कृषि	भूमिस्वामी	0.50	बहारसिंह सम्पतसिह सुमत अमानसिह गनिया पि. चुन्नू संतो बेवा पुन्नू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गुलाब सिह की भूमि	प्रेमवती की भूमि	विक्रमसिंह की भूमि	प्रेमलाल की भूमि	-	-	-	-
12	36	कृषि	भूमिस्वामी	1.20	विक्रमसिंह पुत्र जमादार जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गुलाब सिह की भूमि	प्रेमवती की भूमि	गुलाब सिह की भूमि	बाहरसिंह की भूमि	महुआ सागौन	120	-	-
13	173	कृषि	भूमिस्वामी	0.31		ब्रिजिया बाई की भूमि	रूकनाबाई की भूमि	सोबत की भूमि	ब्रिजिया बाई की भूमि	बेर उमर	81		

14	35	कृषि	भूमिस्वामी	0.25	प्रेमवती बेवा हरीप्रसाद गोमती सकुन पि. हरीप्रसाद जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	विकमसिंह की भूमि	अदनसिंह की भूमि	सोबत की भूमि	प्रेमवती की भूमि	-	-	-	-
15	49	कृषि	भूमिस्वामी	0.29		सोनू की भूमि	सोबत की भूमि	ब्रिजिया बाई की भूमि	अदनसिंह की भूमि	-	-	-	-
16	175	कृषि	भूमिस्वामी	0.32		अदनसिंह की भूमि	रामसिंह की भूमि	अदनसिंह की भूमि	सोबत की भूमि	-	-	-	-
17	41/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.86	गुलाब सिह पुत्र महादेव जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	विरनलाल की भूमि	बेनीराम की भूमि	नाला	शासकीय	-	-	-	-
18	41/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.42	बेनीराम पुत्र महादेव जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गुलाब सिह की भूमि	अच्छेलाल की भूमि	नाला	शासकीय	सागौन	4	-	-
19	41/3	कृषि	भूमिस्वामी	0.43	ज्ञानाबाई पुत्री महादेव जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	मनीराम की भूमि	गुलाब सिह की भूमि	नाला	सोबत की भूमि	-	-	क. कुआ	1
20	41/4	कृषि	भूमिस्वामी	0.43	गुलाबसिह बीरन बेनीराम मनीराम गनेश ज्ञानाबाई पि. महादेव जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ज्ञानाबाई की भूमि	वीरनलाल की भूमि	नाला	सोबत की भूमि	-	-	-	-
21	41/5	कृषि	भूमिस्वामी	0.43	बीरनलाल पुत्र महादेव जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गुलाब सिह की भूमि	गुलाब सिह की भूमि	नाला	सोबत की भूमि	सागौन	4	-	-
22	41/6	कृषि	भूमिस्वामी	0.43	मनीराम पुत्र महादेव जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गणेश की भूमि	ज्ञानाबाई की भूमि	नाला	विकमसिंह की भूमि	-	-	-	-
23	41/7	कृषि	भूमिस्वामी	0.43	गणेश पुत्र महादेव जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गुलाब सिह की भूमि	मनीराम की भूमि	नाला	विकमसिंह की भूमि	-	-	-	-
24	42	कृषि	भूमिस्वामी	1.78	सोहबत बाई पत्नी श्यामसिंह पूनाराम विजय अजय अनेखसिंह कान्ति बाई चम्पा बाई पि. श्यामसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	विकमसिंह की भूमि	मंगलो की भूमि	गुलाब सिह की भूमि	प्रेमवती की भूमि	सागौन	10	-	-
25	50	कृषि	भूमिस्वामी	0.28		प्रेमवती की भूमि	इंदराम की भूमि	रौक्खि की भूमि	ब्रिजिया बाई की भूमि	-	-	-	-
26	174	कृषि	भूमिस्वामी	0.31		अदनसिंह की भूमि	रामसिंह की भूमि	प्रेमवती की भूमि	विकमसिंह की भूमि	-	-	-	-

27	44	कृषि	भूमिस्वामी	0.77	मंगलो पत्नी गनेशा जामबती बेवा कन्हैया जामलाल बनवारी सन्तारी पि. कन्हैया जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सोबत की भूमि	अच्छेलाल की भूमि	मंगलो की भूमि	प्रेमवती की भूमि	-	-	-	-
28	46	कृषि	भूमिस्वामी	0.92		अदनसिंह की भूमि	रिखि की भूमि	अच्छेलाल की भूमि	अदनसिंह की भूमि	-	-	-	-
29	190	कृषि	भूमिस्वामी	0.08		रास्ता	मंगलो की भूमि	अनीता की भूमि	झीनो की भूमि	-	-	-	-
30	45	कृषि	भूमिस्वामी	5.62	अच्छेलाल छोटेलाल प्रेमवती पि. झरलाल मानती गोमती पि. सुमतलाल इत्तोबाई बेवा परसादी मनोज दूजाबाई गायत्रीबाई पि. परसादी राजेन्द्र रामप्यारी श्यामवती पि. गिरानी दिपिया बाई बेवा त्रिपालसिंह जितेन्द्र शरद धर्मेन्द्र शिवकुमारी पार्वती पि. त्रिपालसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	मंगलो की भूमि	शासकीय	नाला	सुमत की भूमि	आम महुआ सागौन	1 2 15	क. कुआ	1
31	47/1	कृषि	भूमिस्वामी	1.62	बिरजिया बाई बेवा हिम्मतसिंह अत्तरसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	अदनसिंह की भूमि	सुमत की भूमि	मंगलो की भूमि	ब्रिजिया बाई की भूमि	-	-	-	-
32	69/1	कृषि	भूमिस्वामी	1.10		शासकीय	गोपालसिंह की भूमि	अदनसिंह की भूमि	चैतू की भूमि	-	-	-	-
33	47/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.92	अदनसिंह पुत्र भुन्नी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	प्रेमवती की भूमि	ब्रिजिया बाई की भूमि	मंगलो की भूमि	महेश की भूमि	-	-	-	-
34	69/2	कृषि	भूमिस्वामी	2.00		शासकीय	प्रेमवती की भूमि	नाला	ब्रिजिया बाई की भूमि	-	-	प. कुआ	1
35	48	कृषि	भूमिस्वामी	0.29	सोनू पुत्र मानू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ब्रिजिया बाई की भूमि	प्रेमवती की भूमि	ब्रिजिया बाई की भूमि	ब्रिजिया बाई की भूमि	-	-	-	-
36	51	कृषि	भूमिस्वामी	0.75	इंदराम पुत्र गुहा जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ब्रिजिया बाई की भूमि	शासकीय	रीक्खि की भूमि	ब्रिजिया बाई की भूमि	-	-	बोर	1

37	53/1	कृषि	भूमिस्वामी	2.84	कुवरवती बेवा रविशंकर नरेन्द्र नारायण नर्मदा पि. रविशंकर जाति तेली नि. ग्रा. भूमिस्वामी	रीक्खि की भूमि	नाला	नाला	शासकीय	-	-	प. कुआ	1
38	63/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.33		फततेसिंह की भूमि	सुमत की भूमि	रास्ता	फततेसिंह की भूमि	-	-	-	-
39	53/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.84	सुमत पुत्र भोपू जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	अच्छेलाल की भूमि	रीक्खि की भूमि	नाला	मंगलो की भूमि	-	-	प. कुआ	2
40	63/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.33		रविशंकर की भूमि	रिक्खि की भूमि	रास्ता	केहरसिंह की भूमि	-	-	-	-
41	53/3	कृषि	भूमिस्वामी	2.83	रिक्खी पुत्र भोपू जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुमत की भूमि	रविशंकर की भूमि	नाला	अच्छेलाल बगैरह की भूमि	-	-	प. कुआ	3
42	63/3	कृषि	भूमिस्वामी	0.34		सुमत की भूमि	ज्ञानाबाई की भूमि	रास्ता	केहरसिंह की भूमि	-	-	-	-
43	53/4	कृषि	भूमिस्वामी	2.00	आधारसिंह पुत्र सुमतलाल जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुमत की भूमि	मंगलो बगैरह की भूमि	नाला	प्रभा की भूमि	-	-	-	-
44	55	कृषि	भूमिस्वामी	0.69	छोटेलाल पुत्र झरलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	प्रभा की भूमि	झामसिंह की भूमि	रास्ता	-	-	-	-
45	56	कृषि	भूमिस्वामी	0.80	झामसिंह पुत्र हज्जू जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	प्रभा की भूमि	सरहद	छोटेलाल की भूमि	-	-	-	-
46	58	कृषि	भूमिस्वामी	0.33	अनिताबाई बेवा अशोक शिवराज पुत्र अशोक जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	प्रभा की भूमि	शासकीय	दुल्लम की भूमि	रास्ता	-	-	-	-
47	192	कृषि	भूमिस्वामी	0.06		झीनो की भूमि	शासकीय	झीनो की भूमि	झीनो की भूमि	-	-	-	-
48	59/1	कृषि	भूमिस्वामी	2.00	दुलम पुत्र गहरू जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	प्रभा की भूमि	किशोरी की भूमि	सरहद	शिवराज की भूमि	-	-	-	-
49	59/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.50	किशोरी पुत्र ब्रजलाल जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	दुलन की भूमि	रमेश की भूमि	सरहद	रास्ता	-	-	-	-
50	59/3	कृषि	भूमिस्वामी	0.50	रमेश पुत्र दादूलाल जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	किशोरी की भूमि	सुमरन की भूमि	सरहद	रास्ता	-	-	-	-
51	59/4	कृषि	भूमिस्वामी	0.50	सूमरन पुत्र बलीराम जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रमेश की भूमि	अरबलाल की भूमि	सरहद	रास्ता	-	-	-	-

52	62	कृषि	भूमिस्वामी	0.31	ज्ञाना पुत्री महादेव जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	रीक्खि की भूमि	चैतोबाई की भूमि	रास्ता	अतलसिंह की भूमि	-	-	-	-
53	64/1/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.19	रविन्द्र कुमार पुत्र अतलसिंह जाति गोड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	कहरसिंह की भूमि	अतलसिंह की भूमि	ज्ञानाबाई की भूमि	अतलसिंह की भूमि	-	-	-	-
54	64/1/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.50		कहरसिंह की भूमि	अतलसिंह की भूमि	अतलसिंह की भूमि	नाला	पलाश जाम	10 1	क. कुआ	1
55	65/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.59	चैतोबाई बेवा रामप्रसाद राजकुमार अशोक संतोष जानकीबाई जनमवती पि. रामप्रसाद जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	अतलसिंह की भूमि	रास्ता	ज्ञानाबाई की भूमि	चैतोबाई की भूमि	-	-	-	-
56	66/3	कृषि	भूमिस्वामी	0.09	प्रागो पत्नी सित्तू जाति चमार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	बालसिंह की भूमि	शासकीय	शासकीय	शासकीय	-	-	-	-
57	67/4	कृषि	भूमिस्वामी	0.73	बालसिंह पुत्र अतलसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	गोपालसिंह की भूमि	शासकीय	अतलसिंह की भूमि	सागौन जाम पलाश	1 1 36	-	-
58	67/3	कृषि	भूमिस्वामी	0.47		बालसिंह की भूमि	शासकीय	शासकीय	गोपलसिंह की भूमि	-	-	क. कुआ	1
59	67/5	कृषि	भूमिस्वामी	0.30	गोपालसिंह पुत्र अतलसिंह जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	गोपलसिंह की भूमि	शासकीय	गोपलसिंह की भूमि	गोपलसिंह की भूमि	-	-	-	-
60	67/6	कृषि	भूमिस्वामी	0.72		नाला	गोपालसिंह की भूमि	फततेसिंह की भूमि	बसंत की भूमि	सागौन आम पलाश	2 2 20	क. कुआ	1
61	186/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.04		बालसिंह की भूमि	बालसिंह की भूमि	शासकीय	सुक्का बाई की भूमि	-	-	-	-
62	67/7	कृषि	भूमिस्वामी	0.25	बसंत पुत्र अतलसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गोपलसिंह की भूमि	शासकीय	गोपलसिंह की भूमि	गोपलसिंह की भूमि	पलाश	10	क. कुआ	1
63	67/8	कृषि	भूमिस्वामी	0.72		नाला	शासकीय	बालसिंह की भूमि	शासकीय	-	-	-	-
64	186/3	कृषि	भूमिस्वामी	0.23		नाला	गुलाब सिंह की भूमि	शासकीय	सुक्का बाई की भूमि	-	-	-	-
65	189/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.15	झीनो पुत्र तीरथ जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गोपलसिंह की भूमि	शासकीय	गोपलसिंह की भूमि	शासकीय	-	-	-	-

66	180	कृषि	भूमिस्वामी	0.10	सुक्काबाई बेवा पिच्चा शिवकली सावित्री बाई पि. पिच्चा जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय	सुक्का बाई की भूमि	सोबत की भूमि	शासकीय	-	-	-	-
67	184	कृषि	भूमिस्वामी	1.85		रास्ता	अनीताबाई की भूमि	अनीताबाई की भूमि	झीनो की भूमि	-	-	-	-
68	176	कृषि	भूमिस्वामी	1.90	रामप्रकाश पुत्र रम्मू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	विकमसिह बगैरह की भूमि	शासकीय	नाला	महेश बगैरह की भूमि	-	-	प. कुआ	1
69	177/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.04	सरस्वती बेवा महेश अनखलाल विनोद अनुसुईया बाई पि. महेश जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	विजिया की भूमि	महेश की भूमि	रूकना की भूमि	महेश की भूमि	-	-	प. कुआ	1
70	177/3	कृषि	भूमिस्वामी	0.25		भूवनलाल की भूमि	सुन्दरलाल की भूमि	रामसिंह की भूमि	रूकना की भूमि	-	-	क. कुआ	1
71	177/5	कृषि	भूमिस्वामी	0.25	सुदंरलाल पुत्र धनसिंग जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुंदरलाल की भूमि	नाला	रामप्रकाश की भूमि	रूकना की भूमि	-	-	-	-
72	177/7	कृषि	भूमिस्वामी	0.12		भूवनलाल की भूमि	रूकनाबाई की भूमि	महेश की भूमि	महेश की भूमि	-	-	-	-
73	172/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.36	भुवनलाल पुत्र धनराज जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गोपल बगैरह की भूमि	रामप्रकाश की भूमि	विकमसिंह की भूमि	चेतनसिह की भूमि	-	-	-	-
74	72	कृषि	भूमिस्वामी	0.16		चैतू की भूमि	गोपालसिंह की भूमि	गोपलसिह की भूमि	भूवनलाल की भूमि	-	-	-	-
75	172/3	कृषि	भूमिस्वामी	0.35		गोपाल की भूमि	रूकनाबाई की भूमि	भुवनलाल की भूमि	भुवनलाल की भूमि	-	-	-	-
76	69/3	कृषि	भूमिस्वामी	1.00	गोपाल पुत्र आनन्दसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ब्रिजिया बाई की भूमि	भूवनसिह की भूमि	ब्रिजिया बाई की भूमि	भूवनलाल बगैरह की भूमि	-	-	-	-
77	71/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.21	जेठू पुत्र बुधसेन जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	मानसिंह की भूमि	गोपालसिंह की भूमि	ब्रिजिया बाई की भूमि	जेठू की भूमि	-	-	-	-
78	73	कृषि	भूमिस्वामी	0.10	मानसिंह भुवनलाल पि. धनराज जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	भूवनलाल की भूमि	सोहबत की भूमि	गोपलसिह की भूमि	मानसिंह की भूमि	-	-	-	-
79	64/2	कृषि	भूमिस्वामी	1.32	केहरसिह पुत्र बाबूलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रिक्खी की भूमि	अतलसिंह की भूमि	पंखीबाई की भूमि	नाला	सागौन आम	51	क. कुआ	1
80	64/3	कृषि	भूमिस्वामी	1.39	बसंतीबाई बेवा फततेसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रास्ता	केहरसिंह की भूमि	रास्ता	नाला	-	-	-	-

81	65/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.64	चैतोबाई बेवा हुल्कर समल दुर्गाप्रसाद दशोदाबाई पि. हुल्कर जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	अतलसिंह की भूमि	रास्ता	चैतोबाई की भूमि	मुलकर की भूमि	-	-	-	-
82	65/3	कृषि	भूमिस्वामी	0.64	मुल्कर पुत्र भोपू जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	अतलसिंह की भूमि	रास्ता	चैतोबाई की भूमि	शासकीय	-	-	-	-
83	64/1/3	कृषि	भूमिस्वामी	0.19	मनीराम पुत्र अतलसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	अतलसिंह की भूमि	चैतोबाई की भूमि	चैतोबाई की भूमि	अतलसिंह की भूमि	-	-	-	-
84	64/1/4	कृषि	भूमिस्वामी	0.50		नाला	चैतोबाई की भूमि	कहरसिंह की भूमि	शासकीय	पलाश	15	क. कुआ	1
85	172/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.06	केशर बेवा भुवन लाल चेतन सिंह अम्माबाई सुन्दरवती बाई पि. भुवन लाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	भूवनसिंह की भूमि	कहरसिंह की भूमि	शासकीय	-	-	-	-
86	172/4	कृषि	भूमिस्वामी	0.22	विजीया बेवा मानसिंह जागवती बेवा देवसी बबलू मंगलोबाई सुंदरबाई पि. देवसी कैलाष प्रकाष पि. पंचम रामसी नाबा. पुत्र पुनाराम जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वमी	सोहबत की भूमि	महेष की भूमि	भुवनलाल की भूमि	भुवनलाल की भूमि	-	-	-	-
योग	86			61.20						वृक्ष	184	क.कुआ प.कुआ बोर तालब	11 09 1 1

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति '' भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे।

क्र. 925–भू–अर्जन–2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की गुनगुच जलाशय परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की **धारा 11** की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

1 ग्राम का नाम :– भीमकुंड मा0 प.ह.नं. :– 15 रा.नि.मं. :– धनौरा तहसील :– धनौरा जिला :– सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :– 46.38 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हे0 मे)	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति किस्म	संख्या	प्रकार	लिंथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	175/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.06	गंगावती बेवा सुनुवा जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	टीकाराम बगैरह की भूमि	सरहद	रामचरन की भूमि	रास्ता	–	–	–	–
2	139/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.18		घसराम की भूमि	सरबन की भूमि	सुकबा की भूमि	रामचरण ा की भूमि	–	–	–	–
3	175/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.58	रामचरन पि. सुनुवा जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	टीकाराम बगैरह की भूमि	सरहद	गंगावती की भूमि	रक्खन की भूमि	–	–	–	–
4	139/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.19		घंसराम की भूमि	सरबन की भूमि	गंगावती की भूमि	रक्खन की भूमि	सागौन	1	–	–
5	175/3	कृषि	भूमिस्वामी	0.58	रक्खन पि. सुनुवा जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	टीकाराम बगैरह की भूमि	सरहद	हरिप्रसाद की भूमि	रामचरण ा की भूमि	–	–	–	–
6	139/3	कृषि	भूमिस्वामी	0.19		सुभिया की भूमि	सरबन की भूमि	रामचरण ा की भूमि	सरबन की भूमि	–	–	–	–

7	176/1	कृषि	भूमिस्वामी	4.04	हरिप्रसाद श्यामसिंह पि. जमादार जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रास्ता की भूमि	सरहद	सरहद	टीकाराम बगैरह की भूमि	–	–	–	–
8	176/2	कृषि	भूमिस्वामी	1.44	बैजन्ती भलावी पति भागचंद जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	झामसिंह की भूमि	बैजंती की भूमि	बैजंती की भूमि	टीकाराम बगैरह की भूमि	महुआ सागौन पलाश	2 20 20	–	–
9	172	कृषि	भूमिस्वामी	0.18	झामसिंह जमुनाबाई रामवती रमिया पि. हरिराम जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	शासकीय	रास्ता	शासकीय	–	–	–	–
10	148	कृषि	भूमिस्वामी	1.12		ख.नं. 143 की भूमि	सुमत की भूमि	नाला	धनीराम बगैरह की भूमि	–	–	–	–
11	164/1/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.19	रनियाबाई बेवा दर्शनलाल राकेश रामस्वरूप विनोद दसियाबाई लेजाबाई प्रियंकाबाई पि. दर्शनलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	नाला	बंसती बगैरह की भूमि	नाला	–	–	–	–
12	154/1/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.58		धनीराम बगैरह की भूमि	नाला	बंसती बगैरह की भूमि	जानकी बाई बगैरह की भूमि	–	–	–	–
13	164/1/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.19	बसंतीबाई बेवा दरसू कीर्ति पुत्री दरसू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	नाला	सुमत बगैरह की भूमि	नाला	–	–	–	–
14	154/1/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.58		धनीराम बगैरह की भूमि	नाला	सुमत बगैरह की भूमि	रनिया बगैरह की भूमि	–	–	–	–
15	164/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.37	सुमत मोजे आ. विसराम सुकबती बेवा बम्तु छोटो बरिया हिरो आ. बम्तु झीनो हरियो हिरो आ. बन्तु जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	नाला	बंसती बगैरह की भूमि	नाला	–	–	–	–
16	154/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.52		झामसिंह की भूमि	नाला	नाला	धनीराम बगैरह की भूमि	–	–	–	–
17	163	कृषि	भूमिस्वामी	0.14	महपाल सिंह पुत्र लालजू जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	नाला	नाला	नाला	–	–	–	–
18	170	कृषि	भूमिस्वामी	1.85	टीकाराम राजाराम रामप्रसाद इन्द्राबाई विद्याबाई पि. डीलन संतोष अनिल सावित्री उर्मिला पि. रमेश लक्ष्मी बेवा युवराज राजेश ज्योति पि. युवराज जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	झामसिंह की भूमि	ख.नं. 176/1 की भूमि	बैजंती की भूमि	रास्ता	–	–	–	–
19	162	कृषि	भूमिस्वामी	0.60	सोनसिंह सोनकली पि. बैसाखु देवीलाल देवसिंह पि. सुन्हेरसिंह प्रीता प्रेमिका पि कोपा जाति गोंड नि.ग्रा. भमिस्वामी	नाला	नाला	नाला	नाला	–	–	–	–

भू अर्जन अधिकारी

20	157	कृषि	भूमिस्वामी	0.18	कत्तो सखिया दयाल दयाराम आशाराम पि. मानु धनश्याम जिरती नगरो पि. भद्दु जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय	शासकीय नाला	शासकीय	रास्ता	—	—	—	—
21	158	कृषि	भूमिस्वामी	7.51		परसराम बगैरह की भूमि	नाला	रास्ता	शासकीय	सागौन पलाश	10 30	क. मकान	1
22	159	कृषि	भूमिस्वामी	0.35	फत्तु बा. मंगलसिह मु. रतिया पत्तो बिज्जो आ. मंगलसिह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नला	कत्तो बगैरह की भूमि	सुखवती बगैरह की भूमि	नाला	सागौन पलाश	3 5	क. कुआ	1
23	145	कृषि	भूमिस्वामी	0.08		फत्तू बगैरह की भूमि	सरहद	सरहद	शासकीय	—	—	—	—
24	129	कृषि	भूमिस्वामी	0.90	सुखबती झुक्को हरियो पि. गजलसिंह जाति यादव नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुखबती बगैरह की भूमि	परसराम बगैरह की भूमि	सुखबती बगैरह की भूमि	फत्तू बगैरह की भूमि	—	—	—	—
25	130	कृषि	भूमिस्वामी	3.15	परसराम पि. मयाराम सुखिया मो फुलसिंग पि. बिरसिंग मनिया बाई बेवा जिलेसिंग गिरानी लामू झामसिंह ज्ञाना सुखवती धनवती बाई पि. जिलेसिंग मन्तो पति सऊबा जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	सुखबती बगैरह की भूमि	कत्तो बगैरह की भूमि	रास्ता	कत्तो बगैरह की भूमि	—	—	—	—
26	132 /1	कृषि	भूमिस्वामी	0.81	सुम्मारी पुत्र कमोद जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सोनसिंह की भूमि	कत्तो बगैरह की भूमि	रास्ता	रास्ता	—	—	क. मकान प. मकान क. तालाब	6 1 1
27	132 /2	कृषि	भूमिस्वामी	0.17	सोनसिग पुत्र कमोद जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुकम बगैरह की भूमि	सुमारी की भूमि	रास्ता	रास्ता	—	—		
28	156 /1	कृषि	भूमिस्वामी	2.48	झामसिंह सोनसिंह रामकली सुनीता अनीता पि. हजारी उदनिया बाई बेवा हजारी चंद्रकुमार शैलकुमारी फूलवती दिक्षा पि. रोहन सिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुकबा की भूमि	रामसिंह बगैरह की भूमि	झामसिंह की भूमि	रास्ता	आम	1	क. मकान	4
29	156 /2	कृषि	भूमिस्वामी	0.39	भन्नीबाई पुत्री हज्जू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	झामसिह की भूमि	सोहबत की भूमि	प्यारी बाई की भूमि	भन्नी बाई की भूमि	—	—	—	—
30	156 /3	कृषि	भूमिस्वामी	1.26	सोहबत मोहबत पि. अमनू जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	रामलाल की भूमि	नाला	नाला	रास्ता	—	—	—	—

31	156/4	कृषि	भूमिस्वामी	0.03	मोजेलाल पुत्र विसराम जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	झामसिंह की भूमि	सम्मोबाई की भूमि	झामसिंह की भूमि	रास्ता	—	—	प. मकान	1
32	156/5	कृषि	भूमिस्वामी	0.04	सम्मोबाई पत्नी रूपचंद जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	मोजेलाल की भूमि	झामसिंह की भूमि	झामसिंह की भूमि	रास्ता	—	—	क. मकान	2
33	156/6	कृषि	भूमिस्वामी	0.39	रामसिंह रामलाल प्यारी बाई सुदामा बाई भन्नी बाई पि. हज्जू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	झामसिंह की भूमि	सोहबत की भूमि	प्यारी बाई की भूमि	सुदामा बाई की भूमि	—	—	—	—
34	156/7	कृषि	भूमिस्वामी	0.39	रामसिंह पुत्र हज्जू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	झामसिंह की भूमि	रामलाल की भूमि	सुदामाबाई की भूमि	रास्ता	—	—	—	—
35	156/8	कृषि	भूमिस्वामी	0.39	रामलाल पुत्र हज्जू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रामसिंह की भूमि	सोहबत की भूमि	सुदामाबाई की भूमि	रास्ता	—	—	—	—
36	156/9	कृषि	भूमिस्वामी	0.38	सुदामाबाई पुत्री हज्जू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	झामसिंह की भूमि	सोहबत की भूमि	भन्नीबाई की भूमि	रामलाल की भूमि	—	—	—	—
37	156/10	कृषि	भूमिस्वामी	0.38	प्यारीबाई पुत्री हज्जू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	झामसिंह की भूमि	सोहबत की भूमि	नाला	भन्नीबाई की भूमि	—	—	—	—
38	155	कृषि	भूमिस्वामी	1.13	जानकीबाई बेवा कन्हैया जमनलाल बजवारी संतरी पि. कन्हैया नि.ग्रा. भूमिस्वामी	भन्नीबाई की भूमि	नाला	सुमत बगैरह की भूमि	भन्नीबाई की भूमि	—	—	—	—
39	151/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.15	रामसिंह पुत्र हजारी जाति गोड़ नि.ग्रा. भूमिस्वामी	झामसिंह की भूमि	सुनिता बगैरह की भूमि	सरमन बगैरह की भूमि	झामसिंह बगैरह की भूमि	—	—	—	—
40	151/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.15	झामसिंह पुत्र हजारी जाति गोड़ नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुकवा की भूमि	रामसिंह की भूमि	सरमन बगैरह की भूमि	झामसिंह बगैरह की भूमि	—	—	—	—
41	134	कृषि	भूमिस्वामी	0.52	घंसराम आशाराम शिबप्रसाद सन्तराम सन्तकुमार पि. महुआ जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुकवा की भूमि	सुकवा की भूमि	सुकवा की भूमि	रास्ता	महुआ सागौन	3 20	—	—
42	137	कृषि	भूमिस्वामी	0.45		मंगल बगैरह की भूमि	सरमन बगैरह की भूमि	सुकवा की भूमि	सुकवा की भूमि	—	—	बोर	1
43	141	कृषि	भूमिस्वामी	0.25		घंसराम बगैरह की भूमि	रामचरन बगैरह की भूमि	सुखमन की भूमि	सुमिया की भूमि	—	—	—	—

भू सर्जन

44	150	कृषि	भूमिस्वामी	2.20	सरबन धरमसिंह प्रागा रामा धनिया लखन परमसी पि. हिम्मत पखतिया बेवा हिम्मत कुट्टन मिट्ठन मिट्ठू पि. सुकलसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुकवा की भूमि	धनीराम बगैरह की भूमि	प्रहलाद की भूमि	सुकवा की भूमि	महुआ	3	—	—
45	142	कृषि	भूमिस्वामी	0.13	सुखमन पुत्र रूपलाल जाति गोड़ नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुखमन की भूमि	धन्नोबाई बगैरह की भूमि	धन्नोबाई बगैरह की भूमि	घंसराम बगैरह की भूमि	—	—	—	—
46	149/1	कृषि	भूमिस्वामी	0.25	प्रहलाद पि. रामसिंह जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुकवा की भूमि	झामसिंह की भूमि	अमरू की भूमि	सरमन बगैरही की भूमि	—	—	—	—
47	149/2	कृषि	भूमिस्वामी	0.44	अमरू पुत्र घंसू जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुकवा की भूमि	झामसिंह बगैरह की भूमि	ख.नं. 143 की भूमि	प्रहलाद की भूमि	—	—	—	—
48	143/2	कृषि	भूमिस्वामी	2.35	लखनसिंह रोहनीबाई रामवतीबाई पि. गोपाल जाति गोड़ नि. ग्रा. भूमिस्वामी	धन्नोबाई बगैरह की भूमि	झामसिंह बगैरह की भूमि	इंदरसिंह की भूमि	सुखमन की भूमि	—	—	—	—
49	169	कृषि	भूमिस्वामी	2.60	झामसिंह पुत्र हरिराम जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	टीकाराम बगैरह की भूमि	नाला	रास्ता	—	—	—	—
50	153	कृषि	भूमिस्वामी	1.25	धनीराम अमियाबाई धन्नोबाई पि. सुखराम सुखई बराती बटरी सवनी पि. रूपलाल शिवराम पि. इत्तु चमेली बेवा इत्तु कवितलाल केशव केशरिया कविता पि. भोयेलाल वीरसिंह सहतराम तिज्जोबाई सुन्दरबाई मुनिया पि. कंचन राहुल पि. तेजराम रितिया बाई बेवा तेजराम सुरजन दुर्जन कल्लोबाई पि. पिच्चा लमिया पीरनिया परमा धरमु पि. कोडी जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सरमन बगैरह की भूमि	धनीराम बगैरह की भूमि	झामसिंह बगैरह की भूमि	सुकवा की भूमि	—	—	—	—
51	147	कृषि	भूमिस्वामी	1.65	चमरू बेवा चैतु जाति गोड़ नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कविताबाई बगैरह की भूमि	सरहद	शासकीय	चमरू की भूमि	—	—	—	—
योग	51			46.38						वृक्ष	118	क.मकान 13 प.मकान 2 क. कुआ 1 क.तालाब 1	

102

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे।

क्र. 926–भू–अर्जन–2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की गुनगुच जलाशय परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की **धारा 11** की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

1 ग्राम का नाम :– पिन्ड्राबोडी प.ह.नं. :– 13 रा.नि.मं. :– धनौरा तहसील :– धनौरा जिला :– सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :– 0.55 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हे0 मे)	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	क्लिंथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	128/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	मंगलोबाई पति बब्बू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सरहद	मोजे माकू की भूमि	मंगलो पि. बब्बू की भूमि	मंगलो पि. बब्बू की भूमि	–	–	–	–
2	128/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	मोजे माकू दीपसिंह मेरसिंह पिता पंचम जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	मंगलो पि. बब्बू की भूमि	फुलसिंह पि. दीपसिंह	मोजे माकु की भूमि	मोजे माकू की भूमि	–	–	–	–
3	130/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	गुल्लो बेवा पंचम परषोत्तम राजू संजू खेलवती पिता पंचम कोमल परमी धनोती पिता मंगल जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	फुलसिंह पि. दीपसिंह	लखनलाल की भूमि	गुल्लो की भूमि	गुल्लो की भूमि	–	–	–	–
4	130/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	लखनलाल चमरलाल चमरीबाई दुलारीबाई केशनाबाइ पिता गुल्लू जाति अहीर नि. धनौरा भूमिस्वामी	गुल्लो की भूमि	अकरमखान की भूमि	लखनलाल की भूमि	लखनलाल की भूमि	–	–	–	–

5	130/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	फागू पुत्र भूरा जाति अहीर निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अकरमख ाान की भूमि	ख.नं. 133 की भूमि	फागु की भूमि	फागु की भूमि	–	–	–	–
6	130/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	अकरमखान पुत्र अब्दुलसमद जाति मुसलमान नि. गोपेवानी केवलारी भूमिस्वामी	गुल्लो की भूमि	फागु की भूमि	अकरमख ाान की भूमि	अकरमख ाान की भूमि	–	–	–	–
7	129	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	फुलसिग पुत्र दीपसिह जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	मोजे माकू की भूमि	गुल्लो की भूमि	फुलसिंह पि. दीपसिंह	फुलसिंह पि. दीपसिंह	–	–	–	–
योग	7			0.55						–	–	–	–

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे।

क्र. 927–भू–अर्जन–2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की गुनगुच जलाशय परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

1 ग्राम का नाम :– भीमकुंड रै0 प.ह.नं. :– 16 रा.नि.मं. :– धनौरा तहसील :– धनौरा जिला :– सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :– 2.64 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हे0 में)	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	35/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.85	छतर सिंह पिता इकार सिंह जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सरहद	बालसिह बगैरह की भूमि	समलोबाई की भूमि	बालसिह बगैरह की भूमि	–	–	क. कुआ	01
2	33/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10		सरहद	छतर बगैरह की भूमि	छतर बगैरह की भूमि	समलोबाई की भूमि	–	–	–	–
3	33/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	रज्जनसिंह उर्फ रोशन पुत्र इन्कारसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सरहद	छतर बगैरह की भूमि	छतर बगैरह की भूमि	समलोबाई की भूमि	–	–	–	–
4	35/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.87		सरहद	बालसिह बगैरह की भूमि	समलोबाई की भूमि	बालसिह बगैरह की भूमि	–	–	–	–

5	32	भूमिस्वामी	कृषि	0.33	गोदीलाल बतीबाई भुन्तीबाई जलसोबाई पिता चंदरसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रज्जन बगैरह की भूमि	बालसिंह की भूमि	रज्जन सिंह की भूमि	बालसिंह की भूमि	—	—	—	—
6	41	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	सेहतर सेहतलाल रूनाबाई सूनीबाई सेहतरीबाई पिता पंचमलाल हरीचंद पुत्र टीकाराम अघनसिंह कीर्तिबाई पिता विमान जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	बालसिंह की भूमि	शासकीय	शासकीय	फूलसिंह बगैरह की भूमि	—	—	—	—
.7	48	भूमिस्वामी	कृषि	0.06		शासकीय	सरहद	इतिया बाई बगैरह की भूमि	शासकीय	—	—	—	—
8	46	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	पानोवतीबाई मंगलोबाई पिता सुमारी सेवदीन पुत्र संतलाल जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय	शासकीय	शासकीय	सरहद	—	—	—	—
योग	8	—	—	2.64	—	—	—	—	—	—	—	क. कु आ	01

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय /विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे।

क्र. 928–भू–अर्जन–2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की गुनगुच जलाशय परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

1 ग्राम का नाम :– घोघरी रैयत प.ह.नं. :– 16 रा.नि.मं. :– धनौरा तहसील :– धनौरा जिला :– सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :– 8.85 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण / कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हे0 में)	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	विशेष एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	81/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	धनीराम मानसिंह धनसिंह मनोती मन्ता धन्नोबाई ललता पि. खेमसिंह जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वाामी	अजय पि. रामानंद की भूमि	नाला	रामचरन पि. खुमरन की भूमि	अजय पि. रामानंद की भूमि	महुआ	1	–	–
2	81/1	भूमिस्वामी	कृषि	1.70	टंटीबाई चैनबाई अतरलाल चैनसिह पि. चोपसिंह तियालाल छुटटन पि. विधानसिंह जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वाामी	ख.नं. 81/7 की भूमि	ख.नं. 82 की भूमि	ख.नं. 83 की भूमि	ख.नं. 81/9 /2 की भूमि	–	–	–	–
3	81/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	चेतन पुत्र भानसिंह जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वाामी	धनीराम बगैरह की भूमि	ख.नं. 81/1 की भूमि	झलकन बगैरह की भूमि	ख.नं. 81/10 की भूमि	–	–	–	–
4	81/8	भूमिस्वामी	कृषि	0.39		ख.नं. 81/7 की भूमि	अजय पि. रामानंद की भूमि	नला	अजय पि. रामानंद की भूमि	महुआ	2	–	–

5	81/2	भूमिस्वामी	कृषि	1.85	रामचरन पि खुमरन जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	अजय पि. रामानंद की भूमि	नाला	अजय पि. रामानंद की भूमि	ख.नं. 81/3 की भूमि	–	–	–	–
6	81/9/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.80	अजय मिश्रा पि. रामानंद मिश्रा जाति ब्राम्हण नि.ग्रा. भूमिस्वामी	अजय पि. रामानंद बगैरह की भूमि	रामचरन पि. खुमरन की भूमि	नाला	इनकार बगैरह की भूमि	–	–	–	–
7	81/9/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10		ख.नं. 81/11 की भूमि	ख.नं. 81/10 की भूमि	ख.नं. 84/1 की भूमि	ख.नं. 81/9/1 की भूमि	–	–	–	–
8	86	भूमिस्वामी	कृषि	1.25	हेमराज पुत्र परताप जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कंचन बैगरह की भूमि	झलकन बगैरह की भूमि	कंचन बैगरह की भूमि	धनीराम बगैरह की भूमि	आम महुआ	11	क. कुआ	01
9	87/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.33	सुम्मारी रामाबाई सुन्हेर पि. गिरानी कंगलोबाई बेवा गिरानी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	बरतोबाई बगैरह की भूमि	नाला	ख.नं. 87/1 की भूमि	कलीराम बगैरह की भूमि	आम महुआ	11		
10	87/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	कंचन पंचमलाल छोटेलाल बखतिया कल्लू पि. जिन्दा गोमतीबाई बेवा जिन्दा जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	बरतोबाई बगैरह की भूमि	नाला	ख.नं. 87/4 की भूमि	कलीराम बगैरह की भूमि	महुआ	1		
11	88/8	भूमिस्वामी	कृषि	1.40	गेन्दलाल पि. हीरालाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	इंदरसिंह पि. हीरालाल की भूमि	नाला	सोहनलाल बैगरह की भूमि	शासकीय	सागौन महुआ	10 1		
12	88/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.30	इन्दरसिंह पि. हीरालाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गेंदसिंह पि. हीरालाल की भूमि	गेंदसिंह पि. हीरालाल की भूमि	सोहनलाल बैगरह की भूमि	कंचन बैगरह की भूमि	सागौन	1		
13	88/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	गेन्दसिंह पि. हीरालाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कलीराम की भूमि	इंदर सिंह पि. हीरालाल की भूमि	सोहनलाल बैगरह की भूमि	कंचन बैगरह की भूमि	–	–	–	–
14	80/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	बटरी बाई बेवा धूरी रामप्रताप सिलोच पिता धूरी इनकार बीरन जल्ले झीटो पानी मंगलू पिता हल्कू शिवदीन पिता बसंतराम जाति गोड नि. धनौरा भूमिस्वामी	रास्ता	नाला	धनीराम बगैरह की भूमि	शासकीय	–	–	–	–
योग	14			8.85						वृक्ष	20	क. कुआ	01

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे।

क्र. 930–भू–अर्जन–2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की गुनगुच जलाशय परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा – 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

1 ग्राम का नाम :– गुनगुच प.ह.नं. :– 12 रा.नि.मं. :– धनौरा तहसील :– धनौरा जिला :– सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :– 4.71 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हे0 मे)	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति किस्म	संख्या	प्रकार	स्क्विंथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	202/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	धनौतीबाई पत्नी ऐतलाल जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 202/1 की भूमि	ख.नं. 204 की भूमि	ख.नं. 202/2 की भूमि	ख.नं. 202/2 की भूमि	–	–	–	–
2	209/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	सुकराम अभावती अमनवती सुमनवती पि. धीरसिंह शांतिबाई बेवा धीरसिंह झाडुलाल पि. ब्रजलाल रतनू पि. गेंदू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 208 की भूमि	ख.नं. 211 की भूमि	ख.नं. 209/2 की भूमि	ख.नं. 209/2 की भूमि	–	–	–	–
3	278/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	तोड़र पि. मनोहर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 278/2 की भूमि	ख.नं. 282 की भूमि	ख.नं. 281 की भूमि	ख.नं. 278/1 की भूमि	–	–	–	–
4	278/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.25	घूमन पि. लागू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 254 की भूमि	ख.नं. 278/1 की भूमि	ख.नं. 278/2 की भूमि	ख.नं. 278/2 की भूमि	–	–	–	–

5	261	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	जगतसिंह पि. दुरगसिंह मनीराम पुनाराम गंगाराम छोटेलाल पि. भादू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.न. 212/2 की भूमि	ख.नं. 254 की भूमि	ख.नं. 261 की भूमि	ख.नं. 261 की भूमि	—	—	—	—
6	286	भूमिस्वामी	कृषि	0.04		ख.नं. 282 की भूमि	ख.नं. 287 की भूमि	ख.नं. 281 की भूमि	ख.नं. 286 की भूमि	—	—	—	—
7	387	भूमिस्वामी	कृषि	0.28		ख.नं. 387 की भूमि	ख.नं. 387 की भूमि	ख.नं. 385 की भूमि	ख.नं. 393 की भूमि	—	—	—	—
8	282	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	भन्नीबाई पत्नी तिलोकसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 278/1 की भूमि	ख.नं. 286 की भूमि	ख.नं. 281 की भूमि	ख.नं. 282 की भूमि	—	—	—	—
9	296	भूमिस्वामी	कृषि	0.05		ख.नं. 296 की भूमि	ख.नं. 397 की भूमि	ख.नं. 403 की भूमि	ख.नं. 293 की भूमि	—	—	—	—
10	287	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	मेहत्तर दशरीबाई सुमियाबाई बतसियाबाई श्यामाबाई पि. नन्दू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 286 की भूमि	ख.नं. 288 की भूमि	ख.नं. 290/1 की भूमि	ख.नं. 287 की भूमि	—	—	—	—
11	290/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	सोमाबाई पि. धीरसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 281/1 की भूमि	ख.नं. 290/3 की भूमि	ख.नं. 287 की भूमि	ख.नं. 290/1 की भूमि	—	—	—	—
12	290/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	दशोदाबाई श्यामा पि. बादल मितियाबाई बेवा बादल लेखचंद नाबा. पुत्र बादल संरक्षक मितियाबाई जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 290/1 की भूमि	ख.नं. 290/7 की भूमि	ख.नं. 290/3 की भूमि	ख.नं. 290/4 की भूमि	—	—	—	—
13	290/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	चैतूलाल पि. हरिलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 280/4 की भूमि	ख.नं. 280/1 1 की भूमि	ख.नं. 280/7 की भूमि	ख.नं. 290/7 की भूमि	—	—	—	—
14	290/1 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.43	सोमाबाई पि. धीरसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 290/7 की भूमि	ख.नं. 290/11 की भूमि	ख.नं. 290/1 1 की भूमि	ख.नं. 290/1 1 की भूमि	—	—	—	—
15	291	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	संतोष सेवकली दिप्पीबाई हरियोबाई पि. चौधरी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 291 की भूमि	ख.नं. 407 की भूमि	ख.नं. 407 की भूमि	ख.नं. 293/1 की भूमि	—	—	—	—
16	376	भूमिस्वामी	कृषि	0.04		ख.नं. 376 की भूमि	ख.नं. 377 की भूमि	ख.नं. 375 की भूमि		—	—	—	—
17	293/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	रमन पि. सूरज जाति जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 293/1 की भूमि	ख.नं. 293/2 की भूमि	ख.नं. 290 की भूमि	ख.नं. 294 की भूमि	—	—	—	—

18	293/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	मेमवती पत्नी अतरसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 293/1 की भूमि	ख.नं. 293/2 की भूमि	ख.नं. 290 की भूमि	ख.नं. 294 की भूमि	—	—	—	—
19	294	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	चम्पीबाई पति चेतराम जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 294 की भूमि	ख.नं. 294 की भूमि	ख.नं. 293 की भूमि	ख.नं. 276/2 की भूमि	—	—	—	—
20	299	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	बेनसिंह चैनसिंह बेनाबाई पि. गिरानी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 299 की भूमि	ख.नं. 394 की भूमि	ख.नं. 296 की भूमि	ख.नं. 394 की भूमि	—	—	—	—
21	378	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	गंगाराम पि. भादू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 378 की भूमि	ख.नं. 378 की भूमि	ख.नं. 377 की भूमि	ख.नं. 884/5 की भूमि	—	—	—	—
22	384/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	सुन्हेर पि. मदनसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 384/2 की भूमि	ख.नं. 384/2 की भूमि	ख.नं. 385 की भूमि	ख.नं. 378 की भूमि	—	—	—	—
23	393	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	वीरसिंह मेरसिंह हरिसिंह पि. पतिराम श्यामाबाई बेवा पतिराम बतसियाबाई बेवा तेईसिंग मानवती बेवा चमनलाल रेखा सुलेखा सरला वर्षा पि. चमनलाल दशोदाबाई बेवा रतिराम सुकरती थकरीबाई बतरोबाई पि. रतिराम जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 393 की भूमि	ख.नं. 393 की भूमि	ख.नं. 394 की भूमि	ख.नं. 387 की भूमि	—	—	—	—
24	394	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	हीरालाल पि. लखनू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 394 की भूमि	ख.नं. 394 की भूमि	ख.नं. 397 की भूमि	ख.नं. 393 की भूमि	—	—	—	—
25	397	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	मनीराम पि. भादू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 296 की भूमि	ख.नं. 397 की भूमि	ख.नं. 403 की भूमि	ख.नं. 394 की भूमि	—	—	—	—
26	407	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	रत्तो बाई बेवा दशरथ रेशलाल किशनलाल रेशवती रामवती पि. दशरथ सुदामा बाई बेवा रोशनलाल अनारसिंह अजयकुमार पि. रोशनलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 292 की भूमि	ख.नं. 407 की भूमि	ख.नं. 291 की भूमि	ख.नं. 292 की भूमि	—	—	—	—
27	412/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.25	महेन्द्रसिंह पि. कुन्दनसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 412/1 की भूमि	ख.नं. 413/1 की भूमि	ख.नं. 249 की भूमि	ख.नं. 212/2 की भूमि	—	—	—	—

28	412/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	धूरवती पत्नी सुम्मारी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 412/2 की भूमि	ख.नं. 412/2 की भूमि	ख.नं. 412/2 की भूमि	ख.नं. 410 की भूमि	—	—	—	—
29	377	भूमिस्वामी	कृषि	0.25	सुखबतीबाई बेवा कमलसिंह राजकुमार राजकुमारी पि. कमलसिंह गड्डीबाई पि. साकू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 377 की भूमि	ख.नं. 377 की भूमि	ख.नं. 378 की भूमि	ख.नं. 376 की भूमि	—	—	—	—
30	295	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	जगत मत्थू कतल मोहवत पि. कोदू सोमाबाई पि. धीरसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 276/4 की भूमि	ख.नं. 205 की भूमि	ख.नं. 276/5 की भूमि	ख.नं. 403 की भूमि	—	—	—	—
31	276/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	रहनसिंह रैनवती पि. चरनसिंह जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 276/5 की भूमि	ख.नं. 276/5 की भूमि	ख.नं. 276/6 की भूमि	ख.नं. 276/4 की भूमि	—	—	—	—
32	276/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	नरेंन्द्र कुमार सरूते पि. नीलमसिंह जाति गोंड नि. धनौरा भूमिस्वामी	ख.नं. 276/6 की भूमि	ख.नं. 276/6 की भूमि	ख.नं. 276/1 की भूमि	ख.नं. 276/5 की भूमि	—	—	—	—
33	276/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.30	सुबेलाल सुभई सुभनलाल सक्खोबाई पि. भिकई दसोदाबाई बेवा सुमरन सुमंत्राबाई पुत्री सुमरन जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 276/1 की भूमि	ख.नं. 276/1 की भूमि	ख.नं. 276/2 की भूमि	ख.नं. 276/6 की भूमि	—	—	—	—
34	276/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	अतरसिंह पि. बोधनसिंह जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 276/2 की भूमि	ख.नं. 276/2 की भूमि	ख.नं. 294 की भूमि	ख.नं. 276/1 की भूमि	—	—	—	—
35	290/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	मितियाबाई बेवा बादल दशोदाबाई श्यामा लेखचंद नाबा. पि. बादल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 290/1 की भूमि	ख.नं. 290/7 की भूमि	ख.नं. 290/5 की भूमि	ख.नं. 290/4 की भूमि	—	—	—	—
36	208	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	सुन्हेर पि. डिल्ली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 208 की भूमि	ख.नं. 209/9 की भूमि	ख.नं. 208 की भूमि	ख.नं. 208 की भूमि	—	—	—	—
योग	36			4.71						—	—	—	—

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 913–भू–अर्जन–2026–प्र.क्र.0002–अ–82–2025–26 भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2026

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन 2013) के अंतर्गत

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सुचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संवव्यहार नहीं करेगा या कोई संवव्यहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा-12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित नगरीय विकास एवं आवास विभाग की मध्यप्रदेश मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत भोपाल शहर में अनुमोदित मेट्रो रूट ऑरेंज लाइन (बोगदापुल – ऐशबाग – भोपाल रेलवे स्टेशन – नादरा बस स्टैंड – सिन्धी कॉलोनी – डीआईजी बंगला – कृषि उपज मंडी- करोंद) तक एवं मेट्रो रेल डिपो के निर्माण कार्य की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन से छूट प्रदान की गई है । इस कारण से धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
			खसरा न.	रकबा (हे.)		
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	हुजुर	भोपाल	208/1	1.1859	महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), मेट्रो रेल परियोजना, भोपाल	नगरीय विकास एवं आवास विभाग की मध्यप्रदेश मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत भोपाल शहर में अनुमोदित मेट्रो रूट ऑरेंज लाइन (बोगदापुल – ऐशबाग – भोपाल रेलवे स्टेशन – नादरा बस स्टैंड – सिन्धी कॉलोनी – डीआईजी बंगला – कृषि उपज मंडी- करोंद) के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन ।
भोपाल	हुजुर	भोपाल	208/2			
भोपाल	हुजुर	भोपाल	208/3			
भोपाल	हुजुर	भोपाल	211	0.0107		
भोपाल	हुजुर	भोपाल	212/1	0.2430		
भोपाल	हुजुर	भोपाल	212/2			
भोपाल	हुजुर	भोपाल	212/3			
भोपाल	हुजुर	भोपाल	228/1	0.1430		
भोपाल	हुजुर	भोपाल	228/2			
भोपाल	हुजुर	भोपाल	229/1	0.0570		
भोपाल	हुजुर	भोपाल	229/2			
भोपाल	हुजुर	भोपाल	231	0.0240		
			किता-12	**1.6636**		

नगरीय विकास एवं आवास विभाग की मध्यप्रदेश मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत भोपाल शहर में अनुमोदित मेट्रो रूट ऑरेंज लाइन (बोगदापुल – ऐशबाग – भोपाल रेलवे स्टेशन – नादरा बस स्टैंड – सिन्धी कॉलोनी – डीआईजी बंगला – कृषि उपज मंडी- करोंद) के प्रयोजन हेतु ग्राम भोपाल, बैरागढ़ वृत्त, तहसील हुजुर, जिला भोपाल की प्रस्तावित भूमि का विवरण।

अनुसूची-2

क्र.	भूमिस्वामी का नाम व पिता का नाम	वर्तमान भूमि का खसरा न.	कुल रकबा (हेक्टेयर में.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में.)
1	2	3	4	5
1	शासकीय - बड़ा बाग - महकमा बागात जेर अहतेमाम	208/1	12.0880	1.1859
2	शासकीय - सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड म्युनिसिपल	208/2	0.0810	
3	शासकीय - रास्ता - म्युनिसिपल बोर्ड म्युनिसिपल	208/3	0.0650	
4	शासकीय - सड़क - म्युनिसिपल बोर्ड म्युनिसिपल	211	0.5140	0.0107
5	सिंधी हाउसिंग, कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड भूमि स्वामी रजिस्ट्रार सहकारी समिति की अनुमति के बगैर अहस्तांतरणीय	212/1	1.7440	0.2430
6	शासकीय - टेलीग्राम फ आफिस	212/2	1.9190	
7	शासकीय - पी.एन.टी. कॉलोनी	212/3	0.0770	
8	शासकीय - आबादी (गाँवठान) – म. प्र. शासन नजूल भूमी	228/1	0.3600	0.1430
9	शासकीय - आबादी (गाँवठान) – म. प्र. शासन नजूल भूमी	228/2	0.1620	
10	शासकीय - इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट – चेयर मैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट	229/1	1.6430	0.0570
11	शासकीय - आबादी (गाँवठान) – म. प्र. शासन नजूल भूमी	229/2	0.0080	
12	शासकीय - नाला – म्युनिसिपल बोर्ड म्युनिसिपल	231	0.0570	0.0240
		किता-12	**18.7180**	**1.6636**

अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से संबंधित योजना आरेख, सक्षम प्राधिकारी, जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल (म.प्र.) भारत - 462001 के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे।

नोटः- 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 04–अ–82–2025–26 रायसेन, दिनांक 25 फरवरी 2026

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं–1 के खाने क्रमांक –1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क–2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुरा	चौरास प.ह.नं. रा.नि.मण्डल उदयपुरा	कुल 6.777 हे.	कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म. प्र.	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अन्य निर्माण हेतु प्रमावित ग्राम चौरास के शेष कृषकों की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची–2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अन्य निर्माण हेतु प्रमावित ग्राम चौरास के शेष कृषकों की निजी भूमि प्रभावित होने से				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	गोधन सिंह पुत्र रामचरन राजपूत	481/1	0.578	0.333
2	गिरवर सिंह पुत्र नर्बदा सिंह राजपूत	481/2	0.582	0.447
3	नागेन्द्र सिंह पुत्र ओमशंकर राजपूत	470	0.704	0.704
4	नागेन्द्र सिंह पुत्र ओमशंकर राजपूत	471	0.320	0.320
5	नागेन्द्र सिंह पुत्र ओमशंकर राजपूत	472	0.336	0.336
6	रणजीत सिह पुत्र भरत सिंह राजपूत	292	0.283	0.247
7	नागेन्द्र सिंह पुत्र ओमशंकर राजपूत	293	0.247	0.239
8	नागेन्द्र सिंह पुत्र ओमशंकर राजपूत	295	0.420	0.290

9	राजकुमार पुत्र मेहरवान सिंह राजपूत	296	0.109	0.109
10	जीवन सिंह पुत्र मोकम सिंह राजपूत	297	0.202	0.118
11	दीपक कुमार पुत्र अवधनारायण ब्राहम्ण	289	0.761	0.421
12	उत्तम पुत्र प्रेम सिंह राजपूत	284/1/1	1.214	0.300
13	राजकुमार पुत्र मेहरवान सिंह राजपूत	284/1/2	0.121	0.117
14	राकेश पुत्र मेहरबान सिंह राजपूत	284/1/3	0.121	0.081
15	श्रीराम जानकी मंदिर व्यवस्थापक सयाराम दास मंहत	284/2	0.809	0.789
16	राधाबाई पुत्री बालाराम राजपूत, रेवाराम पुत्र बालाराम, लखन सिंह पुत्र बालाराम, तुलसीराम पुत्र बालाराम, खरगोबाई बेवा बलाराम राजपूत	449	0.348	0.200
17	दीपक कुमार पुत्र अवधनारायण ब्राहम्ण	476	0.621	0.493
		477	0.150	0.070
		479	0.214	0.126
18	श्रीरामजानकी मंदिर व्यवस्थापक सियाराम दास मंहत	478/1	0.972	0.944
19	सतीश पाराशर पिता अवधनारायण पाराशर जाति ब्राहम्ण	478/2	0.093	0.093
		कुल योग-	9.205	6.777

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 11 मार्च 2026

क्र. 1980–भू–अर्जन–2026–प्र.क्र.0012–अ–82–2025–26

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनो तरफ ग्राम ढ़ेंड़िया में घाट निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के ग्राम ढ़ेंड़िया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची–2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची–2 की भूमि की अनुसूची–1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

//अनुसूची–1//.

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
उज्जैन	कोठी महल	ग्राम ढ़ेंड़िया	1.576	परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई–01 जलसंसाधन विभाग	सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम ढ़ेंड़िया के दोनों तरफ घाट निर्माण हेतु।

//अनुसूची–2//.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हेक्ट. में	प्रभावित रकबा हेक्ट. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	आंजना धर्मशाला नवग्रह मंदिर न्यास उज्जैन राकेश	3/2/1/1	0.188	0.0300	सिंचित
2	बडतालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव ओर उनके स्वामित्व के मंदिरों के द्वारा ट्रस्टी श्री भार्गव कुमार पिता जयसुखलाल राव	3/2/2/3	0.4180	0.0940	असिंचित
		3/2/2/1	0.365	0.0620	सिंचित मय एप्रोच रोड
		3/2/3/1	0.522	0.0680	सिंचित
3	महेश कानड़ी पिता भेरूलाल कानड़ी	12/1	0.483	0.0500	असिंचित मय एप्रोच रोड
		12/3/1	0.146	0.0100	सिंचित मय एप्रोच रोड
4	मंगोबाई पति विष्णुलाल	12/3/2	0.337	0.0410	सिंचित
5	सरोज पति महेश कानड़ी	12/4	0.967	0.1300	सिंचित
6	महेश कानड़ी पिता भेरूलाल कानड़ी सरोज पति महेश कानड़ी	13/1/1	1.6	0.1650	
		13/1/2	0.96	0.0950	
7	धीरजसिंह पिता दशरथसिंह	14/1	1.848	0.1910	सिंचित मय एप्रोच रोड
8	मेसर्स वल्लभ इन्टरप्राईसेस भागीदार इश्वर	16/1/1/3	0.732	0.1630	सिंचित
9	धर्मेन्द्र पिता रतनलाल	16/2/1/1/1/1	0.80	0.0400	सिंचित
		16/2/1/1/1/2	0.279	0.1410	
10	धर्मेन्द्रसिंह, कमलसिंह पिता रतनलाल सीमा पिता रतनलाल	16/2/1/3	0.188	0.0300	सिंचित
11	सतीशचन्द्र जैन पिता रामलाल जैन श्रीमती लक्ष्मी जैन पति संतोष जैन	16/2/2/1	0.16	0.0650	सिंचित
12	चंदरबाई पति अम्बाराम	23/1/2	1.058	0.0320	सिंचित
13	संजय कुमार पिता रमेशचन्द्र गुप्ता	98/1/1/1	0.692	0.0840	
		98/1/1/2	0.335	0.0840	
Total			सिंचित	1.481	
			असिंचित	0.094	

कुल निजी भूमि 1.575 (सिंचित 1.481+ असिंचित 0.094)

सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम ढ़ेंड़िया के दोनो तरफ घाट निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिला भू–अर्जन कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2026

क्रमांक:E.F.no.1/11/0001/2024/7-4 विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक **07/03/2024** द्वारा राज्य की प्रशासनिक इकाईयों यथा संभाग, जिला उपखण्ड, तहसील एवं जनपद/विकासखंड के परिसीमन (सृजन एवं सीमाओं में परिवर्तन) एवं युक्तियुक्तकरण के लिये **"मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग"** का गठन किया गया था।

उक्त आदेश की कण्डिका 4 की उपकण्डिका (2) (3) एवं कण्डिका 5 की उपकण्डिका (1) में परिवर्तन करते हुए इनके स्थान पर निम्नानुसार कण्डिका प्रतिस्थापित की जाती है :-

4(2) मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव/योग्यता धारित करने वाला व्यक्ति होगा। आयोग के अध्यक्ष को राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के समकक्ष वेतनमान और उस पर समय-समय पर मंहगाई भत्ते और अन्य भत्ते देय होंगे। आयोग के अध्यक्ष पद पर राज्य सरकार के सेवानिवृत अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उन्हें सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते से (सारांशीकरण के पूर्व) की पेंशन घटाई जाकर शेष राशि वेतन/मानदेय के रूप में देय होगी और उस पर समय-समय पर मंहगाई भत्ता देय होगें। अन्य भत्तें अधिसूचना दिनांक 12 मार्च 2024 के प्रावधान अनुसार पूर्ववत रहेंगे।

4(3) केन्द्र या राज्य शासन में कम से कम 20 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर चुके तथा राज्य सरकार में सचिव या उच्चतर पद से सेवानिवृत्त शासकीय सेवक आयोग में दो सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जायेगा। आयोग के सदस्यों को राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति के समय देय मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते में से सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन (राहत सहित) को घटाई जाकर शेष राशि वेतन/मानदेय के रूप में देय होगी और उस पर समय समय पर देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तें अधिसूचना दिनांक 12 मार्च 2024 के प्रावधान अनुसार पूर्ववत रहेंगे।

5(1) आयोग में सचिव/प्रशासनिक अधिकारी का एक पद होगा। सचिव/अपर सचिव स्तर से सेवानिवृत शासकीय सेवक को आयोग का सचिव/प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सचिव/प्रशासनिक अधिकारी को राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति के समय देय वेतनमान और उस पर समय-समय पर देय महंगाई भत्ता देय होंगे। इनमें से उन्हें प्राप्त हो रही पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व घटाई जायेगी। अन्य भत्तें अधिसूचना दिनांक 12 मार्च 2024 के प्रावधान अनुसार पूर्ववत रहेंगे।

7. यह परिवर्तन सिर्फ उपरोक्त कण्डिकाओं में किया गया है, शेष कण्डिका पूर्व की भांति यथावत रहेंगी। उक्त स्वीकृति मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 16 दिनांक 24.02.2026 द्वारा दिये गये अनुमोदन पर आधारित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी 2026

क्र. A-693–एक–7–3–2025–भाग–एक.– मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी/8292, जबलपुर, दिनांक 01 दिसम्बर 2025 एवं अधिसूचना क्रमांक बी/518, जबलपुर दिनांक 21 जनवरी 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर/खण्डपीठ ग्वालियर के न्यायालयों एवं रजिस्ट्री तथा जिला न्यायपालिका हेतु मंगलवार दिनांक 31 मार्च 2026 के स्थान पर सोमवार दिनांक 30 मार्च 2026 को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया जाता है तथा मंगलवार दिनांक 31 मार्च 2026 को कार्यदिवस रहेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

धरमिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 26 फरवरी 2026

क्र. B-1765–दो–2–81–2023.– श्री अनिल कुमार, रजिस्ट्रार (J–1), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3–(ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. दिनांक 28 मई 2020 से 27 मई 2022 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2 दिनांक 28 मई 2022 से 27 मई 2024 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-776–दो–2–60–2014.– श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 मार्च से 30 मार्च 2026 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 मार्च 2026 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

आशीष तिवारी, डी.आर–कम–पी.पी.एस.

जबलपुर, दिनांक 17 फरवरी 2026

क्र. D-611–दो–2–55–2017.– सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 9 से 14 मार्च 2026 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 07 एवं 08 मार्च 2026 के तथा दिनांक 15 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-619–दो–2–61–2024.– श्री अरविंद कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रायसेन को दिनांक 16 से 20 फरवरी 2026 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरविंद कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविंद कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-621–दो–2–25–2022.– श्री विकास चन्द्र मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ को दिनांक 17 से 20 फरवरी 2026 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विकास चन्द्र मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ को राजगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विकास चन्द्र मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-623–दो–2–69–2025.– श्री विपिन कुमार लवानिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को 04 से 06 मार्च 2026 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 03 मार्च 2026 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 एवं 08 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विपिन कुमार लवानिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विपिन कुमार लवानिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-625–दो–2–44–2015.– डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 23 से 28 फरवरी 2026 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. कुलदीप जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-627–दो–2–17–2024.– श्री आशुतोष मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 04 से 06 फरवरी 2026 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आशुतोष मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-629–दो–2–20–2024.– श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 19 से 20 फरवरी 2026 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गीता सोलंकी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-631–दो–2–55–2017.– सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 09 से 10 फरवरी 2026 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी 2026

क्र. B-1582–दो–2–31–2022.– श्री राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 24 से 28 दिसम्बर 2025 तक के शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश में ब्लॉक वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक की अवधि में एल.टी.सी. सुविधा का लाभ लेने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3–(ए)19–03–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1–ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक–3666–इक्कीस ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B-1584–दो–2–13–2024.– श्री राकेश कुमार जैन, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2025 तक के शीतकालीन अवकाश के साथ एच.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण ब्लाक वर्ष 2022 से 2025 तक की अवधि के लिये दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3– (ए)19–03–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1–ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666–इक्कीस–ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B-1586–दो–2–34–2019.– श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को ब्लॉक वर्ष 2025 से 2027 तक की अवधि में एल.टी.सी. सुविधा का लाभ लेने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3–(ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1–ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666–इक्कीस–ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B-1588–दो–2–117–2017.– श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को ब्लॉक वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक की अवधि में एल.टी.सी. सुविधा का लाभ लेने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3–(ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1–ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666–इक्कीस–ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B-1590–दो–2–40–2020.– श्री कृष्णमूर्ति मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को ब्लॉक वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि में एल.टी.सी. सुविधा का लाभ लेने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3–(ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1–ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666–इक्कीस–ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B-1592–दो–2–33–2023.– श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 19 से 20 फरवरी 2026 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1594–दो–2–28–2019.– श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 18 से 20 फरवरी 2026 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1596–दो–2–13–2015.– श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 16 से 20 फरवरी 2026 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 फरवरी 2026 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1598–दो–2–26–2023.– श्रीमती माया विश्वलाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 05 से 06 मार्च 2026 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 मार्च 2026 के स्थानीय अवकाश तथा दिनांक 01 मार्च 2026 के, दिनांक 03 एवं 04 मार्च 2026 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 एवं 08 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती माया विश्वलाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती माया विश्वलाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-744–दो–2–18–2023.– श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2025 तक तीन दिन के शीतकालीन अवकाश में ब्लॉक वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक अवधि हेतु एल.टी.सी. की सुविधा का उपभोग करने के कारण, एल.टी.सी. की सुविधा के अंतर्गत 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3–(ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1–ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666–इक्कीस–ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D-746–दो–2–57–2024.– श्री सुधीर कुमार चौधरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय हरदा को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2025 तक के शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश में ब्लॉक वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि के लिये 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3–(ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1–ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666–इक्कीस–ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D-748–दो–2–69–2025.– श्री विपिन कुमार लवानिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 04 से 06 मार्च 2026 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, एच्छिक एवं आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. D-750–दो–2–44–2015.– डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 09 से 13 मार्च 2026 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 07 एवं 08 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. कुलदीप जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-752–दो–2–51–2021.– श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 19 से 20 फरवरी 2026 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-754–दो–2–27–2024.– श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 27 से 28 फरवरी 2026 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वर्षा शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 24 फरवरी 2026

क्र. B-1683–दो–2–24–2022.– श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 25 से 28 फरवरी 2026 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकांश के पश्चात् में दिनांक 01 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

संशोधित आदेश

क्र. B-1728–दो–2–38–2021.– श्री के.एल.बारिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी–633, दिनांक 31 जनवरी 2026 द्वारा एल.टी.सी. के साथ दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है.

रजिस्ट्री के उक्त आदेश को संशोधित किया जाकर श्री के.एल. बारिया के स्थान पर श्री के.एस. बारिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड पढ़ा जावे.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

आशीष तिवारी, डी.आर–कम–पी.पी.एस.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 18 फरवरी 2026

क्र.–865–स्था.–2026.– श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 05 से 11 फरवरी 2026 कुल, सात दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

राजीव के. पाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 19 फरवरी 2026

क्र.–अवकाश–227.– श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर, को दिनांक 09 से 13 फरवरी 2026 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार